डाक पंजीयन क्र. MP/Bhopal/186/2021-2023
लाइसेंस क्र. WPP/Tech/23-04/08/2021-2023
आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या 38506/84

# रोज़गार और निर्माण

Join Telegram Channel Search @rojgaraurnirman

## धान मिलिंग के लिए प्रदेश में अधिक क्षमता की इकाइयां स्थापित की जाएं - मुख्यमंत्री

### धान के अलावा अन्य लाभदायी फसल लेने के लिये किसानों को किया जायेगा प्रेरित

**भोपाल, मध्यप्रदेश में धान मिलिंग की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए मिलिंग की बड़ी इकाइयां स्थापित की जाएंगी। धान की लाभदायक प्रजातियां लगाने और धान में टूटन कम आए, इसके लिए किसानों को प्रशिक्षित भी किया जायेगा। धान के अलावा अन्य लाभदायी फसलें लेने के लिए भी किसानों को प्रेरित किया जाएगा। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान मिलिंग पर मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक को संबोधित करते हुये कहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शासन के लिये किसानों का हित सर्वोपरि है। धान मिलिंग दरों के संबंध में अंतिम निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिया जायेगा।**

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान खरीफ विपणन में धान मिलिंग पर आयोजित मंत्रिमंडलीय उप-समिति की बैठक को संबोधित करते हुये।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में धान उत्पादन में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। वर्ष 2020-21 में कुल 37.26 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जित किया गया। जबकि वर्ष 2017-18 में यह मात्रा केवल 16.60 मीट्रिक टन थी। प्रदेश में कुल 804 मिलर्स हैं। इनमें 396 मिलों की मिलिंग क्षमता चार मीट्रिक टन प्रति घंटा और 392 मिलर्स की मिलिंग क्षमता 4 से 8 मीट्रिक टन प्रतिघंटा है। मात्र 16 इकाइयों की मिलिंग क्षमता 8 मीट्रिक टन प्रति घंटा से अधिक है।

प्रदेश की वर्तमान मिलिंग क्षमता 35 हजार मीट्रिक टन प्रतिदिन है। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि प्रदेश में अधिक क्षमता की राइस मिलें स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए।

#### मुख्यमंत्री ने किया प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त

**भोपाल,** मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार के खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने के निर्णय का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान हितैषी हैं और एक के बाद एक फैसले किसानों के हित में ले रहे हैं। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाने से किसानों को लाभ होगा और उन्हें अपने पसीने की सही कीमत मिलेगी।

#### मध्यप्रदेश में मूंग की खरीदी होगी प्रारंभ

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा प्रदेश में किसानों से मूंग की खरीदी 15 जून से प्रारंभ होगी। किसानों का पंजीयन प्रारंभ हो गया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत सरकार के सहयोग से ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नदाता का हित मेरे लिए सर्वोपरि है। मूंग की गिरती कीमतों से किसान चिंतित न हों। किसान की उपज का उचित मूल्य दिलाया जाएगा।

मंत्रिमंडलीय उपसमिति द्वारा धान की मिलिंग के संबंध में विभिन्न विकल्प प्रस्तुत किए गए। बैठक के दौरान मिलर संघों द्वारा प्रस्तुत चावल परिदान के प्रस्तावों, अन्य धान उत्पादक राज्यों की मिलिंग संबंधी नीति और प्रक्रिया पर भी विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में मंत्रिमंडलीय उपसमिति द्वारा चावल परिदान के प्रस्तावित अनुपात, मिलिंग की प्रोत्साहन राशि और अपग्रेडेशन की राशि के संबंध में विकल्प प्रस्तुत किए गए।

### सैनिक स्कूल रीवा

#### राष्ट्रीय रक्षा और नौसेना अकादमी में 18 छात्रों का चयन

**रीवा,** सैनिक स्कूल रीवा के 18 छात्रों का वर्ष 2020-21 के दौरान राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी में चयन हुआ है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह ने सभी सफल छात्रों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी है।

सैनिक स्कूल रीवा के प्राचार्य कर्नल श्री राजेश बैन्दा ने कहा है कि इन छात्रों के चयन में जहां एक ओर छात्रों का अथक परिश्रम सहायक सिद्ध हुआ, वहीं दूसरी ओर मध्यप्रदेश शासन का सार्थक सहयोग भी सम्बल बना। इसके लिये श्री बैन्दा ने विद्यालय परिवार के साथ मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। श्री बैन्दा ने बताया कि विगत वर्षों में मध्यप्रदेश शासन की ओर से छात्रावास और विद्यालय की अधोसंरचना के अनुरक्षण के साथ-साथ छात्रों के लिये पोषण अनुदान की राशि उपलब्ध कराई जाती रही है।

### मध्यप्रदेश में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया होगी पुनः आरंभ

**भोपाल,** मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। प्रदेश में 22 हजार 670 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जो रुक गई थी, उसे पुनः प्रारंभ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में सबसे ज्यादा रोज़गार प्रभावित हुआ है। दूसरी लहर में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स, कर्मकार मंडल के श्रमिकों, किसानों के खाते में सहायता राशि डाली गई है। मध्यप्रदेश सरकार रोज़गार के अधिक से अधिक अवसर बढ़ाने का प्रयास कर रही है।

### खास खबर

#### स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 978 नर्सों की नियुक्तियां

**भोपाल,** स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने बताया कि कोविड-19 कोरोना संक्रमण महामारी में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए प्रदेश के समस्त चिकित्सालयों में 978 स्टाफ नर्सों की नियुक्तियां की गई हैं। उन्होंने बताया कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित शासकीय नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्रों से जी.एन.एम. प्रशिक्षण उत्तीर्ण छात्राओं की ऑफलाइन काउंसलिंग कर स्वास्थ्य संस्थाओं में रिक्त स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्तियां की गई हैं। डॉ. चौधरी ने बताया कि चयनित स्टाफ नर्स को कोविड-19 प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण के लिए पदस्थापना स्थल पर ही Intergrated Goverment Online Training (iGOT) प्लेटफार्म का निर्माण किया गया है।

### कोरोना संक्रमण

## ऐसे प्रयास करें कि तीसरी लहर का प्रदेश में प्रभाव ही न हो

**भोपाल,** मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण अब समाप्ति की ओर है। प्रदेश में कोरोना के नए प्रकरण 500 से नीचे आए हैं और 50 जिलों में साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 2 प्रतिशत से नीचे आ गई है। संक्रमण की दृष्टि से देश में प्रदेश का 23वां स्थान है। प्रदेश की रिकवरी रेट 98 प्रतिशत हो गई है। अब ऐसे प्रयास किए जाएं, जिससे प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर, यदि आती भी है, तो उसका असर हो ही नहीं, अथवा नगण्य हो। कोरोना संक्रमण रोकने का मूल मंत्र है अधिक से अधिक टेस्टिंग। लोगों के पास जा-जाकर टेस्टिंग की जाए और कोरोना के एक-एक मरीज की तलाश कर आइसोलेट कर उपचार किया जाए। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुये कहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीन कोरोना का सुरक्षा कवच है। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का सघन अभियान चलाया जाए।

#### नए प्रकरणों की संख्या 500 से कम

प्रदेश में कोरोना के नए प्रकरणों की संख्या 500 से कम हो गई है। प्रदेश में 9 जून को 453 नए प्रकरण आए और 1329 मरीज स्वस्थ हुए हैं। एक्टिव प्रकरण 7071 हो गए हैं। सात दिनों की पॉजिटिविटी दर 0.8 प्रतिशत है।

#### 6 जिलों में 10 से अधिक प्रकरण

प्रदेश के 6 जिलों में ही अब 10 से अधिक कोरोना के नए प्रकरण आए हैं। इंदौर में 144, भोपाल में 104, जबलपुर में 39, उज्जैन में 13, बैतूल में 12 तथा रतलाम में 11 नए प्रकरण आए हैं।

#### 10 जिलों में नया प्रकरण नहीं

प्रदेश के 10 जिलों अलीराजपुर, भिंड, दतिया, डिंडोरी, गुना, हरदा, मंडला, श्योपुर, सिंगरौली और टीकमगढ़ में कोरोना का कोई भी नया प्रकरण नहीं आया है। अलीराजपुर जिला पूर्ण रूप से कोरोना संक्रमण मुक्त है। बुरहानपुर और छतरपुर जिले में कोरोना के एक्टिव प्रकरण सिंगल डिजिट में हैं।

#### दो जिलों में ही 2 प्रतिशत से अधिक साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर

प्रदेश के दो जिले इंदौर एवं भोपाल में ही साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 2 प्रतिशत से अधिक है। इंदौर में साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 2.1 प्रतिशत तथा भोपाल में 2.2 प्रतिशत है।

#### 3135 मरीज अस्पतालों में

प्रदेश में कोरोना के 3135 मरीज अस्पतालों में उपचाररत हैं। इनमें से 1315 मरीज आईसीयू में, 1227 मरीज ऑक्सीजन बेड्स पर और 593 मरीज सामान्य बेड्स पर हैं। होम आइसोलेशन में 3936 मरीज हैं।

## परियोजनाओं में कटने वाले वृक्षों से अधिक वृक्ष लगाए जाएं

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान वन विभाग द्वारा दी जाने वाली स्वीकृतियों तथा कैम्पा फण्ड के उपयोग संबंधी बैठक को संबोधित करते हुये।

**भोपाल,** मध्यप्रदेश में विकास परियोजनाओं में कटने वाले वृक्षों से कई गुना अधिक वृक्ष लगाए जाएं, जिससे पर्यावरण को हानि न हो। लगाए गए पौधों की सुरक्षा और देखभाल की जाए। छतरपुर जिले की विकास परियोजना में दो लाख वृक्ष कटने का अनुमान है। इनके स्थान पर वहां 10 लाख पौधे लगाए जाएं। कैम्पा फण्ड का उपयोग क्षतिपूर्ति, वनीकरण, वृक्षारोपण, रखरखाव, बिगड़े वनों के सुधार, वन्यप्राणी रहवास विकास, वन एवं वन्यप्राणी प्रबंधन और वन अधोसंरचना विकास आदि कार्यों के लिए किया जाए। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित मंत्रालय में विकास परियोजनाओं में वन विभाग द्वारा दी जाने वाली स्वीकृतियों तथा प्रदेश में कैम्पा फण्ड के उपयोग संबंधी बैठक को संबोधित करते हुए कहीं।

बैठक में बताया गया कि कैम्पा फण्ड से इस वर्ष प्रदेश में 33 हजार 686 हेक्टेयर क्षेत्र में तीन करोड़ 36 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं। गत वर्ष प्रदेश के 38 हजार 63 हेक्टेयर क्षेत्रफल में दो करोड़ 86 लाख पौधे लगाए गए थे।

#### कैम्पा फण्ड से कराए गए कार्य

कैम्पा फण्ड से मध्यप्रदेश में वृक्षारोपण क्षेत्र की तैयारी 33 हजार 687 हेक्टेयर में, वृक्षारोपण एवं रख-रखाव 69 हजार 57.57 हेक्टेयर में, बिगड़े वनों का सुधार 6 हजार 194.51 हेक्टेयर में, वन्य-प्राणी रहवास विकास 12 हजार 577.20 हेक्टेयर क्षेत्र में, आवास क्षेत्र उपचार 7 हजार 362 हेक्टेयर में, बाँस वनों का सुधार 46 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में तथा अधो-संरचना विकास के कार्य, रोपणी उन्नयन (11 अनुसंधान विस्तार केन्द्रों) और डिपो उन्नयन (06) कार्य किए गए।

*(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)*

### अंदर के पृष्ठों पर


- **खेल चर्चा-** प्रमुख खेल गतिविधियों का विवरण
- **सामयिकी-** देश-विदेश की प्रमुख घटनाएं
- **चर्चा में-** प्रमुख चर्चित व्यक्तियों और ध्यान आकर्षित करने वाली खबरों की चर्चा
- **पिछला सप्ताह-** देश-विदेश की साप्ताहिक खबरों का संक्षिप्त विवरण

## 5 जून

### सीबीएसई अगले शैक्षणिक सत्र से शुरू करेगा दो नये कोर्स

● केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) अगले शैक्षणिक सत्र 2021-22 में स्कूलों में दो नये कोर्स कोडिंग और डाटा साइंस शुरू करने जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। श्री निशंक ने कहा कि हमने नई शिक्षा नीति के तहत यह वादा किया था कि स्कूलों के पाठ्यक्रमों में कोडिंग और डाटा साइंस को भी शामिल किया जायेगा। इन दोनों नये कोर्स का उद्देश्य बच्चों की तार्किक क्षमता में वृद्धि करना है। सीबीएसई ने इस संबंध में अपने से संबद्ध स्कूलों को दिशा-निर्देश जारी कर कहा कि कोडिंग विषय को कक्षा छठवीं से आठवीं तक में 12 घंटे के स्किल मॉड्यूल के तौर पर शामिल किया जाये तथा डाटा साइंस विषय को कक्षा आठवीं में 12 घंटे के स्किल मॉड्यूल के तौर पर शामिल किया जायेगा और कक्षा ग्यारहवीं-बारहवीं में इसे स्किल विषय के तौर पर शामिल किया जायेगा।

● ब्राजील ने देश में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिये भारतीय दवा कंपनी भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन के आयात को मंजूरी प्रदान की है। कोवैक्सीन के अलावा रूस की स्पूतनिक-वी वैक्सीन के आयात को भी मंजूरी मिली है। यह जानकारी ब्राजील की नेशनल हेल्थ सर्विलांस एजेंसी एनविसा ने दी है। एनविसा ने कहा कि ब्राजीलियन सरकार ने कोवैक्सीन के सीमित डोज ही आयात करने की मंजूरी दी है। कोवैक्सीन के इस्तेमाल तथा जांच के बाद ही अगला ऑर्डर दिया जायेगा। माना जा रहा है कि मंजूरी मिलने के बाद भारत बायोटेक पहली खेप के तौर पर कोवैक्सीन के 40 लाख डोज ब्राजील सरकार को दे सकती है।

## 6 जून

### सीरम इंस्टीट्यूट रूसी वैक्सीन स्पूतनिक-वी का निर्माण भी करेगी

● भारतीय कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट अब रूसी कोरोना वैक्सीन स्पूतनिक-वी का निर्माण भी करेगी। भारत की दवा नियामक संस्था डीसीजीआई ने कुछ शर्तों के साथ सीरम को स्पूतनिक-वी वैक्सीन बनाने की मंजूरी दी है। सीरम ने डीसीजीआई से इस वैक्सीन की जांच और विश्लेषण की अनुमति मांगी थी। सीरम ने रूसी कंपनी गमालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी एंड माइक्रो बायोलॉजी के साथ स्पूतनिक-वी के निर्माण के लिये करार किया है। सीरम ने बताया कि स्पूतनिक-वी वैक्सीन का निर्माण हड़पसर संयंत्र में किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि भारत में डॉ. रेड्डीज लेबोरेटरीज पहले से ही स्पूतनिक-वी का निर्माण कर रही है।

● ब्रिटेन में वयस्कों के टीकाकरण के बाद अब बच्चों के टीकाकरण की तैयारी शुरू हो गई है। ब्रिटिश दवा नियामक ने 12 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों को फाइजर-बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी प्रदान की है। ब्रिटिश दवा नियामक ने कहा कि कड़ी समीक्षा के बाद यह पाया गया है कि फाइजर की वैक्सीन 12 से 15 वर्ष के बच्चों के लिये पूरी तरह सुरक्षित है। यूरोपियन मेडिकल एजेंसी पहले ही बच्चों के टीकाकरण के लिये फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी प्रदान कर चुकी है।

## 7 जून

### वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वाले हवाई यात्रियों को मिल सकती है छूट

● कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों को हवाई यात्रा के लिये

आरटीपीसीआर रिपोर्ट से छूट दी जा सकती है। केंद्र सरकार इस व्यवस्था को लागू करने पर विचार कर रही है। यह जानकारी केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने दी। श्री पुरी ने बताया कि इस संबंध में अंतिम निर्णय विभिन्न मंत्रालयों और हितधारकों की संयुक्त टीम के साथ विचार करने के बाद लिया जायेगा। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा कि इस व्यवस्था का उद्देश्य घरेलू हवाई यात्रा को बाधामुक्त और सुरक्षित बनाना है। अभी घरेलू हवाई यात्रियों को यात्रा से पहले निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होती है।

● केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा व्यवस्था का परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) जारी किया है। वर्ष 2019-20 के लिये जारी किये गये पीजीए में पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान एवं निकोबार और केरल को उच्चतम ग्रेड ए प्लस प्लस (A ++) दिया गया है। वहीं दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पुडुचेरी और दादर एवं नागर हवेली को ए प्लस (A +) ग्रेड मिला है। इस बार पंजाब, राजस्थान, बंगाल, आंध्रप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में 10-20 प्रतिशत सुधार हुआ है, जबकि 13 राज्यों में शिक्षा सुविधाओं में 15 या उससे अधिक अंकों का सुधार दर्ज किया गया है। उल्लेखनीय है कि देश में शिक्षा व्यवस्था में बदलाव को प्रोत्साहित करने के लिये शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2019 परफॉरमेंस ग्रेडिंग इंडेक्स शुरू किया था। इस इंडेक्स के तहत राज्यों में शिक्षा व्यवस्था 70 मापदंडों पर परखी जाती है।

● हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में चीनी विश्वविद्यालय कैंपस बनाये जाने के खिलाफ हजारों नागरिक सड़कों पर विरोध प्रदर्शन के लिये उतर आये हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर चीनी विश्वविद्यालय बनता है तो देश की अपनी शिक्षा व्यवस्था खतरे में पड़ जायेगी। लोगों का कहना है कि चीनी बैंक विश्वविद्यालय के लिये लगभग एक हजार करोड़ रुपये का ऋण दे रहा है, इस कर्ज के जरिये चीन हमें दबाना चाहता है।

## 8 जून

### आईसीएआई ने सीए फाउंडेशन परीक्षा की स्थगित

● चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने देश में कोरोना संक्रमण

की स्थिति को देखते हुये चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) फाउंडेशन पाठ्यक्रम की परीक्षा स्थगित कर दी है। आईसीएआई ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि कोरोना संक्रमण से छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये यह फैसला लिया गया है। पहले यह परीक्षा 24 जून से आयोजित होनी थी, लेकिन अब इसे 24 जुलाई से आयोजित किया जायेगा। नोटिफिकेशन के अनुसार आईसीएआई ने सीए फाउंडेशन पाठ्यक्रम के साथ इंटरमीडिएट (आईपीसी), इंटरमीडिएट, फाइनल (ओल्ड एवं न्यू स्कीम) और पोस्ट क्वालिफिकेशन परीक्षाओं-इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनेशनल टैक्सेशन-असेसमेंट टेस्ट का शेड्यूल भी रिवाइज्ड किया है।

● केंद्र सरकार ने विदेश जाने वाले लोगों के लिये स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के दूसरे डोज की अवधि में छूट देने का फैसला किया है। सरकार ने कहा कि इस छूट का लाभ विदेशों में पढ़ाई के लिये जाने वाले छात्रों, कामगारों तथा टोक्यो ओलिंपिक में भाग लेने के लिये जाने वाले खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को मिलेगा। सरकार द्वारा कहा गया है कि इन लोगों को कोविशील्ड के पहले और दूसरे होज के बीच निर्धारित समय-सीमा में छूट दी गई है। इन लोगों को अब 84 दिन की जगह 28 दिन में दूसरा डोज लगाया जा सकता है।

● पाकिस्तान के सिंध प्रांत में दो यात्री ट्रेनों की भीषण टक्कर हुई। इस हादसे में 50 लोगों की मौत हो गई, जबकि 70 से अधिक लोग घायल हुये हैं। पाकिस्तान रेलवे के प्रवक्ता के अनुसार यह दुर्घटना उस समय हुई जब कराची से सरगोधा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। इस बीच रावलपिंडी से कराची जा रही सैयद एक्सप्रेस से मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां टकरा गईं। इस हादसे में 14 बोगियां पटरी से उतर गईं, जिनमें से आठ बोगियां पूरी तरह नष्ट हो गईं।

## 9 जून

### केंद्र सरकार ने निजी अस्पतालों के लिये तय की वैक्सीन की कीमतें

● केंद्र सरकार ने टीकाकरण की नई व्यवस्था के तहत निजी अस्पतालों में लगने वाली कोरोना वैक्सीन की कीमतें तय कर दी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार निजी अस्पतालों में सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड की एक डोज की अधिकतम कीमत 780 रुपये होगी। वहीं भारत बायोटेक की कोवैक्सीन 1410 रुपये तथा रूसी वैक्सीन स्पूतनिक-वी की कीमत 1145 रुपये तय की गई है। नये दिशा-निर्देश के अनुसार केंद्र सरकार वैक्सीन निर्माताओं से राज्य के कोटे के 25 प्रतिशत सहित 75 प्रतिशत डोज खरीदकर राज्यों को मुफ्त देगा। वहीं 25 प्रतिशत टीके निजी अस्पताल खरीद सकेंगे। दिशा-निर्देश के अनुसार निजी अस्पताल वैक्सीन के एक डोज के लिये 150 रुपये सर्विस चार्ज के रूप में वसूल सकते हैं।

● अमेरिका की नौसेना और विमानन कंपनी बोइंग ने पहली बार मानव रहित ड्रोन के जरिये विमान में ईंधन भरने का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण के दौरान मानव रहित ड्रोन एमक्यू-25 टी 1 ने ईंधन के साथ उड़ान भरी थी। इस दौरान ड्रोन ने हवा में एफए-18 सुपर हॉर्नेट विमान में 1 लीटर ईंधन भरा और सकुशल लौट आया। यह परीक्षण युद्ध की परिस्थिति में सामरिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। इससे पहले हवा में रिफ्यूलिंग के लिये विशेष विमानों का सहारा लिया जाता था।

● विश्व की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में से एक मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान (एमआईटी) के इंजीनियरों ने छोटे कार्बन कणों (कार्बन नैनोट्यूब) से बिजली पैदा करने का नया तरीका ईजाद किया है। ये कार्बन नैनोट्यूब आसपास के वातावरण के तरह कणों (कार्बनिक बिलायक) के साथ मिलकर करंट उत्पन्न कर सकते हैं। एमआईटी के अनुसार प्रति कण लगभग 0.7 वोल्ट बिजली उत्पन्न हो सकता है। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने बताया कि इस प्रक्रिया में बिना तारों के इलेक्ट्रो कैमिस्ट्री बनती है।

## 10 जून

### दस अगस्त से शुरू होंगी कंपनी सेक्रेटरी कोर्स की परीक्षाएं

● इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) ने कंपनी सेक्रेटरी

THE INSTITUTE OF Company Secretaries of India
IN PURSUIT OF PROFESSIONAL EXCELLENCE
Statutory body under an Act of Parliament

(सीएस) फाउंडेशन, प्रोफेशनल और एक्जीक्यूटिव प्रोग्राम पाठ्यक्रम की परीक्षाओं का संशोधित शेड्यूल जारी किया है। नये शेड्यूल के अनुसार इन कोर्सों की परीक्षाएं 10 अगस्त 2021 से शुरू होंगी। सीएस फाउंडेशन की परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की जायेगी, जबकि प्रोफेशनल और एक्जीक्यूटिव कोर्स की परीक्षा एक शिफ्ट में आयोजित होंगी। आईसीएसआई ने परीक्षा के लिये आवेदन करने वाले उम्मीदवारों से कहा कि परीक्षा के संबंध में लेटेस्ट अपडेट के लिये आधिकारिक वेबसाइट को चेक करते रहें। आईसीएसआई ने कहा कि जो उम्मीदवार परीक्षा फॉर्म भरने के दौरान चुने गये परीक्षा केंद्र में संशोधन कराना चाहते हैं, वे वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

● कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद मिले वैक्सीन सर्टिफिकेट पर अब व्यक्तिगत विवरण ऑनलाइन सुधारा जा सकता है। केंद्र सरकार ने घोषणा करते हुये कहा कि अब वैक्सीन सर्टिफिकेट पर अपना नाम, जन्म तिथि और जेंडर में सुधार किया जा सकता है। उपयोगकर्ता यह सुधार कोविन वेबसाइट के जरिये कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बताया गया कि जिन लोगों को टीके की एक खुराक लगी है, उन्हें अपने होम स्क्रीन पर टीकाकरण स्थिति के समक्ष नीले रंग का एक टिक दिखाई देगा और वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके लोगों को एप पर 14 दिन बाद नीले रंग के दो टिक दिखाई देंगे।

● अमेरिकी देश अल सल्वाडोर क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन को औपचारिक मान्यता देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। अल सल्वाडोर की संसद में बिटकॉइन को 62 की तुलना में 84 वोट से मंजूरी मिली। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायिब बुकेले ने ट्वीट कर बिटकॉइन को कानूनी दर्जा दिये जाने की जानकारी दी। बुकेले ने कहा कि देश की कानूनी मुद्रा बन जाने के बाद बिटकॉइन पर कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगाया जायेगा।

## 11 जून

### कोरोना संक्रमित बच्चों के इलाज के लिये नई गाइडलाइन जारी

● केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (डीजीएचसी) ने कोरोना संक्रमित बच्चों और किशोरों के इलाज के लिये नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। दिशा-निर्देश के अनुसार कोरोना संक्रमित बच्चों और किशोरों के इलाज में रेमडेसिविर इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। साथ ही स्टेरॉयड्स भी देने से बचा जाये। डीजीएचसी के अनुसार हल्के लक्षण वाले बच्चों के इलाज में स्टेरॉयड्स के इस्तेमाल से खतरनाक परिणाम सामने आ सकते हैं। दिशा-निर्देश के अनुसार सिर्फ अस्पताल में भर्ती किये जाने वाले मध्यम से गंभीर लक्षण वाले बच्चों को डॉक्टर्स की देख-रेख में ही स्टेरॉयड्स दिये जा सकते हैं। इसके अलावा डीजीएचसी ने संक्रमण की जांच के लिये सीटी स्कैन भी कम से कम करने की सलाह दी है।

● केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने रसोई गैस उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। सरकार ने उपभोक्ताओं को यह तय करने की अनुमति दी है कि वे किस डिस्ट्रीब्यूटर से गैस सिलेंडर रिफिल करवाना चाहते हैं। इसके लिये उपभोक्ता को अपनी तेल विपणन कंपनी के उन डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूटर में से किसी एक को चुन सकते हैं, जो उनके क्षेत्र में एलपीजी वितरण करता है। यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चंडीगढ़, कोयम्बटूर, गुड़गांव, पुणे और रांची में शुरू की जायेगी।

● भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने एटीएम मशीन से कैश और नॉन कैश

ट्रांजेक्शन पर मुफ्त सीमा के बाद लगने वाला शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है। यह व्यवस्था एक जनवरी 2022 से लागू होगी। इस फैसले के तहत बैंकिंग उपभोक्ताओं को मुफ्त सीमा के बाद एटीएम ट्रांजेक्शन करने पर 20 रुपये की जगह 21 रुपये चार्ज देना होगा। उल्लेखनीय है कि उपभोक्ताओं को बैंकों की तरफ से हर महीने कैश और नॉन कैश ट्रांजेक्शन सहित पांच मुफ्त ट्रांजेक्शन की सुविधा मिलती है। इसके अलावा आरबीआई ने कहा कि बैंक एक अगस्त 2021 से प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर इंटरचेंज शुल्क को 15 रुपये से बढ़ाकर 17 रुपये कर सकते हैं।

*(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित फोटो : गूगल से साभार)*

वर्ष 38, अंक 24 14.06.2021 से 20.06.2021
रोज़गार और निर्माण
www rojgaraurnirman.in

● प्रबंध संचालक - डॉ. सुदाम खाड़े
● सम्पादक - पुष्पेन्द्र पाल सिंह
● कार्यकारी सम्पादक - राजीव तिवारी
● प्रभारी अधिकारी - नरेन्द्र कुमार बनवट (प्रसार एवं विज्ञापन)
● प्रबंधक - वंदना चतुर्वेदी (विज्ञापन एवं प्रसार)
● आकल्पन - हेमंत वायंगणकर, आशा रोमन, अरविन्द टोप्पो, सुशील लांडगे
● वेबसाइट - आत्माराम शर्मा

**वार्षिक सदस्य बनने के लिये** रुपये 500/- (पाँच सौ) का डी.डी., मनीऑर्डर अथवा पोस्टल ऑर्डर रोज़गार और निर्माण, भोपाल के नाम बनवाकर नीचे लिखे पते पर भेजें :-
**रोज़गार और निर्माण, मध्यप्रदेश माध्यम, 40 प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) पिन-462011**
फोन- 2760006, 2551330, 4281330, फैक्स - 4228409, **e-mail : madhyam.rojgar@gmail.com**
रोज़गार और निर्माण कार्यालय में नगद राशि जमा कर भी इसकी वार्षिक सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। रोज़गार और निर्माण में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि सम्पादक उससे सहमत हों। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र भोपाल रहेगा। रोज़गार और निर्माण में निजी संस्थाओं के विज्ञापन भी प्रकाशित किये जाते हैं, इन विज्ञापनों में किए गए दावे और तथ्य निजी संस्थाओं के अपने होते हैं। इसका समाचार पत्र के प्रबंधन से कोई संबंध नहीं है।

## सम्पादकीय

# पौधा लगाने पर ही मिलेगी बिल्डिंग परमिशन

मध्यप्रदेश में अब बिल्डिंग परमिशन इसी शर्त पर दी जायेगी कि मकान बनाने वाला व्यक्ति एक पेड़ अवश्य लगायेगा। नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत अर्थात् जिस भी स्तर का नगरीय निकाय हो, बिल्डिंग परमिशन के लिये पौधा लगाने की शर्त अनिवार्य होगी। घर पर जगह न होने की स्थिति में पार्क या सार्वजनिक स्थल पर पौधा लगाना और उसकी सुरक्षा करना आवश्यक होगा। उपरोक्त बातें मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहीं। मुख्यमंत्री विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदेशव्यापी अंकुर वृक्षारोपण अभियान के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 5 जिलों के अंकुर अभियान के जिला नोडल अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में भी ग्राम पंचायतों की यह जिम्मेदारी होगी कि जो भी मकान बनें, उसमें एक पेड़ अवश्य लगे। यह शर्त प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनने वाले आवासों पर भी लागू रहेगी। घरों के अलावा स्कूल, पंचायत भवन और खेत में भी पेड़ लगाये जायेंगे। सरकारी भवनों और कार्यालयों के लिये भी यह शर्त रहेगी। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जितने फ्लैट बनेंगे, उतने पेड़ बिल्डर को लगाने होंगे। सभी शासकीय गैर शासकीय भवनों के निर्माण में पेड़ लगाने की शर्त जोड़ी जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यक्ति स्व-प्रेरणा से भी पेड़ लगायेंगे, क्योंकि पर्यावरण सुधार हमारे लिये नारा नहीं मंत्र है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से पर्यावरण बचाने में सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी देशवासियों को साल में एक बार पेड़ अवश्य लगाना चाहिये, क्योंकि पौधा रोपना जीवन रोपने के समान है। पेड़ ही जीवित ऑक्सीजन प्लांट हैं। पेड़ हमें जीवन देते हैं, एक बड़ा पेड़ कई पक्षियों, जीव-जंतुओं को आश्रय प्रदान करता है। प्रत्येक पेड़ की पर्यावरण संतुलन बनाये रखने में भूमिका है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से हर खुशी के मौके, जन्मदिन, विवाह-वर्षगांठ और माता-पिता और अपने प्रिय व्यक्तियों की पुण्यतिथि पर उनकी याद में एक पौधा लगाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसहभागिता से वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने के लिये अंकुर कार्यक्रम आरंभ किया गया है। इस कार्यक्रम में अब तक 15 हजार से अधिक प्रतिभागियों द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया गया है। लगभग 2500 से अधिक प्रतिभागियों द्वारा वृक्षारोपण कर एप पर उसके फोटो अपलोड किये गये हैं। जो पेड़ लगायेंगे उन्हें वृक्ष वीर और वृक्ष वीरांगना की संज्ञा दी जायेगी। इनमें से चयनित प्रतिभागियों को प्राणवायु अवॉर्ड से सम्मानित भी किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि हमें धरती बचानी है और धरती को आने वाली पीढ़ियों के रहने लायक रखना है तो पर्यावरण बचाना आवश्यक है। इसके लिये पेड़ लगाना और नदियों को बचाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने अंकुर अभियान के प्रतिभागियों से बातचीत भी की। रायसेन की 7 वर्षीय कोपल श्रीवास्तव ने बताया कि उसके माता-पिता ने पौधा लगाने के लिये उसे प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने बेटी को ऐसे संस्कार और प्रेरणा देने के लिये माता-पिता को धन्यवाद देते हुये कहा कि 7 साल की कोपल ने तो ब्रांड एम्बेसेडर जैसा काम किया है। रायसेन के ही रितिक धाकड़ ने बताया कि उसे अभियान के बारे में ट्विटर से जानकारी मिली और देश के लिये कुछ करने की भावना से पौधा लगाया। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया अंकुर अभियान पर्यावरण बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस तरह के अभियान से निश्चित रूप से प्रदेश में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन मिलेगा और आने वाले दिनों में इसके बेहतर परिणाम भी देखने को मिलेंगे।

# इंसान का मददगार रोबोटिक अंगूठा

मनुष्य के दोनों हाथों में दस अंगुलियां होती हैं। इन्हीं अंगुलियों में दो अंगूठे भी शामिल हैं। यदि इन्हीं हाथों में एक अतिरिक्त रोबोटिक अंगूठा जुड़ जाये, तो उसका क्या फायदा होगा, आइये आपको बताते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने इसे कैसे किया। यहां के वैज्ञानिकों ने एक रोबोटिक 3डी प्रिन्टेड अंगूठा विकसित किया है। इसे बड़ी अंगुलियों के नीचे दबाव सेंसर का उपयोग करके नियंत्रित किया जाता है। गौरतलब है कि यह रोबोटिक अंगूठा हाथ की तरह वास्तविक अंगूठे के विपरित यानि छोटी अंगुली के पास पहना जाता है। परीक्षण के दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि मनुष्य का दिमाग भी एक अतिरिक्त अंगूठे के इस्तेमाल के लिये अभ्यस्त हो सकता है। साथ ही यह मस्तिष्क और जैविक हाथ के बीच के संबंध को भी बदल सकता है। इसके शोधकर्ताओं ने बताया है कि रोबोटिक अंगूठे का उपयोग करने के लिये प्रशिक्षित प्रतिभागियों को भी तेजी से महसूस हुआ कि यह अलग नहीं, बल्कि शरीर का एक हिस्सा था। प्रयोग में पाया गया कि जिन प्रतिभागियों को तीसरा अंगूठा पहनाया गया, वह एक हाथ से ब्लॉकों का टावर बनाने से लेकर तमाम कार्यों को कुशल और प्रभावी तरीके से अंजाम देने में सफल हुए। यह अतिरिक्त अंगूठा होने से लोग सामान्य से अधिक सामान ले जा सकते हैं। एक हाथ से कोल्डड्रिंक की बोतल पकड़ कर इसे खोल सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह बेहद कारगर आविष्कार है।

- देवेश तिवारी
(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर लिखते हैं)

विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून

# बाल श्रम अवैधानिक ही नहीं अनैतिक और अमानवीय भी है

बाल श्रम के निषेध और उसके प्रति विरोध एवं बाल श्रम को समाप्त करने एवं जनसामान्य को जागरूक करने के लिये प्रति वर्ष 12 जून को विश्व बालश्रम विरोध दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बार आपने अखबार के सम्पादकीय में लिखा था कि बाल श्रम अवैधानिक ही नहीं, अनैतिक और अमानवीय भी है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने वर्ष 2002 में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाने की शुरुआत की थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र की एक शाखा है। यह संगठन मजदूरों तथा श्रमिकों के हक के लिए नियम बनाती है, जिसका सख्ती से पालन करवाया जाता है। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कई बार पुरस्कृत भी हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार बाल श्रम को रोकने अथवा निषेध लगाने पर बल दिया था, जिसके बाद वर्ष 2002 में सर्वसम्मति से एक कानून पारित किया गया। इस कानून के तहत चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम करवाने को अपराध माना गया। इसी साल पहली बार बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया गया था। संगठन के अनुमान के मुताबिक विश्व में इक्कीस करोड़ अस्सी लाख बाल श्रमिक हैं। भारत में भी यह संख्या काफी अधिक है। यह सच है कि समूचे विश्व के साथ-साथ भारत में भी बाल श्रम की समस्या एक चुनौती बनती जा रही है। मगर सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाये हैं। समस्या के विस्तार और गंभीरता को देखते हुए इसे एक सामाजिक-आर्थिक समस्या माना है जो चेतना की कमी, गरीबी और निरक्षरता से जुड़ी हुई है।

### कोरोना संक्रमण के कठिन समय में बाल श्रम में बढ़ोतरी की आशंका

कोरोना संक्रमण की दर कम रखने के लिए दुनिया के अनेक देशों ने अपने यहां लॉकडाउन लगाया। इस दौरान व्यापारिक गतिविधियां, कल-कारखाने बंद रहे। इससे करोड़ों लोगों को बेरोज़गार होना पड़ा और उनके परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया।

यूनीसेफ का अनुमान है कि इन परिस्थितियों के कारण दुनियाभर में बाल श्रम में बढ़ोतरी हो सकती है। गरीबी से त्रस्त परिवार बच्चों को खतरनाक औद्योगिक गतिविधियों में भी काम करने को भेज सकते हैं। इस एक आशंका से निपटने के लिये सरकार, स्वयंसेवी संगठनों और समाजसेवियों को आगे आना होगा। इधर यूनीसेफ का ही यह भी अनुमान है कि यदि किसी देश की गरीबी में एक फीसदी की बढ़ोतरी होती है, तो इससे बाल श्रम के मामलों में लगभग 0.7 फीसदी की बढ़ोतरी होने की आशंका रहती है। कोरोना काल में गरीब देशों में इसका व्यापक नकारात्मक असर देखने को मिल था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मानना है कि गरीब लोग अपने बच्चों को बाल श्रम के लिए भेजने पर मजबूर हो सकते हैं। संगठन के महासचिव ने कहा है कि ऐसे दौर में बच्चों को सामाजिक संरक्षण की विशेष आवश्यकता है। ऐसा न हो पाने पर उनके संपूर्ण विकास पर गहरी नकारात्मक चोट पहुंच सकती है। कोरोना काल के दौरान बच्चों की शैक्षिक गतिविधियां थमने से करोड़ों बच्चों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर शैक्षिक गतिविधियों को ठप रखने की समस्या लम्बी खिंचती है तो इससे बच्चों के विकास पर गहरा नकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मानना है कि बच्चों का भविष्य बचाने के लिए विशेष सामाजिक सुरक्षा की दरकार है और इसका मुकम्मल इंतजाम करना होगा।

### संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य में शामिल है बाल श्रम उन्मूलन

बाल श्रम सहित बच्चों की विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रयास वर्ष 1990 में हुआ था। अक्टूबर 1990 में न्यूयॉर्क में इस विषय पर एक विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें एक सौ इक्यावन राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था तथा गरीबी, कुपोषण व भुखमरी के शिकार दुनिया भर के करोड़ों बच्चों की समस्याओं पर विचार-विमर्श किया था। संगठन संयुक्त राष्ट्र सतत विकास के उस लक्ष्य की ओर भी अग्रसर है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा वर्ष 2025 तक बाल श्रम को समाप्त करने के लिए निर्धारित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रचारित 2030 तक सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है और इसी परिप्रेक्ष्य में बाल श्रम का समापन भी हर हाल में किया जाना है। बाल श्रम पर अंकुश लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सहित कई संस्थान प्रयास कर रहे हैं। कहा जाता है कि बाल श्रम से मुक्त होने वाले बच्चे को उसकी क्षमता और आत्म-मूल्य का पता चलता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे बच्चे देश और दुनिया के आर्थिक और सामाजिक विकास में भी योगदान देंगे, क्योंकि बच्चे देश का भविष्य हैं।

### गुरुपद स्वामी समिति ने गरीबी को बाल श्रम का प्रमुख कारण बताया

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1979 में बाल श्रम को खत्म करने के उपाय के रूप में गुरुपद स्वामी समिति का गठन किया गया था। बालश्रम से जुड़ी सभी समस्याओं के अध्ययन के बाद गुरुपद स्वामी समिति द्वारा कुछ सिफारिश प्रस्तुत की गई थी, जिसमें गरीबी को बाल श्रम के मुख्य कारण के रूप में देखा गया था। समिति ने तब यह सुझाव दिया था कि खतरनाक क्षेत्रों में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया जाए एवं उन क्षेत्रों के कार्य के स्तर में सुधार किया जाए। समिति द्वारा बाल श्रम करने वाले बच्चों की समस्याओं के निराकरण के लिए बहुआयामी नीति की जरूरत पर भी बल दिया गया था। समिति के सिफारिश के आधार पर वर्ष 1986 में बाल श्रम निषेध व नियमन अधिनियम अस्तित्व में आया, जिसमें विशेष खतरनाक व्यवसाय व प्रक्रिया के बच्चों के रोज़गार एवं अन्य वर्ग के लिए कार्य की शर्तों का निर्धारण किया गया। इसके बाद बाल श्रम के लिए विशेष नीति बनाई गई, जिसमें जोखिम भरे व्यवसाय एवं प्रक्रियाओं में लिप्त बच्चों के पुर्नवास पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। बाल श्रम निषेध व नियमन कानून 1986 के अनुसार चौदह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए अहितकर तेरह पेशे और सत्तावन प्रक्रियाओं में, नियोजन को निषिद्ध बनाया गया है। इस अधिनियम के पहले तक किस बाल श्रम को खतरनाक और किस बाल श्रम को गैर खतरनाक की श्रेणी में रखा जाये इसको लेकर असमंजस था मगर इस अधिनियम ने विधिक संशोधन कर ढाबों, घरों और होटलों में बालश्रम करवाने को दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया। भारत में बाल श्रम के खिलाफ कार्रवाई में न्यायिक हस्तक्षेप वर्ष 1996 में उच्चतम न्यायालय के उस फैसले से आया, जिसमें संघीय और राज्य सरकारों को खतरनाक प्रक्रियाओं और पेशों में काम करने वाले बच्चों की पहचान करने, उन्हें काम से हटाने और उन्हें शिक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया।

### बाल श्रम उन्मूलन के लिये दिशा तय करती है निर्धारित थीम

वैश्विक आयोजन जिनका निर्धारण संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया जाता है उनके लिये प्रस्तावित कार्यक्रम की एक थीम भी घोषित की जाती है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के लिये भी प्रतिवर्ष घोषित यह थीम ही बाल श्रम उन्मूलन की दिशा तय करती है। विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस 2020 की थीम थी- 'बच्चों को बाल श्रम से बचाना आज ज्यादा प्रासंगिक है' (प्रोटेक्ट चाइल्ड लेबर, नाऊ मोर देन एवर)। कोरोना महामारी में अर्थ व्यवस्था और श्रम बाजार ने लोगों और उनकी आजीविका पर बहुत प्रभाव डाला है। दुर्भाग्य से, बच्चे इस दुरावस्था में सबसे पहले पीड़ित होते हैं। यह संकट लाखों कमजोर बच्चों को भी बाल श्रम में धकेल सकता है। विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस 2019 की थीम थी- 'बच्चों को फील्ड में नहीं, सपनों की सच्चाई में विचरण करना चाहिए' (चिल्ड्रन शुडन्ट वर्क इन फील्ड, बट ऑन ड्रीम्स)। दुनियाभर में कृषि क्षेत्र में काम करने वाले बच्चों के विकास पर केंद्रित था यह विषय। यूं तो लगभग हर क्षेत्र में बाल श्रम मौजूद है। लेकिन काफी बच्चे कृषि क्षेत्र में भी कार्यरत हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में इस साल इन बच्चों के मुद्दों पर चर्चा हुई। वर्ष 2018 की थीम थी- हमें पीढ़ी को सुरक्षित और स्वस्थ्य रखना है (जनरेशन सेफ एण्ड हेल्दी), वर्ष 2017 की थीम थी- संघर्ष और आपदाओं में बच्चों को बाल श्रम से बचाओ (इन कॉन्फ्लिक्ट एण्ड डिजास्टर प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्राम चाइल्ड लेबर), वर्ष 2016 की थीम थी- आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाल श्रम को समाप्त करो, जो अब एकदम सामान्य बात है (इंड चाइल्ड लेबर इन सप्लाई चेन्स -इट्स एवरीवन्स बिजनेस) और वर्ष 2015 की थीम थी- बाल श्रम को ना कहो, अच्छी शिक्षा को हाँ कहो (नो टू चाइल्ड लेबर, यस टू क्वालिटी एज्यूकेशन)। प्रति वर्ष इन थीम से ही बाल श्रम उन्मूलन की दिशा तय होती है।

### नियोजकों का स्वार्थ भी है बाल श्रम का एक कारण

बाल श्रम की समस्या के मूल कारणों में गरीबी एक प्रमुख कारण है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है, किन्तु इस विषय पर हुए अनेक अनुसंधानों द्वारा यह तथ्य भी सामने आया है कि इसके केंद्र में गरीबी कम और उत्पादकों व नियोजकों के निजी हित यानी स्वार्थ अधिक हैं। बाल श्रम सस्ता पड़ता है तथा उनसे किसी प्रकार के विरोध यथा आंदोलन, धरना, हड़ताल की कम आशंका होती है। इनका शोषण वयस्कों की अपेक्षा सहज है। एक अनुमान के अनुसार यदि किसी कारखाने में सारे श्रमिक बच्चे हों तो लाभ में भी काफी वृद्धि हो जाती है। विभिन्न खदानों में लगभग छप्पन प्रतिशत बाल मजदूर हैं जो पन्द्रह वर्ष से कम आयु के हैं। इसका कारण यह है कि उनका कद और वजन उस परिस्थिति के अनुकूल होने से उन्हें गहराई में आसानी से भेजा जा सकता है। भारत में बाल श्रम उन्मूलन और बचपन बचाओ अभियान के लिये निर्णायक लड़ाई लड़ने वाले शांति के नोबल पुरस्कार से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी का मानना है कि जब तक बच्चों के शोषण को रोकने की चेष्टा समाज और बच्चे के परिवारजन नहीं करेंगे तब तक ऐसा कोई भी प्रयत्न फलदायी नहीं होगा।

**राजा दुबे**
(लेखक, जनसम्पर्क विभाग से सेवानिवृत्त संयुक्त संचालक हैं)

# मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
## रेसीडेंसी एरिया - इंदौर
## सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
### परीक्षा 2021

**विज्ञापन क्रमांक 03/2021/07.06.2021**
**गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन**

**ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 16.07.2021**

## महत्वपूर्ण

1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा **गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन** हेतु **सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी** के कुल 92 पदों की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता निम्नानुसार है :-
   **शैक्षणिक अर्हता**
   किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में उपाधि या समकक्ष।
   **रोज़गार पंजीयन**
   अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोज़गार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
   **अधिमान्यता**
   प्रथम श्रेणी वाले या बार में विधि व्यवसाय में दो वर्ष पूर्ण करने वाले या उच्चतर अर्हता वाले व्यक्तियों को अधिमान्यता दी जावेगी।
   **अधिमान्यता के संदर्भ में स्पष्टीकरण**
   अंतिम चयन के स्तर पर समान अंकों की स्थिति में अधिमान्य अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जावेगी।
2. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जायेंगे आवेदन पत्र **दिनांक 17.06.2021 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 16.07.2021 (रात्रि 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in, www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर भरे जा सकते हैं।
   **आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन पत्रों में दिनांक 25.06.2021 से दिनांक 18.07.2021 तक त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति सुधार सत्र रु. 50/- त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। आवेदक त्रुटि सुधार हेतु एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त आवेदन सरसरी तौर पर अमान्य किए जाएगें तथा आयोग द्वारा इस सन्दर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।**
3. इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र तथा परीक्षा तिथि आदि की जानकारी यथा समय 'रोज़गार और निर्माण' समाचार-पत्र तथा आयोग की वेबसाइट **www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in** एवं **www.mppsc.com** पर प्रकाशित की जाएगी।
4. विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनायें, परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** एवं रोज़गार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा साथ ही अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिये गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर आवश्यक होने पर E-mail तथा SMS Alert भी प्रेषित किए जाएंगे। अतः अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने **ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर** का अवश्य उल्लेख करें तथा इसे अंतिम चयन परिणाम आने तक अपरिवर्तित रखें एवं आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।
5. **आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी एक व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आयें और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा।**
6. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 25181/2019 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

**एक** भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से **गृह विभाग, मध्यप्रदेश शासन**, के अंतर्गत निम्नलिखित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

| क्र. | पद का नाम | रिक्त पदों की संख्या | | | | | रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या | | | | | रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या | | | | कुल पदों की संख्या |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UR | SC | ST | OBC | EWS | UR | SC | ST | OBC | EWS | OH | VH | HH | MD | |
| 1 | सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी | 25 | 15 | 18 | 25 | 9 | 8 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 92 |

Abbreviations : UR - Unreserved, SC- Scheduled Caste, ST- Scheduled Tribe,
OBC - Other Backward Classes EWS-Economically Weaker Sections
OH - Orthopedic Handicapped, VH -Visual Handicapped, HH - Hearing Handicapped,
MD - Multiple Disability

**दो** **पद का विवरण**

**01** **पद का नाम** : सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी
**विभाग का नाम** : **गृह विभाग**
**श्रेणी** : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी
**पद स्थिति** : स्थायी
**वेतनमान** : रुपये 9300-34800+4200 ग्रेड पे तथा राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
**नोट** - उपरोक्त वेतनमान छठे वेतन आयोग अनुसार है। सातवें वेतनमान में तत्स्थानी वेतनमान देय होगा।
**पद के कर्तव्य** : मध्यप्रदेश में जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर दांडिक मामलों में न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में राज्य की ओर से लोकहित में पैरवी करना।

**तीन** **शैक्षणिक अर्हता** : किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में उपाधि या समकक्ष।
**रोज़गार पंजीयन** : **अभ्यर्थियों का मध्यप्रदेश राज्य के रोज़गार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।**
**अधिमान्यता** : प्रथम श्रेणी वाले या बार में विधि व्यवसाय में दो वर्ष पूर्ण करने वाले या उच्चतर अर्हता वाले व्यक्तियों को अधिमान्यता दी जावेगी।
**अधिमान्यता के संदर्भ में स्पष्टीकरण** :-
**टीप-** (1) अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त अर्हतायें ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिये आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी तिथि को उक्त अर्हतायें अर्जित करने वाले अभ्यर्थी विज्ञापित पदों हेतु विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।
(2) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि लिखित परीक्षा के परिणाम के पूर्व तक की जा सकेगी। बढ़े हुये पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।
(3) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जावेगी।
(4) किसी भी प्रवर्ग में मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिये आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।
(5) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित पद केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित है। छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में मान्य है, आरक्षण हेतु पात्र नहीं है। उन्हें अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जायेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को यह घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा की वे क्रीमीलेयर में नहीं आते।
(6) मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दृष्टिबाधित दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में छूट तथा यात्रा व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ देय होगा। अन्य दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ देय नहीं होगा।
(7) मध्यप्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।
(8) दिव्यांगता श्रेणी के केवल वे अभ्यर्थी आरक्षण तथा छूट हेतु पात्र है जो दिव्यांगता हेतु जिला चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी न्यूनतम 40 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र धारित करते हैं।

**चार** **मध्यप्रदेश सिविल सेवायें (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता** :-
अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।
ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें जुड़वा या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा।

**पांच** **महत्वपूर्ण** :- यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। ऑनलाइन परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी। नियुक्ति के पश्चात भी यदि सेवाकाल के दौरान किसी भी समय उसकी अनर्हता प्रमाणित होती है, तो उसका चयन निरस्त कर सेवा से पृथक किया जावेगा।

**छः** **आयु सीमा** :- 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

**सात** **आयु संगणना तिथि** :- **01.01.2022**
आयु सीमा में दी गयी अन्य छूटों के लिए **परिशिष्ट-1** देखें।

**आठ** **अधिवार्षिकी आयु** :- 62 वर्ष

**नौ** **चयन प्रक्रिया** :-
(1) चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण में एक प्रश्नपत्र की ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा की परीक्षा योजना इस विज्ञापन के **परिशिष्ट-4** तथा पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट **www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर इस विज्ञापन के साथ प्रकाशित किया गया है।
(2) परीक्षा में प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गों हेतु विज्ञापित रिक्तियों के 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु सफल घोषित किया जाएगा। परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को प्रश्न-पत्र के दोनों भाग में पृथक-पृथक कम से कम 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को अंकों में 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगी, इस प्रकार उनके लिये परीक्षा के प्रश्न-पत्र के दोनों भाग में पृथक-पृथक कम से कम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

**ऋणात्मक मूल्यांकन : प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्नपत्र का मूल्यांकन ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति से किया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर हेतु 3 अंक प्रदान किए जाएंगें तथा प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1 अंक कम किया जाएगा।**

**(3) परीक्षा परिणाम तथा आरक्षण प्रक्रिया :-**

**(क) अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु :** प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर संबन्धित प्रवर्ग हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में सफल घोषित किया जाएगा। अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम उसी श्रेणी में घोषित किया जाएगा जो उनके ऑनलाइन आवेदन-पत्र में उनकी श्रेणी के रूप में दर्ज है।

**(ख) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु :** मध्यप्रदेश के मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार आरक्षण प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा।

**(ग) अंतिम चयन परिणाम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का समायोजन :** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की भांति बिना किसी छूट के चयनित होते हैं उन्हें अनारक्षित श्रेणी हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध चयनित किया जाएगा किन्तु यह समायोजन केवल अंतिम चयन परिणाम के स्तर पर होगा, ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा के स्तर पर नहीं।

(4) परीक्षा परिणाम के साथ ही अभिलेख प्रेषण हेतु अंतिम तिथि निर्धारित कर परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से उनकी अर्हता से संबन्धित सभी अभिलेख प्राप्त किए जाएंगे तथा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा जो अभिलेखों की सूक्ष्म जांच उपरांत अर्ह पाये जायेंगे। साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित नहीं है।

(5) साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को चयन के लिये अनर्ह माना जायेगा। साक्षात्कार के लिये अभ्यर्थियों को बुलाने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। अर्हताधारी अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से SMS/आयोग की वेबसाइट **www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर सूचित किया जायेगा।

(6) उपरोक्त पदों पर अंतिम चयन प्रतियोगी परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के श्रेणीवार गुणानुक्रम के आधार पर होगा।

(7) आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(8) **चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।**

दस **फोटो पहचान-पत्र :** ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को निम्न में से कोई एक मूल फोटो पहचान-पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। फोटो परिचय-पत्र से अभ्यर्थी के पहचान की पुष्टि होने पर ही उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।

| | |
|---|---|
| 1 पासपोर्ट | 6 शासकीय सेवक के मामले में नियोक्ता द्वारा जारी परिचय पत्र |
| 2 मतदाता पहचान पत्र | 7 बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस की फोटोयुक्त पासबुक |
| 3 ड्रायविंग लायसेंस | 8 शैक्षणिक संस्थान द्वारा अधिकतम तीन वर्ष पूर्व तक जारी परिचय पत्र |
| 4 पैन कार्ड | 9 राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित नवीनतम फोटो परिचय-पत्र |
| 5 आधार कार्ड | |

ग्यारह **आवेदन प्रक्रिया :** उक्त पद हेतु आवेदन पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किये जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु **परिशिष्ट-2** का अवलोकन करें।

बारह विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनायें, ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** एवं रोज़गार और निर्माण समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा साथ ही अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिये गए E-mail Address तथा मोबाइल नंबर पर आवश्यक होने पर E-mail तथा SMS Alert भी प्रेषित किए जाएंगे। अतः अभ्यर्थी आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर **अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर** का अवश्य उल्लेख करें तथा उसे अंतिम चयन परिणाम तक अपरिवर्तित रखें एवं आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।

तेरह **अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-**

(i) आयु सीमा की छूट **परिशिष्ट-1**
(ii) आवेदन पत्र भरने के तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट-2**
(iii) ऑनलाइन परीक्षा से संबन्धित अन्य निर्देश **परिशिष्ट-3**
(iv) परीक्षा योजना **परिशिष्ट-4**

**सचिव**

**परिशिष्ट -1**

**(एक) उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें**

(1) **मध्यप्रदेश शासन,** सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 24 जुलाई 2019 अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/दिव्यांजगजन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी तथा **उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी।**

(2) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

**स्पष्टीकरण :-**

**भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।**

**(दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूट**

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

टीप :- **(1) परिशिष्ट-1 (दो)** के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/ योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों में से यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है, अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन तथा महिला अभ्यर्थियों को देय आरक्षण अथवा आयु सीमा में छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित मान्य होंगें।
(सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

**नोट :-** (01) उपरोक्त परिशिष्ट -1 (एक) (1 से 2) (दो) (1 से 2) मे उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) अभ्यर्थियों को उपरोक्त सभी छूट देय होंगी किन्तु समस्त छूट को शामिल करते हुये भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगें।

**परिशिष्ट-2**

**ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी**

1. **सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी** के पद हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है :-

1. उपरोक्त पदों हेतु आवेदन पत्र **www.mponline.gov.in, www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे।
2. अभ्यर्थी अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेविट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक अभ्यर्थी नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
4. अभ्यर्थी फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइल तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि आवेदन पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट है।
5. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिये कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिये गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।
6. आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, अभ्यर्थी द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रामाणिक जानकारी है अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र submit करने के पूर्व अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन submit करें।
7. आवेदन पत्र submit करने के वाद खुलने वाले popup window में आवेदक को उसके द्वारा आवेदन पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दवाकर पुनः फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दवाकर फार्म सवमिट करने पर आवेदन पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।
**अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन पत्र submit होने के वाद "proceed for payment" बटन दवाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।**
8. **त्रुटि सुधार सुविधा :-** अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक 25.06.2021 से 18.07.2021 तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र रु. 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये नस्तीबद्ध किया जायेगा। **अनारक्षित श्रेणी हेतु शुल्क रु. 2500 तथा आरक्षित श्रेणी हेतु रु. 1250 निर्धारित है अतः आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रु. 1250 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा आरक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/लिंग (महिला/पुरुष)/शासकीय सेवक/दिव्यांगता) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये नस्तीबद्ध किया जायेगा।**
9. अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें की उनके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। **विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।**

2. **परीक्षा तथा आवेदन शुल्क**

| मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु | शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु |
|---|---|
| रु. 500/- | रु. 1000/- |

सभी श्रेणी के आवेदकों को उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क रु. 40/- (सेवाकर सहित) अतिरिक्त देय होगा।

आवेदन एवं परीक्षा शुल्क एवं पोर्टल के शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्क धारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो एमपी ऑनलाइन के निम्न दूरभाष नंबर पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

**हेल्पलाइन : 0755-6720200**

केवल विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों को आवेदन एवं परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पद्धति से वापस किया जाएगा, किन्तु पोर्टल शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा ।

3. **ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि**

(अ) ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 16.07.2021 है। अंतिम तिथि को रात्रि 12:00 वजे के वाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा वंद कर दी जायेगी।

4. **अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई अभिलेख अपलोड नहीं करने हैं किन्तु साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अनुप्रमाणन पत्रक, उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा आवेदन पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-**

**आयु संबंधी प्रमाण के लिए :-** केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/ प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

**शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :-** हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके वाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें अभ्यर्थी ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंक सूचियां।

**शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :-** यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिये। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

**दिव्यांगता प्रमाण-पत्र :-** दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

**जाति के प्रमाण-पत्र** :- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के अधिकृत है द्वारा जारी किया गया हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जायेगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये उसे नस्तीबद्ध किया जायेगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जायेगा। विवाहित महिलायें विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र संलग्न करें। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

**अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा :-**

**घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप**

मैं ..... के विज्ञापन क्रमांक 03/2021, दिनांक 07.06.2021 के अंतर्गत आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूं

1. मैं ..... पिता श्री ..... निवासी ग्राम/कस्बा/ शहर/ ..... जिला ..... मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूं। मैं ..... जाति का/ की सदस्य हूं जो शासन द्वारा मध्यप्रदेश हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य है।
2. मैं यह भी घोषित करता/करती हूं कि मैं शासन के नवीनतम परिपत्रों द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार क्रीमीलेयर में नहीं आता/आती हूं।

हस्ताक्षर .....
नाम .....
रोल नंबर .....

(उक्त घोषणा-पत्र तथा जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति केवल साक्षात्कार के पूर्व प्रस्तुत किए जाने वाले अनुप्रमाणन-पत्र के साथ संलग्न करें)

**आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु** :- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।

**शासकीय सेवकों हेतु** :- नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

**परिशिष्ट - 1 की कंडिका-(दो-1)** के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

**परिशिष्ट - 1 की कंडिका-(दो-2)** के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5. जो अभ्यर्थी पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह अभिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। अभ्यर्थियों को यह ध्यान रखना चाहिये कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुये कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

6. **अनुशासनिक निर्देश** :-

यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-

01 जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या
02 प्रतिरूपण किया हो; या
03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
04 कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
05 ऐसे कथन दिये हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हो; या
06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या
07 परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या
08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक छति पहुंचाई हो; या
09 उनके द्वारा प्रवेश पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दिये गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिये गए अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो; या
10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार

**तब आयोग द्वारा** :-

(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरर्ह ठहरा सकेगा
और/या
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।

(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उसपर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।

(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।

**एवं तब शासन द्वारा** :-

उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7. **अनर्हतायें** :- ऐसे अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त की जायेगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

8. **ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश** :-

01 ऑनलाइन परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com** पर प्रकाशित किया जायेगा। अभ्यर्थियों को उनके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जायेगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जायेगा।

02 परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। अतः सफल अभ्यर्थी उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबन्धित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट **www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com** पर उपलब्ध कराये गए अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर, परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें। अपने ऑनलाइन आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति भी उक्त अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें।

03 साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वयंमेव समाप्त हो जायेगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में अभ्यर्थी को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जायेगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जायेगा।

9. **यात्रा व्यय का भुगतान** :-

(अ) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (नान क्रीमीलेयर) तथा दृष्टिबाधित दिव्यांगजन श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी जो कहीं सेवारत न हों, को ऑनलाइन परीक्षा तथा साक्षात्कार हेतु मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय की पात्रता होगी।

(ब) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित वर्तमान निवास के पते के शहर/ग्राम से उन्हें आवंटित परीक्षा शहर तक आने तथा जाने के यात्रा व्यय का भुगतान किया जाएगा।

(स) उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को इसके लिए केंद्राध्यक्ष द्वारा आयोग द्वारा निर्धारित घोषणा-पत्र प्रदान किया जाएगा जिसे भरकर अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय की पात्रता से संबन्धित निम्न अभिलेखों के साथ केंद्राध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा :-
1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (नान क्रीमीलेयर) के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।
2. जिला चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी दृष्टिबाधित दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जिसमें 40 प्रतिशत या अधिक स्थायी दिव्यांगता प्रमाणित हो।
3. यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी तथा किराये की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो।

(द) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नान क्रीमीलेयर) तथा दृष्टिबाधित दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम, खाता क्रमांक तथा बैंक के **IFSC Code** का उल्लेख करना एवं साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की पठनीय स्केन प्रति आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराये गये बैंक विवरण में कोई त्रुटि/विसंगति होने के कारण भुगतान निरस्त होने की दशा में आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा इस संबंध मे प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(इ) साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को यात्रा व्यय उपरोक्त नियमानुसार आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

**परिशिष्ट-3**

## ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में निर्देश

**ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में निर्देश निम्नानुसार हैं :-**

**परीक्षा पूर्व निर्देश**

01 परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट **www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in अथवा www.mppsc.com** में निर्धारित लिंक पर आवेदन पत्र क्रमांक एवं जन्मतिथि की प्रविष्टि कर ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र क्रमांक गुम गया है तो वे ऑनलाइन रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर, नाम एवं जन्मतिथि डालकर OTP (One Time Password)/ टोल फ्री नम्बर (आयोग द्वारा जारी)/वेबसाइट पर उपलब्ध know your application number लिंक से प्राप्त कर सकते हैं।

02 परीक्षा हेतु रजिस्टर्ड आवेदकों को उनके द्वारा चुने गये विकल्प (शहर) के आधार पर रेण्डम विधि से रोल नम्बर प्रदाय किये जावेंगे।

03 परीक्षार्थियों हेतु परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी होने के पश्चात् निम्न हेल्पलाइन तथा ई-मेल के द्वारा हेल्प डेस्क पर की गई पूछताछ की समुचित व्यवस्था की जाएगी :-
हेल्पलाइन नम्बर - 0731-2700406 (समय 10:30 बजे से 17:30 बजे तक)
ई-मेल - mppsconline@gmail.com

04 आयोग की वेबसाइट पर मॉक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र क्रमांक तथा जन्म तिथि की प्रविष्टि कर उक्त सुविधा के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली से अपने आपको प्रशिक्षित कर सकेगा।

05 परीक्षार्थियों को परीक्षा प्रारम्भ होने के 01:30 घंटे पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुंचना आवश्यक है, ताकि उनकी प्रवेश संबंधी आवश्यक कार्यवाही समय रहते की जा सके।

06 परीक्षार्थी अपने साथ किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं अन्य अनावश्यक सामग्री साथ में नहीं लावे तथा अपने हथेलियों पर किसी प्रकार का रंग, स्याही अथवा मेंहदी न लगी हो, क्योंकि इस कारण बायोमेट्रिक दर्ज नहीं हो पाता है।

07 समस्तय दिव्यांगजनों को 20 मिनट प्रतिघन्टा अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा तथा सहलेखक के उपयोग की अनुमति प्रदान की जाएगी। इस संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-

अ समस्त दिव्यांगजनों को अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।

आ सहलेखक की व्यवस्था अभ्यर्थी को स्वयं करनी होगी। आयोग द्वारा सहलेखक उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

इ सहलेखक की शैक्षणिक अर्हता पद हेतु निर्धारित अर्हता से कम से कम एक स्तर कम होना चाहिए। अभ्यर्थी को उसके सहलेखक का मूल फोटो युक्त मान्य परिचय पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (मान्य परिचय-पत्र सूची हेतु देखें विज्ञापन विन्दु 11)

ई सह लेखक को किसी प्रकार का यात्रा व्यय अथवा मानदेय का भुगतान आयोग द्वारा नहीं किया जाएगा।

उ सहलेखक के प्रयोग की अनुमति केंद्राध्यक्ष द्वारा दी जाएगी इस हेतु अभ्यर्थी पर्याप्त समय पूर्व केंद्राध्यक्ष से संपर्क करें।

ऊ सहलेखक सुविधा की अनुमति हेतु अभ्यर्थी को जिला चिकित्सा-मण्डल/सम्भागीय चिकित्सा-मण्डल/ राज्य चिकित्सा-मण्डल द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

08 परीक्षार्थी के परीक्षा केन्द्र पर पहुंचने पर रजिस्ट्रेशन डेस्क पर परीक्षार्थी के मूल फोटो परिचय पत्र, एडमिट कार्ड एवं फोटो की जांच प्रवेश पत्र एवं परीक्षार्थी से मिलान किया जायेगा। तत्पश्चात बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन (दाएं हाथ का अंगूठा, दाएं हाथ का अंगूठा न होने पर बायें हाथ का अंगूठा एवं दोनों अंगूठे न होने पर बायें/दाएं हाथ की प्रथम उंगली एवं दोनों हाथ न होने की स्थिति में सहलेखक के अंगूठे का वेरिफिकेशन किया जावेगा।

09 परीक्षा कक्ष में प्रवेश के पूर्व पुलिस द्वारा तलाशी (Frisking) की जावेगी जिससे कि परीक्षार्थी अपने साथ किसी भी प्रकार की वर्जित वस्तुएं अन्दर न ले जा सके।

**परीक्षा हेतु वर्जित वस्तुएं**

सामान्यतः ऑनलाइन परीक्षाओं में ऐसा पाया गया है कि परीक्षार्थी अपने कपड़ों, कफ़लिंक, चश्मा, जूते-मोजे, हाथ के बैंड/हाथ में बंधे बंधन इत्यादि में नाना प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग करते हैं। अतः परीक्षा कक्ष में जूते-मोजे पहनकर प्रवेश वर्जित होगा। परीक्षार्थी चप्पल व सेण्डल पहनकर आ सकते हैं। चेहरे को ढंककर परीक्षा कक्ष में प्रवेश वर्जित होगा। एसेसरीज़ जैसे वालों को बांधने का क्लचर/बक्कल, घड़ी, हाथ में पहने जाने वाले किसी भी प्रकार के बैंड, कमर में पहने जाने वाले बेल्ट, धूप में पहने जाने वाले चश्में, पर्स/वालेट, टोपी वर्जित है। सिर, नाक, कान, गला, हाथ-पैर, कमर आदि में पहने जाने वाले सभी प्रकार के आभूषण तथा हाथ में बंधे धागे/कलावा/रक्षा सूत्र आदि का सूक्ष्मता से

परीक्षण कर वीक्षकों द्वारा परीक्षार्थी के कक्ष में जाने के पूर्व तलाशी ली जाएगी।

10 आयोग द्वारा निम्न फोटो आई-डी कार्ड मान्य किये गये हैं, इनमें से किसी एक की मूल प्रति साथ में लाना आवश्यक होगा। फोटो आई-डी की फोटोकापी मान्य नहीं की जावेगी।

1. मतदाता परिचय पत्र
2. आधार कार्ड
3. ड्राइविंग लायसेंस
4. पेन कार्ड
5. पासपोर्ट
6. फोटो सहित बैंक पासबुक
7. केन्द्र एवं राज्य सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय एवं अन्य नियोक्ताओं द्वारा जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र।
8. शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत परीक्षार्थियों के मामले में शिक्षण संस्था के प्रमुख द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र।
9. अभ्यर्थी का राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित फोटो।

उपरोक्त के अभाव में परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

**ऑनलाइन परीक्षा की मुख्य विशेषतायें**

11 सम्पूर्ण परीक्षा व्यवस्था सी.सी.टी.वी. कैमरों की निगरानी में संचालित की जावेगी।

12 आयोग द्वारा परीक्षार्थी को केन्द्र पर रफ कार्य किये जाने हेतु पेपर एवं पेन की सुविधा प्रदान की जावेगी। रफ कार्य किये जाने हेतु प्रदत्त पेपर परीक्षा समाप्ति पश्चात् परीक्षा कक्ष में छोड़कर जाना होगा।

13 रजिस्ट्रेशन एवं वेरिफिकेशन के पश्चात् परीक्षार्थी को रूम नम्बर एवं सीट नम्बर अलाट किये जावेंगे।

14 ऑनलाइन परीक्षा हेतु सभी केन्द्रों पर आयोग द्वारा केन्द्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक एवं तकनीकी विशेषज्ञ नियुक्त किये गये हैं जो प्रश्न पत्र को आयोग से सुरक्षित रूप में प्राप्त कर केन्द्रों पर परीक्षार्थी के कम्प्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध करायेंगे।

15 परीक्षार्थी को जो मशीन आवंटित की गई है, उस पर सीट नम्बर, मशीन नम्बर, आई.पी एड्रेस, एवं कम्प्यूटर स्क्रीन पर स्वयं का फोटो है, यह सुनिश्चित कर सीट पर बैठें।

16 परीक्षार्थी अपने रोल नम्बर एवं प्रवेश-पत्र पर अंकित पासवर्ड द्वारा लाग-इन कर सकेंगे।

17 परीक्षार्थी द्वारा लाग-इन करने के पश्चात् स्क्रीन पर Instruction page, Symbol page display होगा।

18 परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व परीक्षार्थी के स्क्रीन पर 05 प्रश्न दिये जावेंगे जो आवेदक द्वारा हल किये जावेंगे तत्पश्चात स्क्रीन पर मॉडल आंसर उपलब्ध होगा जिससे परीक्षार्थी अपने उत्तर चेक कर सकेगा। उक्त प्रक्रिया को परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व अधिकतम 03 बार दोहराया जा सकेगा, जिससे परीक्षार्थी स्वयं यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि उसके कम्प्यूटर का माउस उसके द्वारा चाहे गये विकल्प पर ही क्लिक हो रहा है। उक्त प्रक्रिया में यदि किसी प्रकार की असुविधा उत्पन्न होती है तो वह कक्ष में उपस्थित वीक्षक/तकनीकी सहायक को उक्त संबंध में अवगत कराएंगे, जिससे वीक्षक द्वारा शीघ्र कार्यवाही की जा सके।

19 परीक्षा के दौरान वीक्षक द्वारा उपस्थिति पत्रक पर परीक्षार्थियों के हस्ताक्षर एवं अंगूठे के निशान लिये जावेंगे तथा वीक्षक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षार्थी उसी मशीन पर परीक्षा दे रहा है जो उसे आवंटित की गई है।

20 प्रत्येक परीक्षार्थी का सत्यापन वेरिफिकेशन शीट के आधार पर बायें/दायें हाथ पर बैठे परीक्षार्थी द्वारा किया जावेगा कि बैठा हुआ परीक्षार्थी उसे आवंटित की गई मशीन पर ही पूरे समय बैठकर परीक्षा दे रहा था।

21 परीक्षार्थी अपनी सुविधानुसार प्रश्नों को हल कर सकेंगे एवं समय संबंधी अलार्म परीक्षा प्रारंभ होने पर, परीक्षा प्रारंभ होने के 01:00 घण्टे पश्चात, 01:30 घण्टे पश्चात, परीक्षा समाप्ति के 10:00 मिनट पूर्व तथा अंतिम अलार्म बजेगा परीक्षा समाप्ति पर बजेगा।

22 परीक्षार्थी को परीक्षा हेतु निर्धारित समय में हल किये गये प्रश्नों के उत्तरों को बदलने की सुविधा उपलब्ध रहेगी, जिससे वह चाहे गये प्रश्नों के उत्तर निर्धारित समय में बदल सकेगा।

23 परीक्षार्थी द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग किये जाने पर वीक्षक द्वारा तत्काल प्रकरण तैयार कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, प्रकरण तैयार किये जाने के पश्चात् भी यदि परीक्षार्थी पुनः परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है तो उसे उक्त परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदाय की जा सकेगी, किन्तु यदि परीक्षार्थी आदेश का पालन नहीं करता है तो उसकी परीक्षा निरस्त की जायेगी। उक्त समस्त प्रकरण पर अंतिम निर्णय आयोग द्वारा लिया जावेगा।

24 यदि परीक्षार्थी हल किये गये उत्तरों को समय समाप्ति के पूर्व सब्मिट नहीं करता है तो मशीन स्वतः ही समय समाप्ति पर उत्तरों को सब्मिट कर बन्द हो जावेगी।

**परीक्षा पश्चात की कार्य प्रक्रिया**

25 अभ्यर्थी परीक्षा समाप्ति पश्चात् हल किये गये प्रश्नों के उत्तरों का P.D.F. Form में पुनः अवलोकन कर सकेंगे। अवलोकन किये जाने हेतु 05 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जावेगा जिसके अंतर्गत वे हल किये गये उत्तरों में किसी का बदलाव नहीं कर सकेंगे।

26 मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नान क्रीमीलेयर) तथा दृष्टिबाधित दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र पर अंकित पते से परीक्षा केन्द्र शहर तक का यात्रा भत्ते का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से किया जायेगा;

**इस हेतु अभ्यर्थियों को वांछित घोषणा-पत्र तथा निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य है :-**

- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की फोटो कापी
- यात्रा का टिकट जिसमें यात्रा का विवरण तथा राशि का स्पष्ट उल्लेख हो जाति प्रमाण पत्र की फोटो कापी जमा करने पर ही प्रदान किया जायेगा।

27 परीक्षा समाप्ति पश्चात् हल किये गये प्रश्नों एवं दिये गये उत्तरों की उत्तरपुस्तिका एवं प्रावधिक उत्तर कुंजी अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड ई-मेल आई-डी पर भेजी जावेगी।

28 प्रावधिक उत्तर परीक्षोपरान्त आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे।

29 परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की प्रावधिक उत्तर कुंजी तैयार कर आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 07 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी। इस अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार एवं पत्राचार नहीं किया जाएगा। प्रति प्रश्न आपत्ति हेतु 100 रुपये शुल्क देय होगा तथा प्रति सत्र पोर्टल शुल्क 40 रुपये पृथक से देय होगा। आपत्ति हेतु दिया गया शुल्क आपत्ति के सही पाये जाने पर अभ्यर्थी के बैंक खाते में ऑनलाइन पद्धति से वापस किया जाएगा। पोर्टल शुल्क किसी भी स्थिति मे वापस नहीं किया जाएगा।

प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा गठित विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जावेगा। समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही की जायेगी :-

1. ऐसे प्रश्न जिनका प्रावधिक कुंजी में गलत उत्तर दिया गया है और प्रश्न के वैकल्पिक उत्तरों में दूसरा सही उत्तर उपलब्ध है तब प्रावधिक कुंजी को संशोधित किया जायेगा।
2. आपत्तियों के आधार पर निम्नलिखित अनुसार पाये गये प्रश्नों को प्रश्न पत्र से विलोपित किया जायेगा :-
   - क. ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्पों में सही उत्तर न हो।
   - ख. ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हों या एक से अधिक विकल्पों में उत्तर की पुनरावृत्ति हो।
   - ग. प्रश्न के हिन्दी तथा अँग्रेजी अनुवाद में भिन्नता हो जो प्रश्न को सार्थक रूप से प्रभावित करता हो।

विषय विशेषज्ञों द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात मॉडल कुंजी बनाई जाएगी तथा आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर प्रकाशित की जाएगी। अंतिम उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड होने के पश्चात कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विलोपित किए गए प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के आधार पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा।

**परिशिष्ट-4**

**मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग**
**सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी परीक्षा-2021**
**परीक्षा योजना**

**(अ) अंक योजना**

| प्रश्न पत्र | पूर्णांक | अवधि |
|---|---|---|
| खण्ड 'अ' - मध्यप्रदेश, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान | 150 | 3 घंटे |
| खण्ड 'ब' - विधि | 300 | |
| योग | 450 | |
| साक्षात्कार | 50 | |
| **कुल अंक** | **500** | |

**(ब) प्रश्नपत्र योजना**

1. खण्ड (अ) विषय- मध्यप्रदेश का सामान्य ज्ञान के 35 प्रश्न, भारत का सामान्य ज्ञान-10 प्रश्न, विश्व का सामान्य ज्ञान 5 प्रश्न, इस प्रकार खण्ड-अ में 50 प्रश्न होंगे तथा खण्ड-(ब) में विषय से संबंधित प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होंगे। इस प्रकार प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 03 अंकों का होगा। इस प्रकार प्रश्न पत्र का पूर्णांक 450 अंकों का होगा।
2. प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ (बहुविकल्पीय) प्रकार का होगा। प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प **(A,B,C,D)** होंगे। अभ्यर्थी को उक्त विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना होगा।
3. प्रश्न पत्र की अवधि 3 घंटे की होगी। प्रश्न पत्र का खण्ड 'अ' के 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा। खण्ड 'ब' में संबंधित विषय के 100 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 03 अंकों का होगा।
4. प्रश्न पत्र के दो भाग होंगे- भाग-(अ) सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र में 40 प्रतिशत अंक एवं भाग-(ब) विषय से संबंधित 40 प्रतिशत अंक पृथक पृथक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार मेरिट दोनों खण्डों के अंकों को जोड़कर बनेगी। ऑनलाइन परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन (3R-W)= प्राप्तांक पद्धति से होगा।

   {R= सही उत्तरों की संख्या, W= गलत उत्तरों की संख्या}

   अर्थात प्रत्येक सही उत्तर के लिये 3 अंक प्रदाय किये जायेंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 1 अंक काटा जावेगा।
5. प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा।

**साक्षात्कार** :- साक्षात्कार 50 अंकों का होगा। साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक निर्धारित नहीं हैं।

**(स) चयन प्रक्रिया**

1. चयन प्रक्रिया के प्रथम चरण में एक प्रश्न पत्र की ऑनलाइन पद्धति से कम्प्यूटर आधारित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
2. परीक्षा उपरांत परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों की प्रावधिक उत्तर कुंजी तैयार कर आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर प्रकाशित कर ऑनलाइन पद्धति से 07 दिवस की अवधि में आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी। इस अवधि के पश्चात प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर कोई विचार एवं पत्राचार नहीं किया जाएगा। प्रति प्रश्न आपत्ति हेतु 100 रुपये शुल्क देय होगा तथा प्रति सत्र पोर्टल शुल्क 40 रुपये पृथक से देय होगा। आपत्ति हेतु दिया गया शुल्क आपत्ति के सही पाये जाने पर अभ्यर्थी के बैंक खाते में ऑनलाइन पद्धति से वापस किया जाएगा। पोर्टल शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा।

   प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा गठित विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा विचार किया जायेगा। समिति द्वारा आपत्तियों पर विचार कर निम्नलिखित अनुसार कार्यवाही की जायेगी :-
   1. ऐसे प्रश्न जिनका प्रावधिक कुंजी में गलत उत्तर दिया गया है और प्रश्न के वैकल्पिक उत्तरों में दूसरा सही उत्तर उपलब्ध है तब प्रावधिक कुंजी को संशोधित किया जायेगा।
   2. आपत्तियों के आधार पर निम्नलिखित अनुसार पाये गये प्रश्नों को प्रश्न पत्र से विलोपित किया जायेगा :-
      - क. ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्पों में सही उत्तर न हो।
      - ख. ऐसे प्रश्न जिसका दिये गये विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हों या एक से अधिक विकल्पों में उत्तर की पुनरावृत्ति हो।
      - ग. प्रश्न के हिन्दी तथा अँग्रेजी अनुवाद में भिन्नता हो जो प्रश्न को सार्थक रूप से प्रभावित करता हो।

   विषय विशेषज्ञों द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात मॉडल कुंजी बनाई जाएगी तथा आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर प्रकाशित की जाएगी। अंतिम उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड होने के पश्चात कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। उपरोक्तानुसार समिति द्वारा विलोपित किए गए प्रश्नों को छोड़कर शेष प्रश्नों के आधार पर अभ्यर्थियों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा।
3. ऑनलाइन परीक्षा में प्राप्तांक के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न प्रवर्गों हेतु विज्ञापित रिक्तियों के अधिकतम 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु सफल घोषित किया जाएगा।
4. परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु आवेदक को ऑनलाइन परीक्षा में 40 प्रतिशत अंक खण्ड 'अ' तथा खण्ड 'ब' में पृथक-पृथक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। मध्यप्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजन श्रेणी के आवेदकों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु 10-10 प्रतिशत अंकों की छूट दी जायेगी इस प्रकार उक्त श्रेणी के आवेदकों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
5. ऑनलाइन परीक्षा परिणाम के साथ ही अभिलेख प्रेषण हेतु अंतिम तिथि निर्धारित कर परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से उनकी अर्हता से संबंधित सभी अभिलेख प्राप्त किए जाएंगे तथा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा जो अभिलेखों की सूक्ष्म जांच उपरान्त अर्ह पाये जायेंगे।
6. साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को चयन के लिये अनर्ह माना जायेगा। साक्षात्कार के लिये आवेदकों को बुलाने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। अर्हताधारी अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से ई-मेल/SMS द्वारा सूचना भेजी जावेगी। आयोग की वेबसाइट **www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mpppsc.com** पर भी उपलब्ध रहेगा।
7. उपरोक्त पदों पर अंतिम चयन ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के श्रेणीवार गुणानुक्रम के आधार पर होगा।
8. आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

**जी-13220/आर-45575/2021** **परीक्षा नियंत्रक**

## कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग भोपाल (म.प्र.)
## निविदा सूचना

**निविदा सूचना क्रमांक 01/2021-22/का.यं.** **भोपाल, दिनांक 01.06.2021**

निम्नलिखित कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट **www.mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है।

| क्र. | टेण्डर क्रमांक | जिला | कार्य का प्रकार | कार्य का नाम | आमंत्रण क्र. | कार्य की अनु. राशि (रु. लाख में) | टीप |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2021_PWDRB_144801_1 | रायसेन | पुल कार्य | लो.नि.वि. सेतु निर्माण उपसंभाग रायसेन के अंतर्गत पुलों का वार्षिक मरम्मत। | प्रथम | 17.68 | मूल एफ.डी.आर. का भुगतान ऑनलाइन होगा एवं समस्त दस्तावेज ऑनलाइन जमा होंगे। |
| 2. | 2021_PWDRB_144810_1 | रायसेन | पुल कार्य | लो.नि.वि. सेतु निर्माण उपसंभाग रायसेन के अंतर्गत नवीन पुलों के बोरिंग कार्य। | प्रथम | 17.84 | मूल एफ.डी.आर. का भुगतान ऑनलाइन होगा एवं समस्त दस्तावेज ऑनलाइन जमा होंगे। |
| 3. | 2021_PWDRB_144816_1 | रायसेन | पुल कार्य | लो.नि.वि. सेतु निर्माण उपसंभाग रायसेन के अंतर्गत नवीन पुलों के सर्वे कार्य। | प्रथम | 8.98 | मूल एफ.डी.आर. का भुगतान ऑनलाइन होगा एवं समस्त दस्तावेज ऑनलाइन जमा होंगे। |
| 4. | 2021_PWDRB_144803_1 | विदिशा | पुल कार्य | लो.नि.वि. सेतु निर्माण उपसंभाग विदिशा के अंतर्गत पुलों का वार्षिक मरम्मत कार्य। | प्रथम | 17.73 | मूल एफ.डी.आर. का भुगतान ऑनलाइन होगा एवं समस्त दस्तावेज ऑनलाइन जमा होंगे। |
| 5. | 2021_PWDRB_144813_1 | विदिशा | पुल कार्य | लो.नि.वि. सेतु निर्माण उपसंभाग विदिशा के अंतर्गत नवीन पुलों के बोरिंग कार्य। | प्रथम | 15.84 | मूल एफ.डी.आर. का भुगतान ऑनलाइन होगा एवं समस्त दस्तावेज ऑनलाइन जमा होंगे। |
| 6. | 2021_PWDRB_144831_1 | विदिशा | पुल कार्य | लो.नि.वि. सेतु निर्माण उपसंभाग विदिशा के अंतर्गत नवीन पुलों के सर्वे कार्य। | प्रथम | 9.63 | मूल एफ.डी.आर. का भुगतान ऑनलाइन होगा एवं समस्त दस्तावेज ऑनलाइन जमा होंगे। |
| 7. | 2021_PWDRB_143737_1 | बैतूल | पुल कार्य | लो.नि.वि. सेतु निर्माण उपसंभाग बैतूल के अंतर्गत पुलों का वार्षिक मरम्मत कार्य। | प्रथम | 17.77 | मूल एफ.डी.आर. का भुगतान ऑनलाइन होगा एवं समस्त दस्तावेज ऑनलाइन जमा होंगे। |
| 8. | 2021_PWDRB_144783_1 | बैतूल | पुल कार्य | लो.नि.वि. सेतु निर्माण उपसंभाग बैतूल के अंतर्गत नवीन पुलों के बोरिंग कार्य। | प्रथम | 17.01 | मूल एफ.डी.आर. का भुगतान ऑनलाइन होगा एवं समस्त दस्तावेज ऑनलाइन जमा होंगे। |
| 9. | 2021_PWDRB_143744_1 | बैतूल | पुल कार्य | लो.नि.वि. सेतु निर्माण उपसंभाग बैतूल के अंतर्गत नवीन पुलों के सर्वे कार्य। | प्रथम | 4.40 | मूल एफ.डी.आर. का भुगतान ऑनलाइन होगा एवं समस्त दस्तावेज ऑनलाइन जमा होंगे। |
| 10. | 2021_PWDRB_143733_1 | होशंगाबाद | पुल कार्य | लो.नि.वि. सेतु निर्माण उपसंभाग क्रमांक-1 होशंगाबाद के अंतर्गत पुलों एवं पहुँच मार्ग का वार्षिक मरम्मत कार्य। | प्रथम | 17.62 | मूल एफ.डी.आर. का भुगतान ऑनलाइन होगा एवं समस्त दस्तावेज ऑनलाइन जमा होंगे। |
| 11. | 2021_PWDRB_144605_1 | होशंगाबाद | पुल कार्य | लो.नि.वि. सेतु निर्माण उपसंभाग क्रमांक-1 होशंगाबाद के अंतर्गत नवीन पुलों के बोरिंग कार्य। | प्रथम | 17.14 | मूल एफ.डी.आर. का भुगतान ऑनलाइन होगा एवं समस्त दस्तावेज ऑनलाइन जमा होंगे। |
| 12. | 2021_PWDRB_144621_1 | होशंगाबाद | पुल कार्य | लो.नि.वि. सेतु निर्माण उपसंभाग क्रमांक-1 होशंगाबाद के अंतर्गत नवीन पुलों के सर्वे कार्य। | प्रथम | 2.40 | मूल एफ.डी.आर. का भुगतान ऑनलाइन होगा एवं समस्त दस्तावेज ऑनलाइन जमा होंगे। |
| 13. | 2021_PWDRB_144868_1 | होशंगाबाद | पुल कार्य | लो.नि.वि. सेतु निर्माण उपसंभाग क्रमांक-2 होशंगाबाद के अंतर्गत पुलों एवं पहुंच मार्ग का वार्षिक मरम्मत कार्य। | प्रथम | 17.63 | मूल एफ.डी.आर. का भुगतान ऑनलाइन होगा एवं समस्त दस्तावेज ऑनलाइन जमा होंगे। |
| 14. | 2021_PWDRB_144837_1 | होशंगाबाद | पुल कार्य | लो.नि.वि. सेतु निर्माण उपसंभाग क्रमांक-2 होशंगाबाद के अंतर्गत नवीन पुलों के बोरिंग कार्य। | प्रथम | 18.52 | मूल एफ.डी.आर. का भुगतान ऑनलाइन होगा एवं समस्त दस्तावेज ऑनलाइन जमा होंगे। |
| 15. | 2021_PWDRB_144612_1 | होशंगाबाद | पुल कार्य | लो.नि.वि. सेतु निर्माण उपसंभाग क्रमांक-2 होशंगाबाद के अंतर्गत नवीन पुलों के सर्वे कार्य। | प्रथम | 2.08 | मूल एफ.डी.आर. का भुगतान ऑनलाइन होगा एवं समस्त दस्तावेज ऑनलाइन जमा होंगे। |
| 16. | 2021_PWDRB_144602_1 | भोपाल | पुल कार्य | लो.नि.वि. सेतु निर्माण उपसंभाग क्रमांक-1 भोपाल के अंतर्गत नवीन पुल, आर.ओ.बी., फ्लाई ओव्हर एवं पहुंच मार्ग के बोरिंग कार्य। | प्रथम | 19.98 | मूल एफ.डी.आर. का भुगतान ऑनलाइन होगा एवं समस्त दस्तावेज ऑनलाइन जमा होंगे। |
| 17. | 2021_PWDRB_144864_1 | भोपाल | पुल कार्य | लो.नि.वि. सेतु निर्माण उपसंभाग क्रमांक-2 भोपाल के अंतर्गत नवीन पुलों के बोरिंग कार्य। | प्रथम | 17.63 | मूल एफ.डी.आर. का भुगतान ऑनलाइन होगा एवं समस्त दस्तावेज ऑनलाइन जमा होंगे। |
| 18. | 2021_PWDRB_144627_1 | भोपाल | पुल कार्य | लो.नि.वि. सेतु निर्माण उपसंभाग क्रमांक-2 भोपाल के अंतर्गत नवीन पुलों के सर्वे कार्य। | प्रथम | 9.91 | मूल एफ.डी.आर. का भुगतान ऑनलाइन होगा एवं समस्त दस्तावेज ऑनलाइन जमा होंगे। |
| | | | | | | **249.79** | |

उपरोक्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने की **अंतिम तिथि 21.06.2021 (17.30) बजे** निर्धारित है। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखा जा सकता है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

मूल एफ.डी.आर. का भुगतान केवल ऑनलाइन होगा एवं अन्य दस्तावेज ऑनलाइन जमा होंगे। भौतिक रूप से किसी भी प्रकार के दस्तावेज कार्यालय में जमा नहीं किये जायेंगे।

**कार्यपालन यंत्री**
**लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण**
**संभाग भोपाल (म.प्र.)**

**जी-13089/45569/2021**

# कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में संवाद बना प्रमुख अस्त्र

**भोपाल,** महामारी के दौर में प्रदेश में ही नहीं देश में भी फिजिकल डिस्टेंस संक्रमण की चेन तोड़ने का प्रमुख आधार था तब मध्यप्रदेश में संवाद के जरिये कोरोना महामारी के संक्रमण की चेन को तोड़ने का कार्य सफलतापूर्वक किया गया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दो गज की दूरी-मास्क है जरूरी, मास्क नहीं-तो सामान नहीं, मेरा मास्क-मेरी सुरक्षा जैसे प्रभावशाली संदेश के साथ कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने सभी वर्गों से संवाद को प्रमुख अस्त्र बनाया।

यह भी सही है कि परिवार का मुखिया हो या प्रदेश का मुखिया वह अपने आचरण से ही दूसरों को प्रेरित कर सकता है। मुख्यमंत्री ने इस कसौटी पर भी अपने को खरा उतारा। समाज का शायद ही ऐसा कोई वर्ग छूटा हो, जिनसे श्री चौहान ने संवाद न किया हो। उन्होंने सर्वप्रथम स्वास्थ्य आग्रह के माध्यम से प्रदेश की जनता को यह संदेश दिया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये शासन-प्रशासन के साथ आमजन की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में उन्होंने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जनता को जागरूक करने के लिये सीधा संवाद कर कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय भी बताये। संचार की आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और सोशल मीडिया के द्वारा वर्चुअली कार्यक्रम आयोजित कर अधिकांश वर्गों से संवाद का क्रम बनाये रखा।

मुख्यमंत्री ने संवाद का जो क्रम अप्रैल माह से शुरू किया उसमें सांसद, विधायक, शहरी क्षेत्र में महापौर, अध्यक्ष और पार्षद, ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों के जन-प्रतिनिधियों, चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टॉफ, महिला स्व-सहायता समूह के सदस्यों, धर्म गुरुओं, समाज के प्रतिष्ठित नागरिकों, व्यापारियों, शहरी एवं ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स, किसान भाइयों, संबल योजना के हितग्राहियों, तेंदूपत्ता संग्राहक, विशेष पिछड़ी जनजाति सहरिया, बैगा और भारिया की महिलाओं, जिला-तहसील और ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट के समूहों, मध्यप्रदेश जन-अभियान परिषद के जिला समन्वयकों और मैदानी अमले के साथ शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वेच्छा से कोरोना वॉलेंटियर्स बने कार्यकर्ताओं से संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिये प्रभावी और प्रेरक संवाद किया।

श्री चौहान की इस मुहिम की खूबी यह भी रही कि उन्होंने न केवल संवाद के दौरान कोरोना की दूसरी लहर की विभीषिका से अवगत करवाया, बल्कि एक सजग अभिभावक और परिवार के बड़े बुजुर्ग के रूप में महामारी से बचाव के लिये प्रेरित भी किया। इस तरह से उन्होंने महामारी से लोगों को डराया नहीं। उन्होंने बचाव के लिये न केवल लोगों को तैयार किया बल्कि उन्हें बचाव के तरीके भी उन्हीं की भाषा में समझाये। इसी का नतीजा था कि मध्यप्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर उम्मीद से काफी पहले काबू पाने में सरकार सफल रही। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अपने राजनैतिक कार्यक्रमों को तो स्थगित किया ही साथ ही अधिकांश प्रशासनिक कवायद भी उन्होंने वर्चुअली ही की।

इस तरह कोविड एप्रोपिएट बिहेवियर का पालन करने के उद्देश्य से वर्चुअली कामकाज को प्रमुखता देने की प्रेरणा भी मुख्यमंत्री अपने कार्यों के जरिये प्रदेशवासियों खासतौर से शासन-प्रशासन के लोगों और समाज के विभिन्न वर्गों को देने में सफल रहे हैं।

अप्रैल और मई 2021 की पूरी अवधि इस बात की गवाह है कि प्रदेश में सारे प्रशासनिक काम बदस्तूर सीमित अमले के साथ जारी रहे। टोटल लॉकडाउन की जगह पर कोरोना कर्फ्यू जैसी नई और कारगर व्यवस्था मध्यप्रदेश में लागू रही। इस व्यवस्था का उजला पहलू यह रहा कि यह कर्फ्यू सरकार द्वारा थोपा हुआ नहीं होकर जन-स्फूर्त या यूं कहें कि स्व-स्फूर्त था। यहीं कारण रहा कि लॉकडाउन की तुलना में कोरोना कर्फ्यू महामारी की लड़ाई में ज्यादा उपयोगी और परिणामकारी रहा। कोरोना कर्फ्यू ने महामारी से प्रदेश की लड़ाई में लोगों को अपनी भूमिका अदा करने का मौका भी दिया। राज्य, जिला, गाँव और छोटे नगरों में वार्ड स्तर पर बनी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां और उनके द्वारा कोरोना की दूसरी लहर के नियंत्रण में निभाई गई भूमिका और बढ़-चढ़ कर किये गये कार्य, सरकार के साथ समाज के खड़े होने के आने वाले कई वर्षों तक उदाहरण बने रहेंगे।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की जन-भागीदारी रणनीति ने मध्यप्रदेश को कोरोना संक्रमण से मुक्ति दिलाने में अहम रोल अदा किया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से लोगों ने कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में भागीदारी सुनिश्चित की वह पूरे देश में सुर्खियों में रही। यहां तक कि कई प्रान्तों ने इसे अपनाया भी है और केंद्र सरकार ने सराहना भी की है।

# खरीफ फसलों की बुआई के पहले खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करें

**भोपाल,** किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने खरीफ फसलों की बुआई से पूर्व यूरिया, डीएपी, बीज और अन्य कृषि आदानों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने उक्त निर्देश मंत्रालय में आयोजित कृषि विभाग की समीक्षा बैठक में दिये।

श्री पटेल ने कृषि अधिकारियों को खरीफ की फसल से संबंधित जरूरी निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि नकली खाद, बीज और दवाओं के कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।

# जबलपुर में बनेंगे ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए इंजेक्शन

## राज्य शासन ने एम्फोटेरिसन इंजेक्शन बनाने का दिया लायसेंस

**जबलपुर**, जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित औद्योगिक क्षेत्र उमरिया-डुंगरिया में राज्य शासन से अनुदान सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र की रेवा क्योर लाइफ साइंसेस कंपनी को राज्य शासन ने ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए जीवन रक्षक इंजेक्शन एम्फोटेरिसन-बी के निर्माण एवं उत्पादन लायसेंस प्रदान किया है। मध्यप्रदेश के फूड एवं ड्रग कंट्रोलर ने कंपनी को यह लायसेंस 31 मई 2021 को जारी किया है, जो 22 दिसंबर 2021 तक के लिए वैध है।

रेवा क्योर लाइफ साइंस कंपनी के प्रबंधक रोहित सिंह ने बताया कि फिलहाल कंपनी के पदाधिकारी इंजेक्शन निर्माण के लिए जरूरी और आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति के लिए मुंबई और गुजरात की कंपनियों के संपर्क में हैं। सब कुछ ठीक रहा तो कंपनी ने महीने के अंत तक 20 से 30 हजार एम्फोटेरिसन-बी इंजेक्शन के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। कंपनी वर्तमान में कैंसर मरीजों के लिए जरूरी करीब 15 प्रकार के इंजेक्शनों का निर्माण कर रही है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा तय गुड मेन्युफैक्चरिंग प्रेक्टिस के मापदंडों के अनुरूप प्रमाणित हैं।

राज्य शासन द्वारा ब्लैक फंगस म्यूकॉर मायकोसिस पोस्ट कोविड बीमारी का इंजेक्शन बनाने की अनुमति पाने वाली रेवा क्योर लाइफ साइंसेस कंपनी प्रदेश की दूसरी कंपनी है, जिसे एम्फोटेरिसन-बी के निर्माण की मंजूरी मिली है। प्रदेश में इसके पहले इन्दौर की माईन लेबोरेटरी को यह इंजेक्शन बनाने का लायसेंस हासिल था।

जबलपुर में एम्फोटेरिसन-बी इंजेक्शन बनने से सिर्फ जबलपुर ही नहीं, बल्कि समूचे महाकौशल, विंध्य और बुंदेलखंड में ब्लैक फंगस बीमारी से पीडित मरीजों के लिए यह दवा आसानी से और अपेक्षाकृत कम कीमत में उपलब्ध हो सकेगी।

अभी बाजार में इस इंजेक्शन की कीमत करीब 3 हजार से 4 हजार रुपये तक है। जबलपुर में इस इंजेक्शन के बनने से इसकी कीमत तकरीबन आधी हो जायेगी, और यह आसानी से उपलब्ध भी हो जायेगा।

जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र जबलपुर के महाप्रबंधक देवव्रत मिश्रा ने बताया कि उमरिया-डुंगरिया में स्थापित रेवा क्योर लाइफ साइंसेस कंपनी को मध्य प्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना-2014 के तहत अब तक 50 लाख रुपये की अनुदान सहायता मुहैया कराई जा चुकी है। जिसमें प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली का संयंत्र लगाने के लिए 25 लाख रुपये का अनुदान और 25 लाख का ब्याज अनुदान शामिल है। राज्य शासन द्वारा कंपनी को एक मार्च 2017 से हर वर्ष 5 प्रतिशत की दर से 5 लाख रुपये वार्षिक ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। जिला व्यापार एवं उद्योग विभाग द्वारा अब तक 5 वर्षों का ब्याज अनुदान 25 लाख रुपये प्रदान किया जा चुका है।

# संबल योजना में तेन्दूपत्ता संग्राहकों के पंजीयन के निर्देश जारी

**भोपाल**, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हाल ही में की गई घोषणा को अमल में लाने के लिए तेन्दुपत्ता संग्राहकों का संबल योजना में पंजीयन प्रारंभ हो गया है। इस संबंध में श्रम विभाग द्वारा समस्त संभागायुक्त, जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत और वन मण्डल अधिकारियों को निर्देश जारी किये गये हैं।

उप सचिव, श्रम श्री छोटे सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री जन-कल्याण योजना में असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। योजना में प्रदेशव्यापी अभियान चलाकर असंगठित श्रमिकों के नियोजन की 36 श्रेणियों में पंजीयन किया गया था। मुख्यमंत्री की घोषणा के परिपालन तेन्दुपत्ता संग्राहकों के संबल योजना में पंजीयन की कार्यवाही शुरू की गई है। इसमें नवीन पंजीयन के लिए ई-केवायसी की बाध्यता सभी तेन्दूपत्ता संग्राहक श्रमिक के पंजीयन के लिये शिथिल की गई है।

प्रदेश में संबल योजना के अन्तर्गत पंजीयन प्राधिकारी तेन्दुपत्ता संग्रहण के कार्य में संलग्न ऐसे समस्त पात्र असंगठित श्रमिकों के पंजीयन के लिये पात्रता बाबत समस्त तथ्यों का सत्यापन करते हुए पंजीयन की कार्यवाही की जाएगी।

# ऑक्सीजन उत्पादन में मध्यप्रदेश को बनाया जायेगा आत्मनिर्भर

## कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव की रणनीति पर मंथन

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं पर चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ चर्चा करते हुये।

**भोपाल**, प्रत्येक नागरिक को कोरोना अनुकूल व्यवहार अपनाने के लिए जागरूक किया जाए। हमारा प्रयास रहेगा कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर नहीं आए। चिकित्सा विशेषज्ञों का अनुमान है कि कोरोना की तीसरी लहर सितम्बर-अक्टूबर माह में आ सकती है। अतः इलाज की पूरी तैयारी रखी जाए। चिकित्सालयों में बेड्स की उपलब्धता और ऑक्सीजन आपूर्ति में आत्म-निर्भरता, उपकरणों एवं दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता और भण्डारण, चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ आदि के पदों में वृद्धि और प्रशिक्षण पर आधारित कार्य योजना पर कार्य किया जाए। प्रदेश को कोरोना संक्रमण की पीक के समय आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा को पूरा करने के लिए पूर्ण आत्मनिर्भर बनाया जाए। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुये कहीं। मुख्यमंत्री ने कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए चिकित्सा विशेषज्ञों के सुझाव भी लिये और पीड़ितों के इलाज और बचाव के लिये जनसहयोग से अग्रिम कार्य-योजना पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व के अन्य देशों और अपने देश के अन्य प्रांतों में कोरोना की तीसरी और चौथी लहर से उत्पन्न परिस्थितियों का अध्ययन किया जाए। इससे प्रदेश में तीसरी लहर से उत्पन्न स्थितियों का मुकाबला करने में आसानी होगी। चिकित्सा विशेषज्ञों ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर दूसरी लहर की तुलना में कमजोर रहेगी। विश्व के अन्य देशों में भी तीसरी लहर कमजोर थी। चिकित्सा विशेषज्ञों ने बताया कि तीसरी लहर में बच्चे अधिक संख्या में पीड़ित होंगे। इस अनुमान का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इस अनुमान का आधार है बच्चों का वैक्सीनेशन नहीं होना और स्कूल-कॉलेज शुरू होने पर आपसी सम्पर्क का बढ़ना।

**अस्पतालों में बेड्स उपलब्धता**

बैठक में बताया गया कि शासकीय अस्पतालों में वर्तमान में उपलब्ध अलग-अलग श्रेणियों के बेड्स की संख्या बढ़ायी जा रही है। ऑक्सीजन बेड्स की संख्या 36 प्रतिशत बढ़ायी जा रही है। अगस्त 21 तक 19 हजार 130 ऑक्सीजन बेड्स की क्षमता प्राप्त कर ली जायेगी। बच्चा वार्ड में ऑक्सीजन बेड की संख्या में 120 प्रतिशत की वृद्धि कर 2247 बेड्स की क्षमता हासिल की जाएगी। सभी बच्चा वार्ड में ऑक्सीजन की पाइप लाइन डाली जाएगी।

आई.सी.यू. एवं एच.डी.यू. बेड की संख्या में 32 प्रतिशत की वृद्धि की जाकर 5021 बेड्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी। बच्चों के लिये आई.सी.यू. बेड्स की क्षमता 99 प्रतिशत बढ़ाकर 1050 बेड्स की उपलब्धता हासिल की जाएगी। इन सभी श्रेणियों के बेड्स की संख्या बढ़ाने का कार्य कई एजेन्सियों को सौंपा जा रहा है।

**दवाइयों का भंडारण**

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना और ब्लैक फंगस के इलाज के लिए आवश्यक सभी दवाइयों का भण्डारण और दवा सप्लाई करने वाली कम्पनियों से आवश्यक होने पर सतत् दवा आपूर्ति का एग्रीमेंट कर लिया जाए। बैठक में बताया गया कि निर्देशानुसार आवश्यक दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

**एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई जायेगी**

108 संजीवनी ईएमएएस एम्बुलेंस की संख्या 1002 तक बढ़ाई जायेगी और जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस की संख्या 1050 तक बढ़ाई जायेगी। एम्बुलेंस के इंतजाम के लिए निजी क्षेत्र से सहयोग लिया जायेगा।

**चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ में वृद्धि**

राज्य शासन के निर्देश पर विशेषज्ञ चिकित्सकों के 904 पदों को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरा जायेगा। मेडिकल ऑफिसर्स के 466 पदों को भरने के लिए साक्षात्कार लिये जा रहे हैं। जुलाई 21 तक इन पदों में नियुक्तियां कर दी जायेंगी। द्वितीय चरण में मेडिकल ऑफिसर के 576 पदों में नियुक्तियां की जायेंगी। इसी तरह डेंटल मेडिकल ऑफिसर्स के 68 पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है। स्टाफ नर्सेस के 1020 पदों में नियुक्तियां कर दी गई हैं।

# स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में राजस्व विभाग की स्वामित्व योजना की समीक्षा करते हुये।

**भोपाल**, मध्यप्रदेश में ग्रामीण आबादी का सर्वे कर ग्रामीणों को उनकी स्थिति का मालिकाना हक दिलवाए जाने के लिए चलाई जा रही स्वामित्व योजना के अंतर्गत अधिकार अभिलेख तैयार करने में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। योजना में अभी तक प्रदेश के 1615 गांवों के अधिकार अभिलेख पूर्ण किए जा चुके हैं। हरदा जिले के शत-प्रतिशत गांवों के अधिकार अभिलेख पूर्ण किए जा चुके हैं। अधिकार अभिलेख पूर्ण ग्रामों का प्रतिशत 41 है। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में राजस्व विभाग की स्वामित्व योजना की समीक्षा करते हुये कहीं।

बैठक में बताया गया कि भारत सरकार द्वारा बेस्ट प्रेक्टिस के तहत अन्य राज्यों को भी मध्यप्रदेश की तर्ज पर स्वामित्व अभियान के क्रियान्वयन की प्रक्रिया अपनाने का सुझाव दिया गया है। मध्यप्रदेश की प्रक्रिया को समझने अन्य राज्य के अधिकारियों द्वारा मध्यप्रदेश का दौरा किया गया, वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। मुख्यमंत्री ने योजना के अंतर्गत सर्वे कार्य शीघ्र पूर्ण कर ग्रामीण आबादी को अधिकार अभिलेख का वितरण प्रारंभ करने के निर्देश दिए।

**सम्पत्ति पर अधिकार का मिलेगा शासकीय दस्तावेज**

स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को अपनी सम्पत्ति पर अधिकार का शासकीय दस्तावेज स्वामित्व कार्ड के रूप में दिया जाएगा। इस दस्तावेज के माध्यम से वे अपनी सम्पत्ति का क्रय-विक्रय कर सकेंगे तथा बैंकों से आसानी से ऋण प्राप्त कर सकेंगे।

**25 सितम्बर 2018 पात्रता तिथि**

योजना के अंतर्गत ड्रोन द्वारा ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण कर केवल उन सम्पत्ति धारकों के अधिकार अभिलेख तैयार किए जा रहे हैं जो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) के लागू होने की दिनांक 25 सितम्बर 2018 को उस आबादी भूमि का उपयोग कर रहे थे अथवा जिन्हें इस दिनांक के बाद आबादी भूमि भूखंड का आवंटन किया गया है।

# मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित

**भोपाल**, राज्य शासन ने अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण अभियान के क्रियान्वयन के लिए पर्यावरण विभाग को नोडल विभाग और पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को) भोपाल को नोडल एजेंसी बनाया है। अंकुर कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन, नियम एवं निर्देश निर्माण, विशेषज्ञ परामर्श और मार्गदर्शन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति गठित की गयी है। कार्यपालन संचालक, एप्को समिति के सदस्य सचिव एवं संयोजक होंगे।

समिति में पर्यावरण, किसान कल्याण एवं कृषि, वन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय विकास एवं आवास, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव सदस्य होंगे। सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य संरक्षक श्री पी.सी. दुबे, सेवानिवृत्त प्रधान मुख्य संरक्षक व सदस्य सचिव जैव विविधता बोर्ड श्री श्रीनिवास मूर्ति समिति के सदस्य होंगे।

**15 जुलाई तक**

# विद्युत कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों की समस्याओं का होगा निराकरण

**भोपाल**, ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने प्रमुख सचिव ऊर्जा को निर्देशित किया है कि विद्युत कंपनियों में कार्यरत नियमित, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण 15 जुलाई तक अनिवार्य रूप से किया जाए।

श्री तोमर ने कहा है कि विगत एक वर्ष में कोविड-19 महामारी से संक्रमित होने के कारण हुए असामयिक निधन पर पात्रतानुसार अनुकंपा नियुक्ति समय-सीमा में दिलाई जाए।

ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि कर्मचारियों के असामयिक निधन पर उनके विभिन्न स्वत्वों संबंधी प्रकरणों का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता से 15 जुलाई तक किया जाए। श्री तोमर ने यह निर्देश भी दिये हैं कि आउटसोर्स कार्मिकों को नियमित वेतन भुगतान सुनिश्चित करें और अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण नियमानुसार समय-सीमा में किया जाए।

*(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)*

# मध्यप्रदेश में 15 जून से आरंभ होगा मूंग का उपार्जन - मुख्यमंत्री

## मुख्यमंत्री ने किया मूंग और उड़द खरीद के पंजीयन का शुभारंभ

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मूंग और उड़द खरीद के संबंध में किसानों को वर्चुअली संबोधित करते हुये।

**भोपाल**, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद के लिए पंजीयन 8 जून से आरंभ किया गया है। मूंग का उपार्जन 15 जून से आरंभ कर दिया जाएगा। ग्रीष्म-कालीन मूंग के दामों में आ रही कमी को देखते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य 7 हजार 196 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। खरीदी 90 दिन जारी रहेगी। ये निर्णय किसानों के हित के संरक्षण और कल्याण के उद्देश्य से लिए गए हैं। हमारी सरकार किसानों की सरकार है। खेती को लाभ का धंधा बनाना और किसानों की आय को दोगुना करना हमारी प्रतिबद्धता है। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मूंग और उड़द खरीद के पंजीयन के शुभारंभ अवसर पर किसानों को मंत्रालय से वर्चुअली संबोधित करते हुये कहीं। कार्यक्रम में किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल भी शामिल थे।

**अल्पकालिक फसल ऋण की अदायगी 30 जून तक कर सकेंगे किसान**

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का सपना है। राज्य सरकार इस दिशा में सभी प्रयास कर रही है। उत्पादन बढ़ाने, उत्पादन की लागत कम करने, किसानों को उचित मूल्य दिलाने और आपदा की स्थिति में सहायता देने जैसे कार्य राज्य सरकार द्वारा तत्परता से किए जा रहे हैं। श्री चौहान ने कहा कि हमारा प्रयास है कि किसान नई तकनीक का उपयोग करें। सिंचाई क्षेत्र का अधिक से अधिक विस्तार हो। वर्तमान में प्रदेश में 42 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, इसे 65 लाख हेक्टेयर तक ले जाना है। बिजली की उपलब्धता भी पर्याप्त है। इन सुविधाओं से किसानों के लिए तीन फसलें लेना आसान हुआ है। कम ब्याज पर ऋण की व्यवस्था भी उत्पादन की लागत घटाने के उद्देश्य से की गई है। इस क्रम में लघु और छोटे किसानों की सुविधा को देखते हुए सहकारी समितियों द्वारा वितरित अल्पकालिक फसल ऋणों की अदायगी की तिथि को बढ़ाकर 30 जून किया गया है।

**मूंग खरीदी 90 दिन तक जारी रहेगी**

श्री चौहान ने कहा कि कोरोना के कठिन काल में भी राज्य सरकार द्वारा चना, मूसर और सरसों की खरीदी 15 मार्च से आरंभ करने का निर्णय लिया गया था। इससे किसानों को अच्छे भाव मिले। अब मूंग की फसल बरसात में खरीदनी होगी, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। उन्हीं केंद्रों पर खरीदी होगी जहां मूंग को सुरक्षित रखने की व्यवस्था हो। प्रदेश में पर्याप्त स्थानों पर खरीदी केंद्र खोले जाएंगे। खरीदी की प्रक्रिया 90 दिन तक जारी रहेगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह आवश्यक है कि उपार्जन केंद्रों में अधिक भीड़ न हो, मास्क लगाये जायें और परस्पर दूरी बनाए रखी जाए।

**मुख्यमंत्री ने की किसानों से चर्चा**

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कृषकों से बातचीत भी की। होशंगाबाद के श्री रामभरोसे ने कहा कि 60 दिन में पकने वाली मूंग की फसल से पर्याप्त राशि प्राप्त होगी। हरदा के श्री ललित पटेल ने ग्रीष्म-कालीन मूंग के लिए नहर का पानी छोड़ने पर मुख्यमंत्री श्री चौहान का धन्यवाद दिया। श्री चौहान ने चर्चा में कहा कि क्रॉप पैटर्न बदलने के लिए आवश्यक प्रयासों के संबंध में भी विचार किया जाएगा।

बैठक में मध्यप्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने जानकारी दी कि प्रदेश के 25 जिलों में 4 लाख 77 हजार हेक्टेयर में ग्रीष्म-कालीन मूंग होती है। इस वर्ष 6 लाख 56 हजार मीट्रिक टन मूंग उत्पादन संभावित है। श्री पटेल ने मूंग का समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए प्रदेश के किसानों की ओर से मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त किया।

# निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिये आवेदन 10 जून से हुये प्रारंभ

**भोपाल**, शिक्षा का अधिकार कानून के तहत, सत्र 2021-22 में प्रायवेट स्कूलों की प्रथम कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिये ऑनलाइन आवेदन 10 जून 2021 से प्रारंभ हो गये हैं। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2021 निर्धारित की गई है। इस संबंध में आर.टी.ई पोर्टल www.educationportal.mp.gov.in/RtePortal पर ऑनलाइन आवेदन-पत्र का प्रारूप उपलब्ध कराया गया है।

**कोविड-19 के कारण अनाथ हुये बच्चों को मिलेगी प्राथमिकता**

पात्रतानुसार निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश के लिए आवेदकों का चयन, ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 30 जून 2021 को किया जायेगा। इस वर्ष की निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया में कोविड-19 से माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु के कारण अनाथ हुए बच्चों को ऑनलाइन लॉटरी में प्राथमिकता दी जायेगी। संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र श्री धनराजू एस. ने इस संबंध में समय-सारणी जारी करते हुए सभी जिला कलेक्टर्स एवं अन्य अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिये हैं। निर्देश और समय-सारणी आर.टी.ई. पोर्टल पर भी उपलब्ध हैं।

समय-सारणी के अनुसार, वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के आवेदक अपना आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से 10 से 30 जून 2021 तक जमा कर पंजीयन कर सकते हैं। फार्म के साथ पात्रता संबंधित कोई भी एक दस्तावेज अपलोड किया जाना होगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदकों को इसी अवधि में दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित संकुल केंद्र वाले स्कूल में अधिकृत सत्यापनकर्ता अधिकारी से करवाना होगा। आवेदक ने आर.टी.ई. में निःशुल्क प्रवेश के लिये जिस कैटेगरी या निवास क्षेत्र के माध्यम से प्रवेश चाहा है, उस कैटेगरी और निवास प्रमाण का सत्यापन, संबंधित मूल प्रमाण-पत्र से किया जायेगा। लॉटरी के पूर्व ही दस्तावेज सत्यापन हो जाने से आवेदकों को स्कूल आवंटित होने के बाद दस्तावेजों की त्रुटि या अभाव में, एडमिशन निरस्त होने की समस्या उत्पन्न नहीं होगी।

ऑनलाइन आवेदन करने में कोई समस्या या कठिनाई होने की स्थिति में संबंधित विकासखंड के बीआरसी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। एन.आई.सी. द्वारा 6 जुलाई 2021 को पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से छात्रों को निजी स्कूलों में सीट का आवंटन किया जायेगा। लॉटरी प्रक्रिया के बाद आवंटित सीट की जानकारी आवेदक को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से दी जायेगी। ऑनलाइन लॉटरी की सूची आर.टी.ई. पोर्टल पर भी उपलब्ध रहेगी। साथ ही स्कूल आवंटन की जानकारी बीआरसीसी कार्यालय के सूचना पटल पर भी प्रदर्शित की जायेगी।

किसी आवेदक को आवेदन प्रारूप प्राप्त करने अथवा जमा करने में कोई दिक्कत हो या उन स्कूलों की जानकारी चाहिए हो, जहां सीटें खाली हैं, तो आर.टी.ई. पोर्टल, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय अथवा विकासखण्ड स्रोत केंद्र कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

नर्सरी, के.जी.-1 और के.जी-2 कक्षाओं में प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु 3 से 5 वर्ष और कक्षा-1 में प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु 5 वर्ष से अधिकतम 7 वर्ष तक निर्धारित की गयी है। आयु के संबंध में मूल प्रति से मिलान न करने की स्थिति में अथवा मूल प्रति प्रस्तुत न करने की स्थिति में आवेदक को अपात्र माना जायेगा।

सत्र 2021-22 में प्रवेश के लिये आवेदक की आयु की गणना 16 जून 2021 की स्थिति में की जायेगी। आवेदक द्वारा जन्म प्रमाण-पत्र में अंकित तिथि ही ऑनलाइन आवेदन में दर्ज की जाये।

**सत्र 2020-21 की रिक्त सीटों पर निःशुल्क प्रवेश के लिये जानकारी**

कोविड-19 के कारण शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधान के तहत सत्र 2020-21 के प्रवेश नहीं हो पाये थे, परन्तु आरटीई प्रावधान के तहत जो बच्चे आयु अनुरूप सत्र 2020-21 के लिये पात्र थे, उन पात्र बच्चों को इस योजना का लाभ हो सकें, इसे ध्यान में रखते हुए जिन आवेदकों द्वारा सत्र 2020-21 के लिये आवेदन किये जायेंगे, उनकी आयु की गणना 16 जून 2020 की स्थिति से की जायेगी।

### मंत्रिपरिषद् के निर्णय

# राज्य निर्वाचन आयोग के पदों के प्रवर्तन को मिली मंजूरी

**भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में भोपाल स्थित मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग मुख्यालय के 21 पद एवं जिला स्तर के 255 पद इस प्रकार कुल-276 अस्थायी पदों का प्रवर्तन एक मार्च 2021 से 28 फरवरी 2022 तक की अवधि के लिए किये जाने का निर्णय लिया गया। मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गये अन्य निर्णय इस प्रकार हैं-**

- मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि कोविड-19 के संक्रमण के दौरान तात्कालिक आवश्यकता के कारण ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राज्यों से रेल तथा वायुयान से मेडिकल ऑक्सीजन टैंकर के परिवहन व्यय तथा विभिन्न माध्यमों से किराये पर लिये गये क्रायोजनिक टैंकर्स के कैरियर्स के किराये का भुगतान राज्य शासन द्वारा वहन किया जाये और इस भुगतान की स्वीकृति एसडीआरएफ मद से की जाये।
- मंत्रिपरिषद ने प्रदेश को मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादन के क्षेत्र में आत्म-निर्भर बनाने के लिए ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना, रेमडेसिविर इंजेक्शन और लीपोसोमल एमफोटेरिसिन-बी इंजेक्शन की आवश्यकता को देखते हुए सीधे क्रय करने के दृष्टिगत आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत गठित कार्यकारिणी समिति द्वारा दिए गये निर्णयानुसार 43 करोड़ 78 लाख रुपये की व्यवस्था मुख्यमंत्री सहायता कोष से करने के निर्णय पर कार्योत्तर अनुमोदन दिया।
- तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोज़गार विभाग के अन्तर्गत नये शासकीय आईटीआई की स्थापना विधानसभा क्षेत्र रायसेन के अंतर्गत विकासखण्ड गैरतगंज में स्वीकृत की गई है।
- इस आईटीआई की स्थापना, संचालन एवं उन्नयन के लिये 14 करोड़ 13 लाख रुपये संभावित व्यय होगा। इस आईटीआई के लिए कुल 30 पदों के सृजन की मंजूरी दी गई।
- मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि नर्मदा घाटी विकास परियोजनाओं में सूचकांक में छूट उन निविदाओं के लिये दी गई है, जिनकी स्वीकृति विचाराधीन है।
- अन्य परियोजनाओं के लिये जिनकी निविदाएं प्राप्त नहीं हुई हैं या आमंत्रित नहीं की गई हैं, उनके लिये सूचकांक में आवश्यक छूट का प्रस्ताव मंत्रि-परिषद में यथासमय प्रस्तुत किये जायेंगे।

# कोरोना की दूसरी लहर आने के कारणों और परिस्थितियों से सीखना होगा

**भोपाल**, मध्यप्रदेश में आगामी 15 जून तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है, परंतु पूरी सतर्कता और सावधानी की आवश्यकता है। जिलों के प्रभारी मंत्री और अधिकारी क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों से संवाद में रहें और समितियां अपनी सक्रियता लगातार बनाकर रखें। कोविड की पहली लहर आने, उसके समाप्त होने और पुनः दूसरी लहर आने की परिस्थितियों और कारणों का अध्ययन करें। इस अध्ययन से सीखने की आवश्यकता है। हमें यह देखना होगा कि किस वजह से दूसरी लहर आयी, इसके आधार पर ही हम तीसरी लहर को रोक सकते हैं। इसके लिए कोविड अनुकूल व्यवहार अपनाना आवश्यक है। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित मंत्रालय में कोरोना की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहीं।

**कोविड की स्थिति को देखकर शुरू करें बाजार खोलने की प्रक्रिया**

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाजार खोलने की प्रक्रिया को कोविड की स्थिति को देखते हुए ही आरंभ किया जाए। जो पंचायतें ग्रीन जोन में हैं और जहां एक भी कोरोना का प्रकरण नहीं है, वहां हाट बाजार खोलने के संबंध में निर्णय लिया जा सकता है। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां स्थानीय परिस्थितियों के मूल्यांकन के बाद ही बाजार खोलने की प्रक्रिया को धीरे-धीरे आरंभ करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना गरीब, निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए वरदान सिद्ध हुई है। इसे और अधिक सरल एवं उपयोगी बनाने की आवश्यकता है। श्री चौहान ने पोस्ट कोविड देखभाल को जारी रखने के निर्देश दिए। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने प्रदेश में कोरोना नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री के सतत प्रयासों, आत्म-विश्वास और सही समय पर निर्णय लेने और उसके क्रियान्वयन के लिए उन्हें बधाई दी।

**एक्टिव केस के मामले में प्रदेश 19वें नंबर पर**

समीक्षा बैठक में बताया गया कि एक्टिव केसेस की संख्या के आधार पर प्रदेश देश में 19वें नंबर पर आ गया है। नये पॉजिटिव प्रकरणों की तुलना में अधिक व्यक्ति स्वस्थ हो रहे हैं।

**अब हॉस्पिटलाइजेशन कम**

स्थिति में सुधार के परिणामस्वरूप हॉस्पिटलाइजेशन में कमी आयी है। कुल एक्टिव प्रकरणों में से 43 प्रतिशत व्यक्ति ही हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। कुल 8860 एक्टिव केस में से 5059 व्यक्ति होम आयसोलेशन में हैं। जबकि 837 व्यक्ति सामान्य बेड, 1421 व्यक्ति ऑक्सीजन बेड पर और 1543 मरीज आई.सी.यू./एच.डी.यू बेड पर हैं। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में भी कमी आ रही है।

**म्यूकारमाइकोसिस के 643 मरीज हुए डिस्चार्ज**

म्यूकारमाइकोसिस की स्थिति पर जानकारी दी गई कि अब तक कुल 1004 एक्टिव केसेस में से 643 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं।

**46 जिलों की पॉजिटिविटी दर एक प्रतिशत से कम**

प्रदेश का एक भी जिला अब रेड जोन में नहीं है। सभी जिलों की पॉजिटिविटी दर 5 प्रतिशत से कम है। भोपाल, इंदौर, रतलाम, बैतूल, जबलपुर और अनूपपुर जिलों की पॉजिटिविटी दर एक से 5 प्रतिशत के बीच है। नए पॉजिटिव केसेस की संख्या इंदौर में 202, भोपाल में 131, जबलपुर में 54, रतलाम में 15, बैतूल में 12 और अनूपपुर में 7 है। शेष 46 जिलों की पॉजिटिविटी अब एक प्रतिशत से कम है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि टेस्टिंग और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की प्रक्रिया जारी रहे।

**टीका लगवाओ-बाजार खुलवाओ**

चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग ने जानकारी दी कि भोपाल में टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापारी संघों के साथ मिलकर 'टीका लगवाओ-बाजार खुलवाओ' अभियान आरंभ किया जा रहा है।

*(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)*

# देश में टीकाकरण अभियान में आयेगी एकरूपता और गति

**भोपाल,** मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत सरकार द्वारा कोविड टीकाकरण कराने और गरीबों को दीपावली तक निःशुल्क राशन वितरण का निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार माना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक निर्णय है। इससे प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश में टीकाकरण अभियान में एकरूपता और गति आएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के निर्णय अनुसार 18 से 44 वर्ष आयु समूह का केंद्र सरकार की ओर से निःशुल्क टीकाकरण होगा। साथ ही सम्पूर्ण टीकाकरण अभियान का संचालन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। राज्यों को उनकी जनसंख्या और आवश्यकता के अनुपात में उपलब्धता के आधार पर वैक्सीन मिलती रहेगी। इससे टीकाकरण का अभियान व्यवस्थित रूप से चलेगा और कार्य में गति भी आएगी। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी का इसके लिए भी अभिनंदन है कि अब तक किसी भी नई बीमारी की वैक्सीन बनती थी तो वह देश में बनना तो दूर देश में उपलब्ध ही नहीं होती थी, परंतु प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों के सतत् प्रयासों से स्वदेशी वैक्सीन भारत को प्राप्त हुई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा गरीबों की चिंता की गई है। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अब नवम्बर तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। श्री चौहान ने मंत्रिपरिषद और प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री श्री मोदी को इन निर्णयों के लिए धन्यवाद दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीष्मकालीन मूंग के दामों में लगातार हो रही गिरावट को देखते हुए समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदने का निर्णय लिया गया है। मूंग खरीदी के लिये 8 जून से पंजीयन का कार्य भी आरंभ हो गया है। किसानों के लिए यह महत्वपूर्ण फैसला है। श्री चौहान ने कहा कि जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर गतिरोध भी समाप्त हो गया है। कोविड संक्रमण के संकट के मध्य जूनियर डॉक्टरों से हुई बातचीत के परिणामस्वरूप वे काम पर वापिस आ गए हैं।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोविड पर नियंत्रण के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों, जनप्रतिनिधियों, विधायकों, सांसदों द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों के लिए उनका आभार माना। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेशवासियों ने जिस धैर्य और संयम के साथ कोविड की स्थिति का सामना किया उसके लिए मैं प्रदेशवासियों का आभारी हूं।

# एमएसएमई विकास के लिए हमारी सोच वैश्विक - एमएसएमई मंत्री

**भोपाल,** कृषि के बाद एमएसएमई सेक्टर सबसे ज्यादा रोज़गार देता है, इसलिए एमएसएमई को लेकर मध्यप्रदेश सरकार की सोच वैश्विक है। हम केवल भारत के बाजार ही नहीं, वैश्विक बाजार के बारे में सोच रहे हैं। ये बातें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा ने एमएसएमई एवं स्टार्टअप फोरम द्वारा 'आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए रोडमैप' विषय पर वर्चुअल परिचर्चा को संबोधित करते हुये कहीं।

श्री सखलेचा ने बताया कि आगामी दिनों में मध्यप्रदेश में फर्नीचर, खिलौना और नमकीन सहित 11 कलस्टर आकार लेने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि निर्माण की लागत कम होने से उद्यमी को अधिकतम लाभ होता है, इसलिए हम उन सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं कि किस कलस्टर में आने वाली इकाइयों की लागत किस तरह कम की जाए। उन्होंने बताया कि फर्नीचर क्लस्टर से निकलने वाले लकड़ी के बुरादे के उपयोग के लिए वहां प्लायवुड इंडस्ट्री भी होगी। बड़े डिस्प्ले सेंटर से क्लस्टर की शुरुआत करें। इन प्रयासों से लागत में कमी आएगी और हमारी इकाइयां वैश्विक बाजार में अपने कदम रख पाएंगी।

# मध्यप्रदेश में स्थापित होंगे 101 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स

## सभी संभागीय मुख्यालयों पर पर्याप्त ऑक्सीजन भंडारण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट्स की स्थिति की समीक्षा करते हुये।

**भोपाल,** मध्यप्रदेश को ऑक्सीजन उत्पादन में पूर्णतः आत्म-निर्भर बनाना है। प्रदेश में ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के साथ सभी संभागीय मुख्यालयों में पर्याप्त भंडारण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे किसी भी आपात स्थिति का सामना प्रभावी तरीके से किया जा सके। प्रदेश में स्थापित होने वाले सभी 101 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स में समय-सीमा में उत्पादन आरंभ किया जाए। प्रयास यह हो कि अधिकतम इकाइयां 30 अगस्त तक क्रियान्वित हो जाएं। प्रदेश में 800 मीट्रिक टन ऑक्सीजन भण्डारण की क्षमता विकसित की जाना है। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट्स की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहीं।

### महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थान नहीं छूटे

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को ऑक्सीजन में आत्म-निर्भर बनाने के लिए शासकीय और निजी औद्योगिक इकाइयों के साथ सीएसआर तथा निजी दानदाताओं द्वारा भी पहल की जा रही है। अतः प्रदेश का समग्रता में प्लान बनाकर औद्योगिक इकाइयों तथा भंडारण व्यवस्था की स्थापना की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी महत्वपूर्ण और संवेदनशील स्थान नहीं छूटे। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के उद्यमियों को भी प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने बीना रिफायनरी और बावई में स्थापित हो रहे ऑक्सीजन प्लांट्स की प्रगति की जानकारी भी ली। पीएसए प्लांट्स की प्रगति की बिन्दुवार समीक्षा की गई।

### निरंतर बढ़ रही है उत्पादन क्षमता

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 120 मीट्रिक टन क्षमता की एयर सेपरेशन यूनिट पूर्व से ही कार्य कर रही है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में बड़े अस्पतालों से 50 मीट्रिक टन से अधिक की क्षमता विकसित करने की जानकारी मिली है। नई निजी इकाइयों में 60 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन उत्पादन की इकाइयां विकसित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

### 30 सितम्बर तक स्थापित होंगे 101 प्लांट्स

बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं में 101 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स स्थापित करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। इनमें से 18 प्लांट्स की डिलेवरी हो चुकी है। सभी स्थानों पर 30 सितम्बर तक प्लांट्स स्थापित कर दिए जाएंगे। मेडिकल कॉलेजों में आठ, जिला अस्पतालों में 60, सिविल अस्पतालों में 12 और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 19 प्लांट्स लगाए जाएंगे। बारासिवनी, सेंधवा, काटजू अस्पताल, पांढुरना, कुक्षी, इटारसी, सारंगपुर, ब्यावरा, नसरुल्लागंज, लहार, मैहर और जावरा के सिविल अस्पताल लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही बुधनी, रहटी, घोड़ाडोंगरी, सुवासरा, सीतामऊ, शामगढ़, नारायणगढ़, गरोठ, अम्वाह, चाचौड़ा, गोहद, हस्तिनापुर, करैरा, मोहाना, पोहरी, सेंवडा, कोलारस और चंदेरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भी ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जाएंगे। जबलपुर और इन्दौर के एक-एक अस्पतालों में भी ऑक्सीजन प्लांट्स स्थापित किये जायेंगे।

# मध्यप्रदेश में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन 'एम्फोटेरिसन बी' की पर्याप्त उपलब्धता

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मध्यप्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुये।

**भोपाल,** मध्यप्रदेश में ब्लैक फंगस रोग के इंजेक्शन 'एम्फोटेरिसन बी' की पर्याप्त उपलब्धता हो गई है, जिन्हें शासकीय एवं निजी दोनों अस्पतालों को दिया जा रहा है। प्रदेश में पोस्ट कोविड मरीजों का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इन मरीजों से नियमित रूप से चिकित्सक बातचीत कर इन्हें आवश्यक परामर्श दे रहे हैं। प्रदेश में कोरोना की अधिक से अधिक टेस्टिंग कराकर एक- एक मरीज को ढूंढ़कर उसका इलाज किया जा रहा है। प्रतिदिन टेस्ट की संख्या लगभग 80 हजार तक पहुंच गई है। यह बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुये कहीं।

### 12,600 एम्फोटेरिसन बी इंजेक्शन प्राप्त

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 4 जून को ब्लैक फंगस के 12 हजार 600 इंजेक्शन 'एम्फोटेरिसन बी' प्राप्त हुए हैं, जिन्हें हवाई मार्ग से बुलवाया गया है। जल्द ही 17 हजार इंजेक्शन और मिल जाएंगे। प्रदेश में वर्तमान में ब्लेक फंगस बीमारी के 1005 सक्रिय मरीज हैं। ब्लैक फंगस के भोपाल में 235, इंदौर में 428, जबलपुर में 116, सागर में 40, उज्जैन में 85, ग्वालियर में 52, रीवा में 31, देवास में 15, रतलाम में 02 तथा बुरहानपुर में 01 मरीज हैं।

### 72 प्रतिशत पोस्ट कोविड मरीजों से सम्पर्क किया गया

बैठक में बताया गया कि मध्यप्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कमांड एण्ड कंट्रोल सेंटर्स के माध्यम से 72 प्रतिशत पोस्ट कोविड मरीजों से सम्पर्क किया गया तथा उन्हें चिकित्सकीय परामर्श दिया गया। प्रदेश में स्वस्थ हुए कुल पोस्ट कोविड मरीजों में से 0.7 प्रतिशत मरीजों में पोस्ट कोविड कॉम्प्लीकेशन पाए गए।

### प्रदेश के 32 जिले ग्रीन जोन में

अब प्रदेश के 32 जिले ग्रीन जोन में हैं जहां 1 प्रतिशत से कम साप्ताहिक पॉजिटिविटी है। प्रदेश के शेष 20 जिले ऑरेंज जोन में हैं जहां 1 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक साप्ताहिक पॉजिटिविटी है।

### अधिक टेस्ट और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करें

जबलपुर जिले की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अधिक से अधिक व्यक्तियों के टेस्ट कराए जाएं तथा पॉजिटिव पाए गए हर व्यक्ति की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करें। अस्पतालों में आई.सी.यू. में 370 कोरोना के मरीज भर्ती हैं, इन्हें अच्छे से अच्छा इलाज दिया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये हैं कि सभी प्रभारी मंत्री, कोविड के प्रभारी अधिकारी, क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों के सदस्य अपने-अपने जिलों में वैक्सीनेशन अभियान को गति दें।

# पड़त भूमि पर पौध-रोपण करेगा पर्यावरण विभाग

**भोपाल,** प्रदेश में हरित क्षेत्र, प्राण वायु और भू-जल स्तर को बढ़ाने के लिए पर्यावरण विभाग पड़त भूमि पर सघन पौध-रोपण करेगा। इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा जाकर मानसून में अधिक से अधिक पौध-रोपण के प्रयास किये जायेंगे। पौध-रोपण में छायादार-फलदार वृक्षों के पौधों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये बातें पर्यावरण मंत्री श्री हरदीप सिंह डंग ने भोपाल में पर्यावरण विभाग की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए कहीं। श्री डंग ने विभागीय अधिकारियों को कोविड को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण सुधार एवं संरक्षण कार्यों में शासकीय विभागों, आम नागरिक और गैर-शासकीय संगठनों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए कार्य-योजना बनाने के निर्देश दिए।

### अंकुर अभियान में 32 हजार से अधिक रजिस्ट्रेशन

श्री डंग ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश को नैसर्गिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए न केवल शासकीय बल्कि वैयक्तिक स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। श्री चौहान प्रतिदिन पौधा रोपित कर रहे हैं। पर्यावरण दिवस 5 जून पर मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा आरंभ 'अंकुर' अभियान में 9 जून तक 32 हजार प्रतिभागियों द्वारा पंजीयन कराया जा चुका है। इनमें से लगभग 14 हजार प्रतिभागी वायुदूत एप में रोपित पौधों की फोटो अपलोड कर चुके हैं। छायादार-फलदार पौध-रोपण का यह जन-सहभागिता का कार्यक्रम प्रदेश को आगामी वर्षों में भरपूर ऑक्सीजन और जल उपलब्धता में सहायक होगा।

पर्यावरण मंत्री ने कहा कि गिट्टी क्रेशर मालिक पौध संरक्षण की सतत् जानकारी पर्यावरण विभाग को देंगे। उन्होंने कहा कि गिट्टी क्रेशर के आसपास हरियाली की कमी न हो। ग्रीन लेयर स्टोन डस्ट को सोखकर ऑक्सीजन की कमी को दूर करती है। स्टोन क्रेशर मालिक अनिवार्य रूप से स्थल के आसपास वृक्षारोपण कर उनका संरक्षण करें और इसकी जानकारी समय-समय पर पर्यावरण विभाग को देते रहें।

श्री डंग ने विभागीय अधिकारियों से भी पौध संरक्षण कार्य की निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न उद्योगों और संयंत्रों को पर्यावरणीय स्वीकृति एवं उनके संचालन के लिए दी जाने वाली सम्मति में वृक्षारोपण की संख्या निर्धारित किए जाने के संबंध में स्पष्ट उल्लेख किया जाए और सतत् रूप से मॉनीटरिंग की जाए।

### शिवना नदी संरक्षण के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव

श्री डंग ने एप्को द्वारा संचालित जल संरक्षण योजना के तहत प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि तालाब-नदी संरक्षण योजना में शिवना नदी के संरक्षण के लिए केंद्र शासन को 100 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव भेजा गया है।

*(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)*

जस्टिस अरुण मिश्रा

## एनएचआरसी के नये अध्यक्ष होंगे

सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के नये अध्यक्ष होंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय नियुक्ति समिति ने एनएचआरसी के नये चेयरमैन की नियुक्ति पर मुहर लगा दी। इसके साथ ही महेश मित्तल और डॉक्टर राजीव जैन को आयोग का सदस्य नियुक्त किये जाने की भी मंजूरी दे दी गई।

चांद

## बन सकता है दुनिया का आठवां महाद्वीप

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) ने हाल ही में एक

महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की है। ईएसए ने दो यूरोपीय इंडस्ट्री को लूनर सैटेलाइट सिस्टम पर स्टडी के लिये कॉन्ट्रैक्ट जारी किया है। ये दोनों कंपनियां संचार और नेविगेशन की सर्विस प्रदान करेंगी। इसके जरिये चांद के चारों ओर टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क बनाया जायेगा। जो चांद को दुनिया का 'आठवां महाद्वीप' बना देगा। ईएसए ने 20 मई को दोनों कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देने का ऐलान किया है। इस योजना का नाम 'मूनलाइट' दिया गया है।

कैंडीस वॉर्नर

## ओलिंपिक इवेंट में कमेंट्री करेंगी

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज डेविड वार्नर की

पत्नी कैंडीस वॉर्नर 23 जुलाई से शुरू हो रहे टोक्यो ओलिंपिक खेलों के इवेंट में कमेंट्री करती हुई नजर आयेंगी। 34 वर्षीय कैंडीस ओलिंपिक में पुरुष और महिला ट्राएथलॉस और ओपन वॉटर स्विमिंग इवेंट में कमेंट्री करती नजर आयेंगी।

एमजीएम स्टूडियो

## अरबों में बिका 97 साल पुराना स्टूडियो

अमेजन मालिक जेफ बेजोस ने हॉलीवुड फिल्म

इंडस्ट्री का सबसे फेमस स्टूडियो मेट्रो-गोल्डविन-मेयर यानी एमजीएम को खरीद लिया है। जेम्स बॉन्ड फिल्म फ्रैंचाइजी, कार्गो, वाइकिंग और रॉकी जैसी धुंआधार फिल्मों और टीवी शोज को बनाने वाली एमजीएम को अमेजन ने 845 करोड़ डॉलर यानि तकरीबन 61,500 करोड़ रुपये में खरीदा है। एमजीएम स्टूडियो को 1924 में बनाया गया था। अमेजन स्टूडियो और प्राइम वीडियो के हेड माइक हापकिंस के अनुसार स्टूडियो में 4000 से ज्यादा पॉपुलर फिल्में बनायी गयीं।

जूड टेरी

## 500 साल में पहली बार महिला बनी रियर एडमिरल

ब्रिटेन की नौसेना (रॉयल नेवी) ने पहली महिला

रियर एडमिरल के नाम की घोषणा कर दी है। नौसेना के 500 साल के इतिहास में पहली बार किसी महिला को रियर एडमिरल बनाया गया। 47 वर्षीय जूड टेरी अगस्त 2022 से यह पद संभालेंगी। यह पद आर्मी के मेजर जनरल और एयरफोर्स के वाइस मार्शल के बराबर है। बतौर रियर एडमिरल जूड पर नौसैनिकों, नाविकों की नियुक्ति और सेवानिवृत्ति के कार्यों की जिम्मेदारी होगी। वे नौसैनिकों और नाविकों के प्रशिक्षण, कल्याण और कॅरियर प्रबंधन की देखरेख करेंगी।

समीर जमतिया ने

## तैयार की बैम्बू लीफ टी

चीन और जापान से प्रेरणा लेते हुये त्रिपुरा के एक

जनजातीय उद्यमी समीर जमतिया ने बांस की पत्तियों से तरोताजा करने वाला एक पेय तैयार किया है। उसे उन्होंने बैम्बू लीफ टी नाम दिया है। समीर बांस की तकनीक के जानकार हैं। उन्होंने इस प्रक्रिया का गहन अध्ययन किया है। जमतिया के अनुसार इस पेय में एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी बायोटिक गुण भरपूर मात्रा में हैं। वे बैम्बू सोसायटी ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। उन्होंने इससे पहले भी त्रिपुरा में अधिक मात्रा में उगने वाली घास से चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

तस्नीम असलम

## भारतीय छात्रा को 10 साल के लिये मिला यूएई का गोल्डन वीजा

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का गोल्डन वीसा इस बार

एक भारतीय छात्रा को दिया गया है। छात्रा तस्नीम असलम केरल के अलपुझा की हैं। आमतौर पर दुनिया की नामी शख्सियतों को ही यूएई का यह वीजा दिया जाता है। यूएई प्रशासन ने तस्नीमा की योग्यता और उत्कृष्ट शैक्षणिक स्तर को देखते हुये 10 साल के लिये गोल्डन वीजा जारी किया है। तस्नीम शरजाह के अल-कास्मिया यूनिवर्सिटी की छात्रा हैं।

एबीगैल बुगेन्स्की

## 7 करोड़ की वैक्सीन लॉटरी विजेता बनीं

अमेरिका के ओहायो में टीकाकरण को बढ़ावा देने के

लिये चलाये गये 'वैक्स-ए-मिलियन' अभियान के पांच में से पहले विजेता का नाम घोषित हुआ है। इसमें कोरोना वैक्सीन लगवाने पर 22 साल की ऐबीगैल बुगेन्स्की ने सात करोड़ रुपये से अधिक की लॉटरी जीती है। ऐबीगैल मैकेनिकल इंजीनियर हैं। वह सिनसिनाटी की जीई एविएशन कंपनी में काम करती हैं।

झांग हॉंग

## दृष्टिहीन पर्वतारोही ने माउंट एवरेस्ट फतह किया

चीन के 46 वर्षीय दृष्टिहीन पर्वतारोही झांग हॉंग ने

माउंट एवरेस्ट फतह कर लिया। वे एशिया के पहले और दुनिया के तीसरे दृष्टिहीन शख्स बन गये हैं। उन्होंने पहली ही कोशिश में यह कामयाबी हासिल की है। बकौल झांग आप अक्षम हों या सामान्य जब तक मजबूत दिमाग है, आप हमेशा वो कर सकते हैं, जो लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। झांग जब 21 साल के थे तब ग्लूकोमा से उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी।

डॉसिंग सन

## 204 कैरेट का हीरा होगा नीलाम

अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित क्रिस्टी नीलाम घर में 143

रत्नों की नीलामी होनी है। उन रत्नों में पीला हीरा भी शामिल है। इसका नाम डॉसिंग सन है। यह 204.36 कैरेट का है। उत्तरी अमेरिका में मिले अब तक के सबसे बड़े 552.74 कैरेट के रफ हीरे से इसे तराशा गया है। इसके 40 करोड़ रुपये में बिकने की उम्मीद लगायी जा रही है।

ऑर्थर म्यूर और त्सांग यिन हंग

## एवरेस्ट फतह कर बनाया रिकॉर्ड

दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर एक ही

हफ्ते में दो नये रिकॉर्ड बने। बीते हफ्ते अमेरिका में शिकागो के 75 वर्षीय ऑर्थर म्यूर एवरेस्ट फतह करने वाले सबसे उम्रदराज अमेरिकी शख्स बन गये हैं। वहीं हॉन्गकॉन्ग की 45 वर्षीय त्सांग यिन हंग ने सबसे कम समय में शिखर को छूने का कीर्तिमान बनाया है। हंग पेशे से टीचर हैं। उन्होंने बेस कैंप से एवरेस्ट शिखर की दूरी महज 25 घंटे और 50 मिनट में पूरी की है। आमतौर पर पर्वतारोहियों को इसमें कई दिन लग जाते हैं।

इलेक्ट्रिक बोट

## सी-7 को वेनिस के समुद्री तट पर उतारा गया

कैंडेला कंपनी ने सी-7 बोट को इटली के वेनिस समुद्री

तट पर उतारा है। किराया चुका कर लोग अब इसका आनंद ले सकेंगे। यह लंबी दूरी तय करने वाली एक इलेक्ट्रिक बोट है, जो हाइड्रोफ्वाइल प्रणाली से लैस है। यह प्रणाली बोट को पानी की सतह से ऊपर चलने में मदद करती है।

अविनया दिनेश

## डब्ल्यूडब्ल्यूडीसी 21 स्विफ्ट स्टूडेंड चैलेंज का खिताब जीता

एप्पल के सालाना 'डब्ल्यूडब्ल्यूडीसी 21 स्विफ्ट स्टूडेंट

चैलेंज' के विजेताओं में भारतीय मूल की 15 वर्षीय अविनया दिनेश भी शामिल हैं। एप्पल ने अपनी कोडिंग और समस्याओं का हल निकालने के कौशल को दिखाना चाह रहे प्रतिभाशाली युवाओं को इस प्रतियोगिता में मंच दिया है। चिकित्सा और प्रौद्योगिकी को एक साथ लाने का प्रयास करते हुये अविनिया ने 'गैस्ट्रो एट होम' नामक एप बनाया है।

मलाला युसुफजई

## वोग के कवर पेज पर नजर आयेंगी

फैशन और लाइफस्टाइल पत्रिका 'वोग' के ब्रिटिश

संस्करण के जुलाई अंक में कवर पेज पर सामाजिक कार्यकर्ता एवं नोबल पुरस्कार विजेता 23 वर्षीय मलाला युसुफजई नजर आयेंगी। मलाला ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से दर्शनशास्त्र, राजनीति एवं अर्थशास्त्र की डिग्री पिछले वर्ष पूर्ण की है। ज्ञात रहे कि 15 वर्ष की उम्र में मलाला के सिर पर एक तालिबानी बंदूकधारी ने गोली मार दी थी। क्योंकि मलाला लड़कियों की शिक्षा की हिमायत कर रही थी।

नासा

## क्यूरोसिटी रोवर ने मंगल के आसमान पर बादल देखे

नासा के मंगल ग्रह पर भेजे गये क्यूरोसिटी रोवर ने वहां पर बादलों की तस्वीर ली है, जो वहां के वातावरण के हिसाब से बेहद दुर्लभ है। मंगल का वातावरण काफी

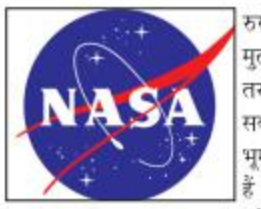


रुखा है। नासा के मुताबिक मंगल पर इस तरह के बादल वर्ष के सबसे ठंडे दिनों में उसकी भूमध्य रेखा पर देखे गये हैं। यह रेखा काल्पनिक है और इसको मंगल के अपनी धुरी पर घूमने के मुताबिक तय किया गया है। जिस वक्त ऐसा होता है उस वक्त लाल ग्रह सूर्य से काफी दूरी पर होता है।

युद्धपोत खर्ग

## ईरान की नेवी का सबसे बड़ा जहाज डूबा

इजरायल के साथ तनाव के बीच ईरान को बड़ा

झटका लगा है। उसकी नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत खर्ग भीषण आग लगने के बाद ओमान की खाड़ी में डूब गया। लगातार 20 घंटे तक आग पर काबू पाने का प्रयास किये जाने के दौरान चालक दल के सभी सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।

# स्मृति शेष

## टार्जन के अभिनेता जो लारा का निधन

अमेरिका के टेनेसी में सेस्ना 501 विमान एक झील

में क्रैश हो गया। इसमें 1989 के मशहूर टीवी सीरियल 'टार्जन इन मैन हट्टन' के अभिनेता जो लारा का 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। इस दुर्घटना में उनकी पत्नी ग्वेन सहित 7 लोगों की भी मौत हो गई।

## सुप्रसिद्ध उड़िया गायक शांतिराज का निधन

सुप्रसिद्ध उड़िया गायक, संगीतकार और संगीत

निर्देशक शांति राज खोसला का कोरोना संक्रमण से 50 वर्ष की उम्र में कटक में निधन हो गया। संगीतकार शांतिराज को वर्ष 2019 में राज्य के सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक के तौर पर सम्मानित किया गया था।

## आर्ट डायरेक्टर मारुति राव का निधन

बॉलीवुड फिल्म 'सौदागर', 'डिस्को डांसर' जैसी

कई फिल्मों के सेट्स डिजाइन करने वाले आर्ट डायरेक्टर मारुति राव काले का 92 वर्ष की उम्र में कोरोना से निधन हो गया। उन्होंने सिनेमा के लिये 100 से भी ज्यादा फिल्मों के लिये बतौर आर्ट डायरेक्टर काम किया था। उन्होंने 1960 में रिलीज हुई फिल्म 'मुगल-ए-आजम' के लिये बतौर कारपेंटर काम किया था।

## असमी साहित्यकार लक्ष्मीनंदन बोरा का निधन

असम के जाने-माने साहित्यकार लक्ष्मीनंदन बोरा

का 89 वर्ष की उम्र में कोरोना संक्रमण के कारण गुवाहाटी में निधन हो गया। पद्मश्री से सम्मानित बोरा ने 60 से अधिक किताबें लिखी हैं, जिनमें अधिकांश उपन्यास और लघु कहानियों के संकलन हैं।

*(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)*

**आप जिस क्षेत्र में उतरना चाह रहे हैं, आपके पास उस काम की पूरी जानकारी होनी चाहिये - स्टीव जॉब्स**

# मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर
# (सी-2, साउथ सिविल लाइन्स)
# जिला विधिक सहायता अधिकारी (प्रवेश स्तर) राजपत्रित के पद हेतु विज्ञप्ति

**विज्ञापन क्रमांक-37/जि.वि.स.अ./परीक्षा/2021** **जबलपुर, दिनांक : 08.06.2021**

आवेदन करने की प्रारंभ तिथि : 25 जून, 2021, दोपहर 12:00 बजे से
आवेदन करने की अंतिम तिथि : **24 जुलाई, 2021,** रात्रि 11:55 बजे तक
ऑनलाइन परीक्षा की तिथि : बाद में अधिसूचित की जावेगी।

मध्यप्रदेश जिला विधिक सहायता अधिकारी (भर्ती नियम, 2007) के अंतर्गत जिला विधिक सहायता अधिकारी (प्रवेश स्तर) द्वितीय श्रेणी राजपत्रित के निम्न रिक्त पदों के लिये, वेतनमान 56100-177500 (सातवें वेतनमान के अनुसार) निर्धारित प्रपत्र में योग्य व पात्र भारतीय नागरिक उम्मीदवारों से **केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र** आमंत्रित किये जाते हैं :-

| क्र. | श्रेणी | (अ) कुल रिक्त पदों की संख्या | (ब) कॉलम (अ) में कुल रिक्त पदों में से महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या | (स) कॉलम (अ) में कुल रिक्त पदों में से दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| अ | अनारक्षित पदों की संख्या | 07 | 02 | 00 |
| ब | अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों की संख्या | 02 | 00 | 00 |
| स | अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पदों की संख्या | 02 | 00 | 00 |
| द | अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों की संख्या | 03 | 01 | 00 |
| | **योग :** | **14** | **03** | **00** |

* पदों की संख्या परिवर्तनीय हो सकेगी।

**नोट :-**(1) ऐसे अभ्यर्थी जो मध्यप्रदेश के स्थायी निवासी नहीं हैं, वे अनारक्षित श्रेणी के ही माने जावेंगे और वे तद्नुसार अनारक्षित श्रेणी के रूप में ही आवेदन करें।
(2) अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जायेगा।

**खण्ड "अ"**

**आवेदन-शुल्क :-**

| श्रेणी | परीक्षा शुल्क (अ) | सेवा प्रदाता को देय पोर्टल व अन्य शुल्क (ब) | योग (अ)+(ब) |
|---|---|---|---|
| **अनारक्षित** एवं/अथवा मध्यप्रदेश राज्य से बाहर के आवेदकों हेतु | रु. 200/- | रु. 722.16/- | रु. 922.16/- (नौ सौ बाइस रुपये सोलह पैसे) |
| **आरक्षित वर्ग** (केवल म.प्र. के मूल निवासी) एवं/अथवा **दिव्यांग (विकलांग)** आवेदकों हेतु | रु. 0/- | रु. 722.16/- | रु. 722.16/- (सात सौ बाइस रुपये सोलह पैसे) |

**नोट :-**(1) उपरोक्त शुल्क परिवर्तन के अधीन है और परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर अभ्यर्थी को परिवर्तित शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदन शुल्क वापस किए जाने अथवा समायोजन किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है तथा शुल्क परिवर्तन के संबंध में आपत्ति(यों) पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
(2) अभ्यर्थी का आवेदन पूर्ण तभी माना जायेगा जब निर्धारित शुल्क का ट्रांजेक्सन नियत समय के भीतर सेवा प्रदाता के पक्ष पर सफलतापूर्वक हो चुका हो।

यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी कि परीक्षा हेतु आवेदन और शुल्क निर्धारित तिथि व समय के पूर्व जमा हो चुका है। बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन व अन्य किसी कारणवश यदि अभ्यर्थी का आवेदन व शुल्क यदि निर्धारित अवधि के पूर्व जमा नहीं हो पाते हैं तो इससे संबंधित अभ्यावेदनों पर कोई विचार न करते हुए उन्हें स्वतः निरस्त माना जावेगा।

**ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के निर्देश और विधि :-**

1. **कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक निर्देशों को पढ़ लें।** आप निर्देश/विज्ञापन म.प्र. उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट **www.mphc.gov.in** से डाउनलोड कर सकते हैं।
2. आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कोई प्रावधान नहीं है, अतः आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरें, समस्त विवरण सही व सटीक भरें। अपूर्ण गलत या त्रुटिपूर्ण आवेदन निरस्त माना जायेगा।
3. आवेदन पत्र ऑनलाइन ही भरा जायेगा, ऑफलाइन आवेदन पत्र या आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं होंगे।

आवेदन पत्र म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट **www.mphc.gov.in** पर ऑनलाइन उपलब्ध है, अभ्यर्थी को उक्त वेबसाइट में जाकर "Recruitment/Result" की बटन में क्लिक करना होगा, जहाँ दर्शित टैब "Click Here - OnlineApplication Forms/Admit Cards" पर क्लिक करने पर टेबिल दर्शित होगी। इस टेबिल में **District LegalAid Officer Exam-2021** के सामने 03 लिंक उपलब्ध होंगी, जो कि निम्नानुसार है :-

1. Advertisement
2. Registrartion
3. Application

**Advertisement लिंक पर क्लिक कर विज्ञापन के पूरे निर्देशों को पढ़ा जा सकता है,** तत्पश्चात् Registration लिंक पर क्लिक कर चाही गई जानकारी को सही व पूर्ण दर्ज करें, जिससे अभ्यर्थी द्वारा दिये गये मोबाइल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. में User-ID & Password भेजा जावेगा, जिसके द्वारा अभ्यर्थी Application लिंक में क्लिक कर अपना आवेदन फार्म पूरा भरकर अपनी फोटो एवं हस्ताक्षर (आवेदन पत्र में वांछित साइज में) अपलोड कर सकेंगे। पूरे फार्म को भरने के उपरांत अभ्यर्थी फार्म को Preview कर Submit बटन पर क्लिक कर निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकेंगे।

उक्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थी डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। निर्धारित शुल्क का भुगतान होने के पश्चात् अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, प्रिंट बटन पर क्लिक कर प्राप्त कर लें। उक्त प्रिंट को परीक्षा की अन्य प्रक्रियाओं के लिये अपने पास सुरक्षित रखें।

**नोट :- कृपया विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ लें और यदि आपको ऑनलाइन फार्म भरने में कोई समस्या आती है, तो दूरभाष नम्बर (022-61306271) पर तत्काल सम्पर्क करें।**

4. **जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। त्रुटिपूर्ण, असत्य या गलत जानकारी ऑनलाइन आवेदन में देने पर संबंधित आवेदक की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।**
5. **परीक्षा शुल्क का भुगतान प्रत्येक आवेदक को दिनांक 24 जुलाई 2021 को रात्रि 11:55 (pm) बजे तक करना अनिवार्य है। पेमेंट के अभाव में आवेदन स्वतः निरस्त हो जावेगा।**

**खण्ड-"ब"**

**(I) मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जिला विधिक सहायता अधिकारी प्रवर्ग के पदों हेतु अर्हतायें/पात्रता :-**

कोई भी व्यक्ति उक्त पद के लिये आवेदन करने का पात्र होगा, यदि-

(1) वह भारत का नागरिक हो,
(2) उसने उस वर्ष को, जिसमें भर्ती के लिये आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये हैं, आगामी वर्ष की पहली जनवरी अर्थात् 01.01.2022 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो परन्तु 35 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो।
परन्तु यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अथवा अन्य पिछड़े वर्गों का हो, तब उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 3 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
परन्तु यह और कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
परन्तु यह भी कि विधवा, निराश्रित एवं तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।
परन्तु यह और भी कि ऐसे अभ्यर्थी को जो सरकारी सेवक हैं (चाहे स्थायी या अस्थायी हों) उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष तक शिथिलनीय, होगी।
(3) वह किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि की उपाधि धारित करता हो।
(4) वह अच्छे चरित्र और अच्छे स्वास्थ्य का हो और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त हो, जो उसे ऐसे पद के लिये अनुपयुक्त ठहराता हो।

**(II) निरर्हतायें :-** कोई भी व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा :-

1. यदि वह म.प्र. जिला विधिक सहायता अधिकारी (भर्ती) नियम, 2007 एवं म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, अथवा
2. किसी अभ्यर्थी द्वारा अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी साधनों के समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा परीक्षा में प्रवेश के लिये उसकी निरर्हता माना जा सकेगा, अथवा
3. कोई अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत न्यूनतम आयु के पूर्व विवाह कर लिया हो, अथवा
4. कोई अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित सन्तान हों, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, अथवा

**(III) अर्हता के संबंध में विनिश्चय :-** परीक्षा में प्रवेश के लिये किसी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के बारे में म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा।

**(IV) परीक्षा की योजना :-** यह परीक्षा दो चरणों में होगी :-
(अ) ऑनलाइन परीक्षा (बहुविकल्पीय प्रश्न)
(ब) साक्षात्कार

**(अ) ऑनलाइन परीक्षा (200 अंक) :-** ऑनलाइन परीक्षा, सेवा प्रदाता के माध्यम से निर्धारित तिथि व समय पर आवश्यकतानुसार **जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर, सतना व उज्जैन (एक या एक से अधिक अथवा सभी में) मुख्यालय** के विभिन्न केन्द्रों पर आवश्यकतानुसार एक या एक से अधिक पालियों में आयोजित की जावेगी जिसकी तारीख व समय बाद में अधिसूचित किये जायेंगे। सामान्य परिस्थितियों में यह प्रयास किया जावेगा कि परीक्षा एक ही पाली में हो। अपरिहार्य दशा में, उक्त परीक्षा म.प्र. राज्य के बाहर स्थित केन्द्रों पर भी आयोजित की जा सकेगी, तब यह प्रयास किया जायेगा कि अभ्यर्थी को उसके मूलनिवास के आधार पर निकटतम परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जाये, इस संबंध में सेवा प्रदाता द्वारा किया गया आवंटन अंतिम होगा और इस बावत् कोई अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

1. **प्रवेश पत्र :-** प्रवेश पत्र सेवा प्रदाता द्वारा उच्च न्यायालय की वेबसाइट **www.mphc.gov.in** पर ऑनलाइन परीक्षा या साक्षात्कार, जैसी भी स्थिति हो, के लगभग 7 दिवस पूर्व जारी किये जावेंगे जिसका प्रिन्ट आउट अभ्यर्थी अपना आवेदन क्रमांक एवं पासवर्ड डालकर प्राप्त कर सकेंगे। परीक्षा के समय प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य होगा। प्रवेश पत्र पर अंकित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।
2. **ऑनलाइन परीक्षा का पाठ्यक्रम :-** निर्धारित पाठ्यक्रम अनुपातिक अंकों के साथ निम्नानुसार है :-

**(A) Law - 140 Questions** **Prescribed Marks : 140**
**Comprising of -** **No. of Questions**

**(1) Constitution of India** **10**
- Part-III : Fundamental Rights
- Part-IV : Directive Principles of State Policy
- Part-IVA : Fundamental Duties

**(2) Civil Procedure Code-1908** **10**
- Section-89 : Settlement of Disputes Outsides the Court
- Order X : Rule 1-A, Rule1-B & Rule 1-C
- Order XXXIII : Suits By Indigent Persons
- Order XLIV : Appeals By Indigent Persons

**(3) Indian Penal Code, 1860** **10**
- Chapter-II : General Explanations
- Chapter-III : Of Punishments :
- Chapter-IV : General Exceptions :
- Chapter-VIII : Of Offences Against The Public Tranquility
- Chapter-XVI : Of Offences Affecting the Human Body
- Chapter-XVII : Of Offences Against Property
- Chapter-XX : Of Offences Relating to Marriage
- Chapter-XXA : Of Cruelty By Husband or Relatives of Husband

**(4) Criminal Procedure Code, 1973** **15**
- Chapter-IX, Sec.-125 : Order for Maintenance of Wives, Children and Parents
- Chapter- XXIA, Sec.-265A to 265L:Plea Bargaining
- Chapter-XXIV, Sec.-303 : Right of Person Against Whom Proceedings are instituted to be Defended.
- Chapter-XXIV, Sec.-304 : Legal Aid to Accused at State Expense in Certain Cases.
- Chapter-XXIV, Sec.-320(1)(2) : Compounding of offences with M.P. State Amendments.
- Chapter-XXIV, Sec.-321 : Withdrawl from Prosecution
- Chapter-XXVII, Sec.-357 : Order to pay Compensation
- Chapter-XXVII, Sec.-357A, 357B & 357C : M.P. Victim Compensation Scheme-2015, Compensation to be in Addition to fine under Sec. 326A or Sec. 376D of Indian Penal Code & Treatment of Victims.

(5) Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 — 5
(6) Dowry Prohibition Act, 1961 — 5
(7) Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 & Rules, 2006 — 5
(8) Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques Act, 1994 — 5
(9) Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012 — 5
(10) Motor Vehicle Act, 1988
Section – 140, 163, 163A & 166 — 5
(11) Family Courts Act, 1984 — 5
(12) Hindu Law & Muslim Law — 10
(13) The Arbitration & Conciliation Act, 1996 — 5
(14) Gram Nyayalayas Act, 2008 — 5
(15) Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 — 5
(16) M.P. Crime Victim Compensation Scheme, 2015 — 5
(17) The Legal Services Authority Act, 1987 and **Related Rules & Regulations** — 30
- The Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 30 of 1987)
- M.P. Legal Services Authority Rules,1996
- M.P. Legal Services Authority Regulations, 1997
- Lok Adalat Scheme, 1997
- Instructions to Organise Permanent and Continuous Lok Adalat Under Lok Adalat Scheme, 1997
- Civil Procedure - Mediation Rules, 2006
- Legal Literacy Camp, Scheme 1999
- Paralegal Volunteers Scheme
- National Legal Services Authority (Legal Aid Clinic) Regulations, 2011
- Schemes of State Legal Services Authority
- Schemes of National Legal Services Authority
- National Legal Services Authority (FreeAnd Competent Legal Services) Regulations, 2010

**(B) General Studies & Social Science –30 Questions.** **Prescribed marks : 30**
**(C) Computer & General English – 30 Questions.** **Prescribed Marks : 30**

(शेष अगले पृष्ठ पर)

# नगरीय निकायों के विभिन्न करों के अधिभार में मिलेगी सौ प्रतिशत तक की छूट

**भोपाल,** नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने बताया है कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण रोज़गार-धंधे सहित अन्य क्षेत्रों में आयी गिरावट के कारण नागरिकों द्वारा नगरीय निकायों के करों एवं उपभोक्ता प्रभारों के भुगतान में कठिनाई महसूस की जा रही है। उन्होंने कहा है कि इन परिस्थितियों के मद्देनजर विभिन्न करों के अधिभार में छूट देने का निर्णय लिया गया है। श्री सिंह ने बताया है कि कोरोना की प्रथम लहर के दौरान भी इस तरह की छूट नागरिकों को दी गयी थी।

संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रुपये तक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रुपये तक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत और संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रुपये से अधिक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत प्रदेश के अधिकांश जिलों में अप्रैल और मई, 2021 में कोरोना कर्फ्यू तथा विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं।

नागरिकों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि ऐसे नागरिक जो 31 जुलाई, 2021 तक नगरीय निकायों को कर एवं उपभोक्ता प्रभार आदि का भुगतान करेंगे, उन्हें 3 माह अप्रैल से जून, 2021 तक की अवधि के अधिभार (सरचार्ज) नहीं देने होंगे।

नगरीय निकायों द्वारा व्ययन की गयी परिसंपत्तियों के भू-भाटक/किराये के ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि 20 हजार रुपये तक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी, नगरीय निकायों द्वारा व्ययन की गयी परिसंपत्तियों के भू-भाटक/किराये के ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि 20 हजार से 50 हजार रुपये तक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत और नगरीय निकायों द्वारा व्ययन की गयी परिसंपत्तियों के भू-भाटक/किराये के ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि 50 हजार से अधिक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रुपये तक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट, जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट और जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

# खाद्य प्र-संस्करण उद्योगों को विशिष्ट वित्तीय सहायता देने वेब पोर्टल का शुभारंभ

**भोपाल,** उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण राज्यमंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह ने कहा है कि उद्यानिकी से जुड़ी उत्पादन, भंडारण और प्र-संस्करण की संयुक्त इकाई लगाने वालों को खाद्य प्र-संस्करण उद्योगों को देय विशिष्ट वित्तीय सहायता योजना में प्राथमिकता दी जायेगी।

राज्यमंत्री श्री भारत सिंह कुशवाह ने निवास स्थित कार्यालय पर विभागीय वेबसाइट www.mphorticultre.gov.in के माध्यम से https://mpfsts.mp.gov.in/mphd/#/ पोर्टल का शुभारंभ किया।

राज्यमंत्री श्री कुशवाह ने कहा कि वर्ष 2018-19 में खाद्य प्र-संस्करण की राज्य योजना मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2014 में खाद्य प्र-संस्करण उद्योगों को देय विशिष्ट वित्तीय सहायता के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिये संचालित पोर्टल को बंद कर दिया गया था, जिसे आज से पुनः प्रारंभ किया जा रहा है। प्रदेश की उपज को प्र-संस्कृत किये जाने के क्षेत्र में उद्यमियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में कच्चे उत्पाद को प्र-संस्कृत करने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि उत्पादन से जुड़े कृषक और उद्यमी उत्पादन, भंडारण और प्र-संस्करण की इकाई को संयुक्त रूप से स्थापित करेंगे, उन्हें योजना में प्राथमिकता दी जायेगी।

मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2014 के क्रम में खाद्य प्र-संस्करण उद्योगों को देय विशिष्ट वित्तीय सहायता में लागत पूंजी अनुदान सहायता 35 प्रतिशत और अधिकतम राशि 2.5 करोड़ रुपये देय है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना केंद्र प्रवर्तित में अधिकतम राशि 10 लाख रुपये अनुदान देने का प्रावधान है।

श्री कुशवाह ने बताया कि राज्य और केंद्र के द्वारा संचालित खाद्य प्र-संस्करण को बढ़ावा देने की योजनाओं में 600 से 750 करोड़ रुपये का नवीन निवेश होना अनुमानित है। इसके माध्यम से 30 से 40 हजार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोज़गार का सृजन भी होगा।

(पिछले पृष्ठ का शेष)

**3. ऑनलाइन परीक्षा प्रक्रिया :-**

(1) ऑनलाइन परीक्षा हेतु 200 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के पूछे जायेंगे जिसमें प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर/विकल्प होंगे जिनमें से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कर सेव करना होगा। अभ्यर्थी/परीक्षार्थी प्रश्नों को किसी भी क्रम में हल कर सकेगा अर्थात् किसी प्रश्न को हल न करने की स्थिति में आगे बढ़ सकेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर पिछले पृष्ठ पर वापस जा सकेगा। ऑनलाइन परीक्षा के पूर्ण होने पर अभ्यर्थी द्वारा दिये गये प्रश्न पत्र के उत्तरों को सब्मिट (Submit) करना होगा। इसके पश्चात् किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन दिये उत्तर/विकल्प में नहीं किया जा सकेगा। इस परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र हल करने की समय-सीमा 180 मिनिट यानि 3 घंटे की होगी। इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग सिस्टम रहेगा। प्रत्येक गलत उत्तर अंकित करने पर 0.25 अर्थात 1/4 अंक काटे जावेंगे।

(2) आवेदकों के लिए ऑनलाइन प्रश्न पत्र को हल करने की प्रक्रिया से अवगत कराने हेतु म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट **www.mphc.gov.in** पर Mock Test (मॉक टेस्ट) (परीक्षा अभ्यास) की सुविधा उपलब्ध है।

(3) आवेदक को परीक्षा तिथि पर प्रवेश पत्र के साथ एक मूल फोटो पहचान पत्र साथ लाना होगा और उसके पहचान के सत्यापन के पश्चात् ही परीक्षा केन्द्र/कक्ष में प्रवेश दिया जायेगा। फोटो कापी एवं डुप्लीकेट पहचान पत्र मान्य नहीं होंगे।

(4) प्रत्येक आवेदक को ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए एक-एक कम्प्यूटर दिया जायेगा। परीक्षा शुरू करने के पहले आवेदक को निर्धारित स्थान पर अपना रजिस्ट्रेशन क्रमांक व पासवर्ड दर्ज करना होगा।

(5) ऑनलाइन परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी के कम्प्यूटर स्क्रीन पर उसका फोटो/विवरण दिखेगा, जिससे भी उसकी पहचान की जांच व पुष्टि वीक्षक द्वारा की जा सकेगी।

(6) आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि उसके आवेदन पत्र, परीक्षा हाल में उपस्थिति सूची पर तथा समस्त पत्र व्यवहार में उसके द्वारा किये गये हस्ताक्षर एक समान होना चाहिये। इनमें किसी भी प्रकार का अन्तर पाया जाता है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

**4. अनुचित साधन :-**

निम्नलिखित में से कोई भी कियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन के अन्तर्गत माना जावेगा तथा उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में शामिल होने से विवर्जित कर दिया जायेगा।

(1) परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क/नकल करना।

(2) अभ्यर्थी/आवेदक द्वारा या उसके लिए प्रतिरूपण।

(3) अपनी अभ्यर्थिता के समर्थन में कोई कूटरचित दस्तावेज बनाना या जमा करना।

(4) यदि वह चयन प्रक्रिया या नियुक्ति के किसी भी चरण में कोई महत्वपूर्ण जानकारी छुपाता है या कोई गलत जानकारी प्रदान करता है।

(5) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, इशारे करना व अन्य प्रकार से सम्पर्क साधन।

(6) यदि वह अनुचित साधनों का उपयोग करता है या उपयोग करने का प्रयास करता है या परिसर के भीतर या ऑनलाइन परीक्षा या साक्षात्कार के परीक्षा कक्ष/हॉल में कोई निषिद्ध वस्तु लाता है, या कम्प्यूटर या किसी तार, उससे जुड़े परिधीय या किसी फर्नीचर को कोई नुकसान पहुंचाता है, किसी परीक्षा केंद्र की इमारत या कोई अन्य चीज या परीक्षा के दौरान किसी उम्मीदवार या अन्य व्यक्ति से बात करना या कम्प्यूटर स्क्रीन, टेबल या अन्य उम्मीदवारों की उत्तर-पुस्तिकाओं पर झाँकना इत्यादि।

(7) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना। मोबाइल फोन, पेजर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक और संचार उपकरण/कैलकुलेटर प्रतिबंधित हैं और परिसर के मुख्य द्वार के अंदर अनुमति नहीं है जहां परीक्षा आयोजित की जाएगी। इन निर्देशों का कोई भी उल्लंघन अभ्यर्थिता को रद्द कर देगा और अभ्यर्थियों को परीक्षा से निष्कासित करने की कार्रवाई करेगा, जिसमें भविष्य की परीक्षाओं से प्रतिबंध शामिल हो सकता है, अथवा

(8) परीक्षा से संबंधित किसी भी निर्देश की अवहेलना/अवज्ञा करना, जिसमें निरीक्षक या पर्यवेक्षक या परीक्षा के संचालन में लगे किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी द्वारा मौखिक निर्देश शामिल हैं, अथवा

(9) परीक्षा या साक्षात्कार के दौरान, किसी अधिकारी या कर्मचारी या वहां ड्यूटी पर लगे किसी भी व्यक्ति को परेशान करना या धमकी देना या शारीरिक रूप से चोट पहुंचाना है या दुर्व्यवहार करना अथवा अन्य कोई भी ऐसा आचरण जो एक आदर्श परीक्षार्थी के लिये वर्जित है।

**5. परीक्षा (ऑनलाइन) का मूल्यांकन एवं परिणाम :-**

(1) परीक्षा होने के उपरान्त प्रस्तावित उत्तर कुंजी म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट **www.mphc.gov.in** पर उपलब्ध कराई जायेगी। यदि कोई अभ्यर्थी प्रस्तावित उत्तर कुंजी के संदर्भ में कोई आपत्ति करना चाहता है तो वह वेबसाइट पर प्रस्तावित उत्तर कुंजी के प्रकाशन के **दिनांक से 05 दिवस के भीतर** प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा) म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर के नाम से सम्बन्धित स्रोत/दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ स्वहस्ताक्षरित अपनी आपत्ति डाक या ई-मेल (**pregexamhcjbp@mp.gov.in**) के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है।
ऐसी किसी आपत्ति के किये जाने पर जो कि बिना किसी दस्तावेजों/स्रोतों या सबूतों के हो या निर्धारित समयावधि के पश्चात् की गई हो, विचारणीय नहीं होगी तथा बिना कारण बताये ऐसी आपत्ति निरस्त मानी जायेगी। ऑनलाइन परीक्षा के परिणामों की घोषणा के बाद की गई कोई भी आपत्ति चाहे वह किसी भी आधार पर की गई हो बिना कारण बताये निरस्त मानी जायेगी। यदि विहित समय के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो प्रस्तावित उत्तर कुंजी को अंतिम मानकर परीक्षा परिणाम बनाया जायेगा।

(2) ऑनलाइन परीक्षा में प्रत्येक श्रेणी से लगभग एक पद के विरुद्ध तीन गुना अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु बुलाये जायेंगे ताकि सभी वर्गों को समान एवं समुचित अवसर प्राप्त हो। साक्षात्कार हेतु सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। ऑनलाइन परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की श्रेणीवार सूची म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट **www.mphc.gov.in** पर प्रकाशित कर उनसे साक्षात्कार हेतु आवेदन पत्र मय दस्तावेज बुलाये जायेंगे।

(3) ऑनलाइन परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों को तय समयसीमा के अंदर निर्धारित प्रारूप में आवेदन भरकर उसके साथ अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र यथा- कक्षा 10वीं, 12वीं, स्नातक एवं विधि स्नातक की अंकसूची, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र व अन्य वांछित दस्तावेजों की स्वयं के द्वारा सत्यापित दो-दो प्रतियां **"रजिस्ट्रार (परीक्षा), परीक्षा सेल प्रशासनिक भवन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर (म.प्र.)"** को भेजना आवश्यक है। नियत समय के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को किसी भी आधार पर स्वीकार नहीं किया जायेगा और बिना कोई कारण लेख किये निरस्त माना जायेगा।

(4) तत्पश्चात् अभ्यर्थियों के आवेदन व दस्तावेजों की जांच (स्क्रूटनी) उपरांत साक्षात्कार हेतु पात्र व अपात्र अभ्यर्थियों की सूची उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर जारी कर प्रकाशित की जावेगी तथा सूची में पात्र अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु प्रवेश पत्र जारी किये जायेंगे।

**(ब) साक्षात्कार (25 अंक)**

(1) साक्षात्कार जबलपुर में आयोजित किया जायेगा।

(2) साक्षात्कार के लिये 25 अंक निर्धारित हैं।

(3) साक्षात्कार के समय चयन समिति के समक्ष अर्हकारी मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

(4) साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिये अनर्ह माना जावेगा।

(5) साक्षात्कार के समय आरक्षित वर्ग के समस्त अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थायी जाति प्रमाण पत्र मूलतः एवं स्वयं द्वारा सत्यापित पठनीय स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

**(ट) अंतिम परिणाम :-**

साक्षात्कार की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् ऑनलाइन परीक्षा एवं साक्षात्कार परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों के आधार पर अन्तिम चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची मेरिट अनुसार म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जावेगी।
मेरिट सूची में एक से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को वरीयता क्रम में ऊपर रखा जायेगा अर्थात् अधिक उम्र वाले व्यक्ति को उच्च वरीयता दी जायेगी।
सूची में अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी की आवश्यक समझी जाये, यह समाधान नहीं हो जाता कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

**(VI) सूचना के अधिकार के तहत जानकारी :-**

अन्तिम चयन सूची प्रकाशित होने के उपरांत अभ्यर्थी अपने प्राप्तांक व उत्तर पुस्तिका संबंधी जानकारी म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट से आवेदन क्रमांक व पासवर्ड डालकर प्राप्त कर सकेगा। इसके बावजूद यदि अभ्यर्थी सूचना के अधिकार के तहत आवेदन करता है, तब विहित शुल्क अदा करने व नियमानुमत होने पर परीक्षा परिणाम घोषित किये जाने से 3 माह तक आवेदक अभ्यर्थी की जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी।

**(VII) चयन एवं अभ्यर्थिता के सम्बन्ध में अन्य आवश्यक जानकारी :-**

निम्नलिखित मामलों में, उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उसे स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये विवर्जित कर दिया जायेगा :-

(1) परीक्षा में अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्णतः प्राविधिक है।

(2) चयन प्रकिया को संशोधित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माननीय मुख्य न्यायाधिपति, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर/माननीय कार्यपालक अध्यक्ष, म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर को है।

(3) यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन की शर्तें पूरी न करते हुये भी आवेदन प्रेषित करता है या उसका आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो किसी भी स्तर पर उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी, जिस पर कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा।

(4) आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करें।

(5) पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है अतः इस विषय में प्राप्त आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।

(6) यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई दाण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा किसी न्यायालय से निराकृत हो चुका हो तो निर्णय/संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक की जानकारी अनिवार्यतः दें।

(7) परिवीक्षा की अवधि मध्यप्रदेश जिला विधिक सहायता अधिकारी (भर्ती) नियम, 2007 के नियम 10 के अनुसार निर्धारित होगी।

(8) प्रतीक्षा सूची (Waiting List) अन्तिम परिणाम घोषित होने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि अथवा आगामी विज्ञापन प्रकाशन के पूर्व तक, जो भी पहले हो, तक ही मान्य होगी।

**(VIII) यात्रा व्यय का भुगतान :-**

जिला विधिक सहायता अधिकारी पद हेतु आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिये यात्रा भत्ता देय नहीं होगा क्योंकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया गया है।

**(IX) शुद्धि पत्र :-**

भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के उपरांत किसी भी समय यदि किसी भी स्पष्टीकरण, संशोधन आदि को उच्च न्यायालय की ओर से किए जाने की आवश्यकता होती है, तो यह मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर शुद्धि पत्र को जारी करके किया जा जायेगा, आधिकारिक वेबसाइट पर जारी शुद्धि पत्र को सभी अभ्यर्थियों को पर्याप्त सूचना के रूप में समझा जाएगा और इस आधार पर कोई आपत्ति नहीं की जाएगी कि अभ्यर्थी को इस तरह के शुद्धि पत्र की कोई जानकारी नहीं थी।

**(X) परीक्षा सामग्री का विनष्टीकरण :-**

सामान्य दशा में, तत्प्रतिकूल आदेश/निर्देश के अभाव में, चयनित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को छोड़कर शेष परीक्षा सामग्री एक वर्ष उपरांत विनष्ट कर दी जायेगी।

**(XI) कोविड-19 महामारी से संबंधित निर्देश :-**

परीक्षा के विभिन्न चरणों यथा ऑनलाइन परीक्षा, साक्षात्कार इत्यादि के पूर्व अथवा परीक्षा के समय अभ्यर्थी को तत्समय प्रभावशील सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा, इसके अलावा प्रवेश पत्र अथवा नोटिस के माध्यम परीक्षा सेल द्वारा कोविड-19 महामारी से संबंधित विशेष निर्देश जारी किये जा सकते हैं जिनका पालन करना अभ्यर्थी के लिए अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता परीक्षा सेल द्वारा निरस्त की जा सकेगी।

**(गिरिबाला सिंह)**
**सदस्य सचिव**

आर-45570/2021

## भारत सरकार, केन्द्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान

**ट्रैक्टर नगर, बुदनी, जिला-सीहोर (म.प्र.) - 466445**
**कृषि मशीनरी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (वर्ष 2021-2022)**
**आगामी माहों में निम्नलिखित पाठ्यक्रम चलाया जाना प्रस्तावित है :-**

| पाठ्यक्रम का नाम | कोड | अवधि | प्रारंभ की तिथि | समाप्ति की तिथि | प्रशिक्षण प्रभार | पात्रता |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **उपयोगकर्ता स्तर पाठ्यक्रम** | | | | | | |
| कृषि में ऊर्जा प्रबंधन के लिये उपयुक्त मशीनीकरण तकनीक | U-1 | 4 सप्ताह | 04.10.21<br>01.11.21<br>31.01.22 | 29.10.21<br>26.11.21<br>25.02.22 | निःशुल्क | प्रगतिशील कृषक जो मशीनीकृत खेती के इच्छुक हों, ट्रैक्टर एवं कृषि मशीनरी के मालिक/प्रचालक/ तकनीशियन, केन्द्र एवं राज्य सरकार के नामित अधिकारी/ कर्मचारी, प्रचार-प्रसार कार्यकर्ता एवं निजी संस्थान के कर्मचारी, जो कृषि मशीनरी क्षेत्र में संलग्न हों। |
| उन्नत कृषि मशीनरी का चयन प्रचालन, सुरक्षा व रखरखाव | U-2 | 6 सप्ताह | 06.09.21<br>01.11.21<br>20.12.21<br>21.02.22 | 14.10.21<br>10.12.21<br>28.01.22<br>01.04.22 | | |
| पावर टिलर का प्रचालन, रखरखाव एवं प्रबंधन | U-3 | 2 सप्ताह | 06.09.21 | 17.09.21 | | |
| महिला कृषकों के लिए उपयुक्त सहयोगी उपकरण | U-5 | 3 दिन | आवश्यकतानुसार | | | |
| जल संरक्षण उपकरण एवं सूक्ष्म सिंचाई द्वारा जल प्रबन्धन | U-7 | 1 सप्ताह | 10.01.22 | 14.01.22 | | |
| पौध संरक्षण उपकरण का चयन प्रचालन एवं रखरखाव | U-8 | 1 सप्ताह | 03.01.22 | 07.01.22 | | |
| उन्नत कटाई एवं गहाई उपकरणों का चयन, प्रचालन एवं रखरखाव | U-9 | 2 सप्ताह | 22.11.21<br>07.03.22 | 03.12.21<br>17.03.22 | | |
| शुष्क खेती के लिए कृषि यंत्रों का चयन, प्रचालन और रखरखाव | U-11 | 2 सप्ताह | 04.10.21 | 14.10.21 | | |
| फसल आधारित कृषि मशीनरी | U-12 | 1 सप्ताह | आवश्यकतानुसार | | | |
| **कौशल विकास पाठ्यक्रम** | | | | | | |
| ट्रैक्टर प्रचालक | AGR/ Q1101 | 5 सप्ताह | समाचार पत्रों एवं संस्थान की वेबसाइट पर विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। | | निःशुल्क | दसवीं कक्षा उत्तीर्ण (अधिमान्य) |
| कंबाईन हारवेस्टर प्रचालक | AGR/ Q1102 | 5 सप्ताह | | | | दसवीं कक्षा उत्तीर्ण (अधिमान्य) |
| **तकनीशियन स्तर पाठ्यक्रम** | | | | | | |
| स्टेशनरी इंजिनों एवं ट्रैक्टरों की मरम्मत व ओवरहालिंग | T-1 | 6 सप्ताह | 05.04.21<br>18.10.21<br>13.12.21<br>31.01.22 | 13.05.21<br>26.11.21<br>21.01.22<br>11.03.22 | रु. 50/- प्रति सप्ताह | ऐसे आवेदक जो ट्रैक्टर मैकेनिक, फार्म मैकेनिक, मैकेनिक एग्रीकल्चरल मशीनरी, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन या अन्य समकक्ष विषयों पर आई.टी.आई. सर्टिफिकेट परीक्षा पास कर चुके हों या उपर्युक्त विषयों पर न्यूनतम 2 वर्ष की मरम्मत का अनुभव हो या केन्द्र/राज्य/ निजी संस्थाओं में कार्यरत संबंधित विषयों के अधिकारी/कर्मचारी। |
| उन्नत कृषि यंत्रों की मरम्मत हेतु कृषि यंत्र कर्मशाला स्थापना व प्रबंधन | T-3 | 4 सप्ताह | 26.07.21 | 20.08.21 | | |
| कृषि मशीनों के हाइड्रॉलिक सिस्टम का अध्ययन व मरम्मत | T-4 | 4 सप्ताह | 06.09.21<br>29.11.21<br>24.01.22 | 01.10.21<br>24.12.21<br>18.02.22 | | |
| आटो इलेक्ट्रिकल उपकरण का रखरखाव एवं मरम्मत तथा बैटरी रि-कंडीशनिंग | T-5 | 3 सप्ताह | 19.07.21<br>04.10.21<br>07.03.22 | 06.08.21<br>22.10.21<br>25.03.22 | | |
| बिजली की मोटरें एवं सबमर्सिबल पम्प का रखरखाव, मरम्मत तथा रि-वाईंडिंग | T-6 | 3 सप्ताह | 09.08.21<br>25.10.21<br>28.03.22 | 27.08.21<br>12.11.21<br>14.04.22 | | |
| भूविकास मशीनरी (डोजर, ट्रैक्टर चलित फ्रंट डोजर व बैक हो आदि) का प्रचालन व रखरखाव | T-7 | 4 सप्ताह | 19.04.21 | 13.05.21 | | |
| डीजल पम्पिंग सेट का स्थापन मरम्मत व ओवरहालिंग | T-8 | 2 सप्ताह | आवश्यकतानुसार | | | |
| कम्बाइन हार्वेस्टर एवं भूसा-मशीन का स्थापन, रखरखाव एवं मरम्मत | T-9 | 3 सप्ताह | 28.02.22 | 17.03.22 | | |
| **शैक्षणिक स्तर पाठ्यक्रम** | | | | | | |
| डिग्री/डिप्लोमा स्तर के अभियान्त्रिकी छात्रों के लिए फार्म पावर एवं मशीनरी पर प्रशिक्षण कार्यक्रम | A-1 | 4 सप्ताह | 03.05.21<br>31.05.21<br>05.07.21<br>02.08.21 | 28.05.21<br>25.06.21<br>30.07.21<br>27.08.21 | रु. 2000/- | विभिन्न कालेजों के कृषि एवं यांत्रिकी इंजीनियरिंग, स्नातक/ डिप्लोमा/आई.टी.आई./वोकेशनल व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए। **(उपरोक्त पाठ्यक्रम हेतु आवेदन संस्था द्वारा प्राप्त होने पर ही विचार किया जावेगा व्यक्तिगत आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा)।** |
| औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के छात्रों के लिए फार्म पावर एवं मशीनरी पर व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम | A-2 | | 03.01.22 | 28.01.22 | | |
| **प्रबन्धन स्तर पाठ्यक्रम** | M-2 | 1 सप्ताह | आवश्यकतानुसार | | रु. 2500/- | आवश्यकता पर आधारित विभिन्न प्रशिक्षण ट्रैक्टर एवं कृषि मशीनरी निर्माताओं/ शासकीय विभागों द्वारा नामित इंजीनियर/प्रबंधकों/कर्मचारियों के लिए। |
| **आवश्यकता आधारित** | NB | .. | आवश्यकतानुसार | | रु. 250/- प्रति सप्ताह (कृषकों हेतु निःशुल्क) | |
| **प्रशिक्षु प्रशिक्षण** www.mhrdnats.gov.in (for degree/diploma candidates) | Graduate/ Technician App. | 1 वर्ष | नियमानुसार प्रति माह प्रशिक्षण वृत्तिका | | | कृषि/मैकेनिकल/इलेक्ट्रॉनिक एवं टेलिकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग स्नातक/डिप्लोमा उत्तीर्ण **(दिये गये वेबसाइट पर पंजीकरण करें)।** |
| www.apprenticeshipindia.org (for ITI candidates) | Trade Apprentice | 1 वर्ष | नियमानुसार प्रति माह प्रशिक्षण वृत्तिका | | | ट्रैक्टर/डीजल/मोटर मैकेनिक/इलेक्ट्रीशियन/कोपा/ पुस्तकालय सहायक/कुक/ उपकरण मैकेनिक में आई.टी.आई. उत्तीर्ण **(दिये गये वेबसाइट पर पंजीकरण करें)** |

**आवेदन कैसे करें -** आवेदक अपना विस्तृत विवरण, यथा - 1. नाम, 2. पिता का नाम, 3. जन्म तिथि, 4. वर्ग 5. पत्र व्यवहार का पता, 6. प्रशिक्षण का उद्देश्य 7. शैक्षणिक योग्यता व तकनीकी योग्यता, 8. कृषि भूमि (एकड़/हेक्टर) 9. कृषि मशीनों को चलाने का अनुभव, इत्यादि विवरण सादे कागज पर दे सकते हैं और शैक्षणिक/तकनीकी योग्यता, कृषि एवं तकनीकी क्षेत्र में अनुभव, रोजगार (नौकरी) इत्यादि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कागजातों की फोटो प्रतिलिपियों के साथ, संस्थान के निदेशक को वर्ष में कभी भी और या पाठ्यक्रम प्रारंभ होने के एक माह पूर्व तक, अपने आवेदन भेज सकते हैं। यदि चाहें तो निर्धारित आवेदन प्रपत्र रुपये 10/- के मनीऑर्डर द्वारा या व्यक्तिगत तौर पर भी प्राप्त कर सकते हैं, पोस्टल आर्डर स्वीकार्य नहीं है। ई-मेल के द्वारा भी आवेदन किया जा सकता है, किन्तु मांगे गए कागजात बाद में डाक द्वारा भेजना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण विवरणिका एवं आवेदन-पत्र संस्थान की वेबसाइट से भी प्राप्त किये जा सकते हैं। पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त न होने पर किसी भी पाठ्यक्रम को निरस्त किया जा सकता है। **सुविधाएं -** उपयोगकर्ता स्तर पाठ्यक्रम एवं कौशल विकास पाठ्यक्रम में, नामित कर्मचारियों को छोड़कर, प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को प्रति दिन रुपये 200/- प्रशिक्षण वृत्तिका दी जाती है एवं प्रशिक्षणार्थी के निवास से आने-जाने का न्यूनतम श्रेणी का किराया (मूल टिकिट जमा करने पर) प्रशिक्षण के दौरान उन्हें भुगतान किया जाता है। सभी पाठ्यक्रम के सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए संस्थान में वास्तविक दरों पर भोजन व्यवस्था एवं ठहरने के लिए निःशुल्क छात्रावास उपलब्ध है। उपयोगकर्ता स्तर पाठ्यक्रम एवं कौशल विकास पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण वृत्तिका देने का प्रावधान नहीं है तथा आने-जाने का किराया भी संस्थान द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है। प्रशिक्षु प्रशिक्षणार्थियों को नियमानुसार प्रतिमाह प्रशिक्षण वृत्तिका प्रदान की जाती है। **उम्र -** सभी पाठ्यक्रमों के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य होना चाहिए (नामित कर्मचारियों को छोड़कर) और उनको हिन्दी या अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। **संस्थान का पता :** जहां आवेदन भेजे जा सकते हैं/सम्पर्क किया जा सकता है - आवेदक संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। **निदेशक, केन्द्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान, ट्रैक्टर नगर, बुदनी, जिला-सीहोर (म.प्र.) 466445, E-mail : fmti-mp@nic.in, Website : www.fmttibudni.gov.in, Phone No. : 07564-235009, 234729, Fax No. : 07564-234743**

म.प्र. माध्यम/100923/45576/2021

## कार्यालय अध्यक्ष काउंसलिंग समिति, संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

**टैगोर छात्रावास, क्रमांक-टी2, श्यामला हिल्स, भोपाल-462002**

### लेटरल एन्ट्री के माध्यम से आई.टी.आई. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का डिप्लोमा पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु काउंसलिंग कार्यक्रम, सत्र 2020-21

**समय-सारणी**

**प्रथम चरण**

**अर्हकारी परीक्षा की मेरिट पर आधारित**

| गतिविधियां | दिनांक/समय |
|---|---|
| ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन/रजिस्ट्रेशन निरस्तीकरण | 15/06/2021 से 21/06/2021 |
| रजिस्ट्रेशन में सुधार **(Edit Registration)** **(रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि केउपरान्त, ऑनलाइन सत्यापित उम्मीदवारों के लिये यह सुविधा केवल एक बार ही उपलब्ध रहेगी)** | 22/06/2021 से 23/06/2021 |
| इच्छित संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना प्राथमिकता क्रम**(Choice filling)** में परिवर्तन की सुविधा अंतिम दो दिन उपलब्ध रहेगी | 17/06/2021 से 25/06/2021 रात्रि 11:45 बजे तक |
| कॉमन मेरिट सूची की उपलब्धता | 26/06/2021 सायं 5:00 बजे |
| आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता/आवंटित संस्था में उपस्थिति, आवंटित संस्था में मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश। | 29/06/2021 से 05/07/2021 सायं 5:00 बजे तक |
| **संस्था स्तर की काउंसलिंग (CLC)** | |
| ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन/रजिस्ट्रेशन निरस्तीकरण | 06/07/2021 से 09/07/2021 सायं 3:00 बजे तक |
| इच्छुक संस्था में प्रवेश का अवसर प्राप्त करने के लिये उपस्थित होना। | 07/07/2021 से 09/07/2021 सायं 5:00 बजे तक |
| प्रवेश निरस्तीकरण | 08/07/2021 सायं 5:00 बजे तक |

- डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के तृतीय सेमेस्टर/द्वितीय वर्ष में लेटरल एन्ट्री के माध्यम से प्रवेश हेतु अभ्यर्थी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के साथ-साथ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित ट्रेड (प्रवेश नियमों के परिशिष्ट-एक में दिये अनुसार) में दो/तीन वर्ष का पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना आवश्यक है। लेटरल एन्ट्री के माध्यम से डिप्लोमा पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में प्रवेशित विद्यार्थियों को एक सत्र में रेमेडियल विषयों (अतिरिक्त विषयों) का अध्ययन एक उपसत्र में करना होगा जिसका निर्धारण संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा किया जावेगा तत्पश्चात् नियमित रूप से तृतीय सेमेस्टर (द्वितीय वर्ष) में अध्ययन करेंगे।
- लेटरल एन्ट्री डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु ब्रांच की समतुल्यता (Equivalency) की सूची, अर्हता आदि का विस्तृत विवरण प्रवेश नियमों में उपलब्ध है।
- प्रवेश नियम, विस्तृत समय-सारणी, अभ्यर्थी मार्गदर्शिका/काउंसलिंग प्रक्रिया, आदि वेबसाइट **dte.mponline.gov.in** पर उपलब्ध है। काउंसलिंग में सम्मिलित होने के पूर्व इनका सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें।
- अधिकृत सहायता केन्द्रों के फोन नम्बर की सूची उपलब्ध है, काउंसलिंग से संबंधित किसी भी समस्या के लिये उन नम्बारों पर फोन कर सकते हैं।
- **संपर्क :- 0755-6720205, 2660441 ईमेल :- dte.helpcenter@mp.gov.in**

**(कोविड-19 के कारण, सहायता केन्द्रों पर किसी भी अभ्यर्थी को जाने की आवश्यकता नहीं)**

म.प्र. माध्यम/100951/45577/2021 **कार्यालय प्रमुख**

## मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

**कार्यालय परियोजना यंत्री, संभाग क्र. 1, भदभदा रोड़, भोपाल**

**क्रमांक/399/तशा./प.यं/2021 दिनांक : 11.06.2021**

### प्रेस विज्ञप्ति

इस कार्यालय द्वारा भोपाल जिले में शेड निर्माण कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा क्रमांक **2021_MPPHC_146496_1** आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 21.06.2021 समय 17.00 बजे तक** खरीदे जा सकते हैं। विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/100965/45579/2021 **परियोजना यंत्री**

## मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

**कार्यालय परियोजना यंत्री, पुलिस लाइन, रीवा (म.प्र.)**

**मोबाइल : 9425601523, 8871571988**

### प्रेस विज्ञप्ति

संभाग रीवा के अंतर्गत जिला रीवा एवं सतना में मरम्मत कार्यों हेतु निविदा क्रमांक 06/2021-22 **(ऑनलाइन निविदा क्रमांक MPPHCL/TENDER No. 2021_MPPHC_132090_1,)** आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक **19.06.2021 समय 17:00 बजे तक** ऑनलाइन खरीदे एवं प्रस्तुत किये जा सकते हैं एवं निविदा सूचना व अन्य विवरण **Portal : http://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/100954/45578/2021 **परियोजना यंत्री**

## THE NATIONAL LAW INSTITUTE UNIVERSITY KERWA DAM ROAD, BHOPAL- 462044 (M.P.)

**RECRUITMENT NOTIFICATION (No. – 01/2021 NLIUB)**

NLIU, Bhopal invites applications for the following academic positions with various specializations:

1. **Professor of Law ADR (Leave Vacancy) - 1 Post**
2. **Professor of Cyber Law - 1 Post**
3. **Associate Professor - 5 Posts**
(with specialization in Environmental Law/Criminal Law/IP & Business Law/Constitutional Law/**Digital Forensic**)
4. **Assistant Professor - 7 Posts**
(with specialization in Constitutional Law/Human Rights Law/Criminal Law/Corporate Law/ADR/Taxation/Cyber Law/**Information Security/ Digital Forensics/Economics** )

**(a)** Last date for receipt of applications : **30-06-2021 up to 5:00 pm.**
**(b)** For application and other details, please visit **www.nliu.ac.in.**

M.P. Madhyam/100898/45574/2021 **Registrar**

## मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

**कार्यालय परियोजना यंत्री, ग्वालियर संभाग क्र. 02, मकान नं. सी-31 कुलपति निवास के सामने, गोविन्दपुरी चौराहा, सचिन तेन्दुलकर रोड सिटी सेंटर, ग्वालियर पिन-474011**

### निविदा आमंत्रण सूचना- 04,05/2021-22 (प्रेस-विज्ञप्ति)

कार्यालय मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम संभाग, ग्वालियर क्र-2 द्वारा निर्माण/मरम्मत कार्यों हेतु निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 04, 05/2021-22 के अन्तर्गत ऑनलाइन निविदा की कार्यवाही की गई है। जिसके ऑनलाइन निविदा क्र. MPPHC_145912_1, MPPHC_145915_1 एवं MPPHC_145916_1 है। निविदा प्रपत्र दिनांक 18.06.2021 तक खरीदे जा सकते है। जिसकी विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : https://www.mptenders.gov.in** पर देखी जा सकती है।

म.प्र. माध्यम/100921/45573/2021 **परियोजना यंत्री**

## मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

**कार्यालय परियोजना यंत्री, पुलिस लाइन, रीवा (म.प्र.)**

**फोन नं. : 9425601523/8871571988**

### प्रेस-विज्ञप्ति

संभाग रीवा में मुख्यमंत्री आवास योजना तृतीय चरण के अंतर्गत जिला सिंगरौली में 12+32 आवास गृह देवसर हेतु (50 KLD) सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु निविदा क्रमांक 05/2021-22 टेण्डर नं. 2021_MPPHC_145880_1 आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 21.06.2021 समय 17:00 बजे तक** ऑनलाइन खरीदे एवं प्रस्तुत किये जा सकते हैं एवं निविदा सूचना व अन्य विवरण **Portal : http://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/100919/45572/2021 **परियोजना यंत्री**

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस - 07 जून

# आज का सुरक्षित भोजन हमें प्रदान करता है भविष्य का बेहतर स्वास्थ्य

सुरक्षित भोजन बेहतर स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ लोगों की आजीविकाओं, आर्थिक विकास, व्यापार और हर देश की अंतर्राष्ट्रीय साख के लिए भी अहम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ के अनुसार दूषित या खराब भोजन से होने वाला संक्रमण कमजोर स्वास्थ्य वाले लोगों को काफी प्रभावित करता है। कमजोर स्वास्थ्य वाले लोगों में शिशु, गर्भवती महिलाएं, वुजुर्ग और गंभीर तौर पर बीमार लोग शामिल हैं। कई बार स्थिति बिगड़ जाने पर इन मामलों में लोगों की मौत भी हो जाती है। सभी के लिए स्वस्थ जीवन और भुखमरी का अंत जैसे दो महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को टिकाऊ विकास के 2030 एजेंडा में शामिल किया गया है। इन्हें हासिल करने के लिए पोषक, पर्याप्त और सुरक्षित आहार तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना बेहद महत्वपूर्ण है। पोषक तत्वों से परिपूर्ण सेहतमंद और सुरक्षित आहार के जरिए जीवन को स्वस्थ बनाया जा सकता है। खाद्य उत्पादन को सुरक्षित-टिकाऊ बनाकर और बाजार तक पहुंच बनाने से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास तथा गरीबी उन्मूलन में सहायता मिल सकती है। सुरक्षित आहार खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि, कृषि, बाज़ार सुलभता, पर्यटन और टिकाऊ विकास में व्यापक योगदान देता है।

संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) साथ मिलकर खाद्य उत्पादकों, विक्रेताओं, नियामक एजेंसियों और नागरिक समाज संगठनों के साथ मिलकर सुरक्षित आहार के प्रति जागरूकता के प्रसार में जुटा है। इन प्रयासों के तहत संयुक्त राष्ट्र (यूएन) एजेंसियां सदस्य देशों को फूड सप्लाई चेन या खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के रास्ते में आने वाले जोखिमों की रोकथाम करने और खतरों से निपटने के लिए समुचित कदम उठाने में सहायता उपलब्ध करा रही हैं।

### संयुक्त राष्ट्र और खाद्य सुरक्षा

लंबे समय से एक साथ काम करते हुये और एक बेहतर साझेदारी के माध्यम से एफएओ और विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक खाद्य सुरक्षा का समर्थन करते हैं तथा उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। आम तौर पर एफएओ उत्पादन और प्रसंस्करण के दौरान खाद्य श्रृंखला के साथ खाद्य सुरक्षा मुद्दों को संबोधित करता है, जबकि डब्ल्यूएचओ सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ संबंधों की देख-रेख करता है। भोजन को सुरक्षित रखना एक जटिल प्रक्रिया है जो खेत में शुरू होती है और उपभोक्ता तक पहुंचने के साथ ही समाप्त होती है। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि खाद्य श्रृंखला के सभी चरणों फसलों के उत्पादन, उसकी कटाई और भंडारण की तैयारी से लेकर उसके उपभोग तक पर विचार किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन खाद्य श्रृंखला के सभी पहलुओं के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा की देख-रेख करने वाला एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। खाद्य और कृषि संगठन तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन खाद्य सुरक्षा प्रणालियों को लागू करने के लिए विभिन्न देशों के लिए क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

### विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2021 की थीम 'सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्दी टुमॉरो'

संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार प्रति वर्ष हर दस में से एक व्यक्ति यानी लगभग कुल आबादी के 60 करोड़ लोग जीवाणुओं, विषाणुओं, परजीवियों और रासायनिक पदार्थों के कारण दूषित हुए भोजन से बीमार पड़ते हैं। विषाक्त भोजन हर साल 4.20 लाख लोगों की मौत का

कारण बनता है। विशेषज्ञों का मानना है कि असुरक्षित भोजन की वजह से विकास की राह में मुश्किलें आती हैं, क्योंकि कामगारों को बीमारी, विकलांगता और समय से पहले मौत होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन के खाद्य और कृषि संगठन का कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और खाद्य व्यापार में उचित प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों को स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभाता है। कोडेक्स आयोग द्वारा वर्ष 2016 में आयोजित 39वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के भीतर स्थायी आधार पर विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस घोषित करने के प्रस्ताव को बढ़ावा देने के लिए सर्वसम्मति से सहमति बनी थी।

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने जुलाई 2017 में अपने 40वें सत्र में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के समर्थन में एक संकल्प अपनाया, जिस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिसंबर 2017 में अपना समर्थन प्रदान किया। दिसंबर 2018 में सभी स्तरों पर जागरूकता बढ़ाने तथा वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए कार्यों को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने की तत्काल आवश्यकता का संज्ञान लेते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में नामित करने का निर्णय लिया था। 7 जून 2019 को पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया।

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर बार एक विशेष थीम के साथ मनाया जाता है। इस बार खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम 'सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्दी टुमॉरो' (Safe food today for a healthy tomorrow) तय की गई है। इसका मतलब है कि आज का सुरक्षित भोजन हमारे बेहतर स्वस्थ भविष्य के लिए है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सुरक्षित खाद्य मानकों को बनाए रखने में जागरूकता पैदा करना और खाद्य जनित बीमारियों के कारण होने वाली मौतों को कम करना है।

### महामारी के दौर में खाद्य सुरक्षा

पिछले साल नवंबर में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि कोविड-19 महामारी शुरू होने के समय ही रिकॉर्ड स्तर पर रही वैश्विक भुखमरी और आबादी के विस्थापन की स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि प्रवासी लोगों और बाहर से भेजी जाने वाली रकम पर निर्भर लोगों को अपने परिवारों की गुजर-बसर चलाने के लिए कामकाज पाने के लिये मजबूर होना पड़ रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि खाद्य असुरक्षा और विस्थापन घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। दुनिया भर में मौजूद 10 में से 9 सबसे भीषण खाद्य संकट ऐसे देशों में हैं जहां देश के भीतर ही विस्थापित होने वाले लोगों की संख्या भी बहुत बड़ी है। यूएन की तरफ से यह भी कहा गया है कि कोविड महामारी की वजह से 27 करोड़ लोग कुपोषण और भुखमरी की तरफ जाने को मजबूर हुए हैं। इन 27 करोड़ लोगों में से लगभग 3 करोड़ लोग अपने जीवित रहने की जरूरतों को पूरा करने के लिये पूरी तरह से विश्व खाद्य कार्यक्रम की सहायता पर निर्भर हैं।

संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार हिंसक संघर्ष, मौसमी घटनाओं और कोविड-19 की वजह से पैदा हुए आर्थिक संकट के कारण वर्ष 2020 में कम से कम 15.50 करोड़ लोगों को संकट के स्तर पर खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ा है। वहीं 38 देशों और क्षेत्रों में लगभग 2.80 करोड़ लोगों को पोषक आहार की गंभीर कमी से जूझना पड़ रहा है और वे कुपोषण के सबसे खराब रूप का शिकार होने से बस एक ही कदम दूर हैं। एक अनुमान है कि वर्ष 2020 में 9.80 करोड़ लोगों के पास खाने के लिये पर्याप्त भोजन नहीं था, जिससे उनके जीवन पर जोखिम मंडरा रहा है।

### अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

- संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) को वर्ष 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार विजेता घोषित किया गया है। यह संगठन दुनिया भर में करोड़ों लोगों को जीवनदायी खाद्य सहायता मुहैया कराता है।
- संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि खाद्य सुरक्षा में सुधार व्यापार, रोज़गार और गरीबी उन्मूलन में सकारात्मक योगदान देता है।
- विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के कारण दुनिया के अनेक देशों में भुखमरी से पीड़ित लोगों की संख्या में बढ़ोत्तरी होने की आशंका से चिंता व्याप्त है। लॉकडाउन के कारण स्कूल भी बंद हैं, जिससे करोड़ों बच्चे प्रभावित हुए हैं, खासकर वो बच्चे जो अपने भोजन के लिए स्कूलों में मिलने वाले आहार पर निर्भर थे। संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने सरकारों से ऐसे 37 करोड़ बच्चों की स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जरूरतों का ध्यान रखे जाने की अपील की है।

**- रश्मि रंजन**
(लेखिका, समसामयिक मुद्दों पर लेखन करती हैं।)

## विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये सामान्य ज्ञान खेल

**1. फीफा वर्ल्डकप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ी हैं?**
(अ) जिनेडिन जिदान
(ब) जस्ट फोंटेन
(स) गर्ड मुलर
(द) मिरोस्लाव क्लोस

**2. इस वर्ष इनमें से कौन-सा खिलाड़ी मोनाको ग्रांप्री में चैम्पियन बना है?**
(अ) मैक्स वर्स्टापेन
(ब) लुईस हैमिल्टन
(स) वाल्टेरी बोटास
(द) चार्ल्स लेकलर्क

**3. एश्वर्या पिस्सी किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं?**
(अ) बैडमिंटन (ब) स्क्वैश
(स) एथेलेटिक्स (द) मोटर स्पोर्ट्स

**4. वर्ष 2020 में किस देश ने आईसीसी अंडर-19 वर्ल्डकप जीता है?**
(अ) भारत (ब) बांग्लादेश
(स) इंग्लैंड (द) पाकिस्तान

**5. इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन से ब्लू क्रॉस सम्मान हासिल करने वाले पहले भारतीय निशानेबाज हैं?**
(अ) अभिनव विंद्रा
(ब) गगन नारंग
(स) जीतू राय
(द) अंजलि भागवत

**6. वर्ष 2014 में एफआईएच हॉकी वर्ल्डकप किस देश में आयोजित किया गया था?**
(अ) जर्मनी (ब) मलेशिया
(स) नीदरलैंड (द) बेल्जियम

**7. स्ट्रांजा मेमोरियल टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है?**
(अ) गोल्फ
(ब) कुश्ती
(स) निशानेबाजी
(द) मुक्केबाजी

**8. इनमें से किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है?**
(अ) अजीत अगरकर
(ब) वेंकट रमन
(स) रमेश पवार
(द) विनोद कांबली

**9. एशेज सीरीज किन दो देशों के बीच खेला जाने वाला क्रिकेट टूर्नामेंट है?**
(अ) ऑस्ट्रेलिया-इंग्लैंड
(ब) वेस्टइंडीज-इंग्लैंड
(स) ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड
(द) न्यूजीलैंड-इंग्लैंड

**10. लंदन मैराथन-2020 में पुरुष वर्ग में चैम्पियन बने थे?**
(अ) जुआन लुईस बोरिस
(ब) शूरा किताता
(स) इलियुड किपचोगे
(द) क्रिस थॉमसन

**11. इस वर्ष बुंदेस लीगा का खिताब किस क्लब ने जीता है?**
(अ) बोरूसिया डॉर्टमंड
(ब) बायर लिवरकुसेन
(स) बायर्न म्युनिख
(द) इनमें से कोई नहीं

**12. वन-डे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ी हैं?**
(अ) लसिथ मलिंगा
(ब) आकिब जावेद
(स) चेतन शर्मा
(द) शेन वॉन्ड

**13. हालही में इनमें से किसे एफआईएच का अध्यक्ष चुना गया है?**
(अ) नरेन्द्र बत्रा
(ब) मार्क कोउड्रोन
(स) फुमियो ओगुरा
(द) थिएरी वेल

**14. इस वर्ष किस खिलाडी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवॉर्ड मिला है?**
(अ) अर्माड डुप्लेंटिस
(ब) लुईस हैमिल्टन
(स) लियोनेल मेसी
(द) राफेल नडाल

**15. किस देश से कोपा अमेरिका कप की मेजबानी वापस लेकर ब्राजील को दी गई है?**
(अ) अर्जेंटीना (ब) पैराग्वे
(स) इक्वाडोर (द) चिली

**16. स्विट्जरलैंड ने किस वर्ष डेविस कप का खिताब जीता था?**
(अ) वर्ष 2010
(ब) वर्ष 2012
(स) वर्ष 2014
(द) वर्ष 2018

**17. इनमें से कौन-सा खिलाड़ी निशानेबाजी से संबंधित नहीं है?**
(अ) सौरभ चौधरी
(ब) अभिषेक वर्मा
(स) शहजार रिजवी
(द) बजरंग पूनिया

**18. लंदन ओलिंपिक-2012 में पुरुषों की 10 हजार मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक विजेता हैं?**
(अ) योहान ब्लैक
(ब) मोहम्मद फराह
(स) जस्टिन गेटलिन
(द) स्टीफन किप्रोटिक

**19. मैड्रिड ओपन-2021 में महिला एकल वर्ग की चैम्पियन बनी हैं?**
(अ) एश्ले बार्टी
(ब) सिमोना हालेप
(स) आर्यना सबालेंका
(द) पेत्रा क्वितोवा

**20. भारतीय बॉक्सर मनदीप जागड़ा ने किस बॉक्सर को हराकर प्रो बॉक्सिंग में कदम रखा है?**
(अ) केनेलो अल्वारेज
(ब) लुसियानो रामोस
(स) एंथोनी जोशुआ
(द) अर्नेस्ट अमुजु

**21. वर्ष 2020 में मलेशिया मास्टर्स में पुरुष एकल वर्ग के विजेता बने हैं?**
(अ) केंटो मोमोटा
(ब) चेन लॉन्ग
(स) विक्टर एक्सेलसन
(द) पी. कश्यप

**22. वर्ष 1958 में कॉमनवेल्थ गेम्स किस शहर में आयोजित किए गए थे?**
(अ) क्वालालंपुर
(ब) क्राइस्टचर्च
(स) ब्रिस्बेन
(द) कार्डिफ

**23. भारत ने वर्ष 2013 में किस देश को हराकर आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था?**
(अ) ऑस्ट्रेलिया
(ब) पाकिस्तान
(स) इंग्लैंड
(द) श्रीलंका

**24. लुईस हैमिल्टन ने अब कितनी बार फॉर्मूला-वन चैम्पियनशिप जीती है?**
(अ) चार (ब) पांच
(स) छह (द) सात

**25. हरभजन सिंह ने टेस्ट क्रिकेट में किस देश के खिलाफ शतक बनाया है?**
(अ) न्यूजीलैंड
(ब) वेस्ट इंडीज
(स) दक्षिण अफ्रीका
(द) बांग्लादेश

### उत्तर

1. (ब), 2. (अ), 3. (द), 4. (ब), 5. (अ), 6. (स), 7. (द), 8. (स), 9. (अ),10. (ब), 11. (स), 12. (ब), 13. (अ), 14. (द), 15. (अ), 16. (स), 17. (द), 18. (ब), 19. (स), 20. (ब), 21. (अ), 22. (द), 23. (स), 24. (द), 25. (अ)

**- पुष्पेंद्र कुमार सविता**
(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वाले विषयों पर लेखन करते हैं।)

### बुलंद हौंसले और पुख्ता इंतजामों से

# कोरोना मुक्ति की ओर बढ़ता मध्यप्रदेश

**भोपाल,** किसी भी राज्य को यह एहसास भी न था कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर इतनी घातक होगी। दूसरी लहर में जिस गति से कोरोना ने अपने पैर पसारे, उससे सभी राज्य हतप्रभ रह गये। मध्यप्रदेश भी उन्हीं में से एक था। अचानक कोरोना के संक्रमण का बढ़ना सभी के लिये चिंता का विषय था। इन कठिन परिस्थितियों में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बुलंद हौंसले और पुख्ता इंतजामों के साथ प्रदेश की जनता को कोरोना से बचाने के लिये सुरक्षा कवच प्रदान किया।

जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा था, ऐसे में इंतजामों के लिये समय बहुत कम था। इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री ने हार नहीं मानी। प्रतिदिन लगभग 20 घंटे जागकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रभावी रणनीति बनाई और प्रदेश के हर जिले में चिकित्सकीय व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया। कोरोना संक्रमण के प्रकरणों को देखते हुए शासकीय अस्पतालों में वेड्स की संख्या बढ़ाते हुए जरूरी औषधियों की आपूर्ति भी सुनिश्चित की गई। इसी बीच कोरोना वायरस ने अपना रौद्र रूप लेकर मरीजों के लंग्स पर असर डालना शुरू कर दिया। इस स्थिति में मरीजों को ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ने लगी। स्थिति गंभीर हो रही थी, लेकिन श्री शिवराज सिंह चौहान ने हार नहीं मानी। दिन-रात एक कर वे ऑक्सीजन की व्यवस्था में जुट गये। राज्य स्तर पर होने वाले सभी प्रयत्न किये गये। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्रियों से संवाद कर ऑक्सीजन की कम समय में आपूर्ति करवाई। राज्य के बाहर से आने वाली ऑक्सीजन के लिये टैंकरों को इंडियन एयर फोर्स के विमानों से झारखंड और राजस्थान भेजा गया। जहां से रेल एवं सड़क मार्ग द्वारा ऑक्सीजन मध्यप्रदेश को मिली और कोरोना मरीजों के लिये जीवन दायिनी बनी।

#### ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता के प्रभावी प्रयास

जरूरत के समय ऑक्सीजन बाहर से मंगाना मजबूरी थी। इस मजबूरी को खत्म करने के लिये मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने संकल्प लिया कि प्रदेशवासियों के हित में ऑक्सीजन की उपलब्धता प्रदेश में ही करेंगे। इस दिशा में उन्होंने तेजी से प्रयास करने प्रांरभ कर दिये। इसमें केंद्र सरकार का सहयोग लिया गया और ऑक्सीजन बनाने वाली कम्पनियों से भी सम्पर्क किया गया। सच्चे मन से किये गये प्रयास अब रंग लाना शुरू हो गये हैं। श्री चौहान की पहल पर मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में 96 ऑक्सीजन प्लांट्स का कार्य निर्माणाधीन है। इनमें से कुछ प्लांट्स ने कार्य प्रांरभ कर दिया है। शेष का कार्य समय-सीमा निर्धारित कर पूरा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के प्रयासों से शीघ्र ही मध्यप्रदेश ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर होगा। वर्तमान में केंद्र सरकार और अन्य वाहय स्त्रोतों से प्राप्त हो रही ऑक्सीजन के अलावा राज्य सरकार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के माध्यम से भी मरीजों को ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। प्रदेश के भोपाल, रीवा, इन्दौर, ग्वालियर और शहडोल में नवीनतम तकनीक वीपीएसए आधारित ऑक्सीजन प्लांट्स लगाये जा रहे हैं। इनमें प्रति मिनट 300 से 400 लीटर ऑक्सीजन बनेगी। इस नवीनतम तकनीक से ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने वाला मध्यप्रदेश, देश का पहला राज्य है।

#### बचाव की प्रभावी रणनीति

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिये जो रणनीति अपनाई, उसमें पहली- कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ना। इस कार्य में शासन के मंत्री, विभिन्न विभागों के अधिकारी, जन-प्रतिनिधि, सामाजिक संस्थाएं, स्वयंसेवी संगठन और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की जनता ने भी सक्रिय होकर कार्य किया हैं। क्षेत्र की जनता ने कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिये स्व-प्रेरित होकर जनता कर्फ्यू भी लगाया। इस कार्य में प्रदेश के अनेक ग्रामों ने आदर्श भी प्रस्तुत किया है। अपने गाँव को कोरोना से सुरक्षित करने के लिये ग्रामीणों ने पूरा गाँव लॉक कर दिया। जरूरत का सामान लाने के लिये गांव के 4-5 लोग ही बाहर जाते हैं और पूरे गांव के लोगों के लिये सामग्री लाते हैं। कोरोना से बचाव का यह अभिनव नवाचार भी है। राज्य शासन की अपील पर कई क्षेत्रों में लोगों ने अपने वैवाहिक एवं सामाजिक कार्यों को अभी न करने का निर्णय भी लिया है।

#### प्रभावी किल कोरोना अभियान

मुख्यमंत्री की रणनीति का दूसरा कदम 'किल कोरोना अभियान' है। इस अभियान में गांव-गांव टीम बनाकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया और घर-घर जाकर संभावित मरीजों की पहचान कर उनके उपचार की व्यवस्था भी सुनिश्चित की है। ब्लॉक और ग्राम स्तर पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप भी तैयार किये गये हैं, जिसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड केयर सेंटर और क्वारेंटाइन सेंटर्स भी बनाये गये हैं। इन सेंटर्स पर उपचार के साथ अन्य जरूरी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। श्री चौहान के आह्वान पर एक लाख से अधिक सामाजिक कार्यकर्ता कोरोना वॉलेंटियर्स बनकर सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोविड नियंत्रण में जन-जागरूकता के कार्यों में अहम योगदान दे रहे हैं। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा सक्रिय भूमिका निभाई जा रही है।

संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार द्वारा 'जीवन अमृत योजना' शुरू की गई। योजना में अब तक लगभग 2 लाख काढ़े के पैकेट घर-घर वितरित कर लोगों को लाभान्वित किया गया। इसी क्रम में 'योग से निरोग' कार्यक्रम भी प्रदेश में चलाया जा रहा है। इसमें योग प्रशिक्षक होम आइसोलेटेड मरीजों को ऑनलाइन योगाभ्यास करवा रहे हैं।

#### वैक्सीन का सुरक्षा कवच

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन को कोरोना से बचाव के लिये वैक्सीन का सुरक्षा कवच प्रदान किया जा रहा है। प्रदेश के मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का यह प्रयास है कि चरणबद्ध तरीके से सभी वर्गों को वैक्सीन लगाई जाए। इसके लिये वैक्सीन की उपलब्धता भी बड़े पैमाने पर की जा रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि इस संकट काल में वैक्सीन कोरोना से सुरक्षा प्रदान कर रही है। हमारा लक्ष्य सभी को सुरक्षा कवच प्रदान करना है, इसलिये वैक्सीन खरीदी के लिये व्यापक स्तर पर आर्डर जारी कर दिये गये हैं।

#### दवाओं की कालाबाजारी और उपचार की लूट की सख्ती से रोकथाम

कोरोना मरीजों के प्रति संवेदनशील और कालाबाजारी एवं मिलावटखोरों के प्रति सख्त मुख्यमंत्री का कहना है कि उस समय मन में अति पीड़ा होती है, जब यह तथ्य सामने आता है कि कुछ स्वार्थी लोग कोरोना उपचार की दवाओं एवं अन्य सामग्री की कालाबाजारी एवं नकली दवाओं के विक्रय में लिप्त हैं। ऐसे लोग मानवता के दुश्मन हैं। मध्यप्रदेश की धरती पर ऐसे नरपिशाचों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जा रही है। मध्यप्रदेश सरकार की उन निजी अस्पतालों पर भी कड़ी नजर है, जो कोरोना उपचार के नाम पर जनता के साथ लूट-खसोट कर रहे हैं। ऐसे अस्पतालों और संचालकों के विरुद्ध भी कार्यवाहियां की जा रही हैं।

#### तीसरी लहर के प्रति भी पूरी सजगता

वर्तमान में कोरोना की दूसरी लहर से प्रदेशवासियों को बचाने की पुख्ता व्यवस्था के साथ मुख्यमंत्री द्वारा आगामी रणनीति भी तैयार की जा रही हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के प्रति मुख्यमंत्री पूर्ण सजग एवं जागरूक होकर ऐसी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करना चाह रहे हैं, जिससे समय रहते कोरोना की तीसरी लहर पर नियंत्रण किया जा सके। इसके लिये स्वास्थ्य के क्षेत्र में इन्फ्रा-स्ट्रक्चर को बढ़ाने एवं अन्य व्यवस्थाओं को बढ़ाने की कार्य-योजना पर तेजी से अमल किया जा रहा है। श्री चौहान का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर से बहुत सबक लिया गया है। भविष्य में ऐसी स्थिति निर्मित न हो, इसके पुख्ता इंतजाम पहले से ही कर लिये जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार सतर्क है, जनता को भी सतर्क और सजग रहना होगा। सरकार और समाज मिलकर सभी को कोरोना से बचाएंगे।

#### संवेदनशील निर्णय और गरीबों को आर्थिक संबल

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना काल में गरीब वर्ग का परिवार के सदस्य के रूप में पूरी संवेदनशीलता के साथ ख्याल रखा। उन्होंने कोरोना काल में अनेक ऐसी योजनाएं भी शुरू की जो गरीब और असहाय लोगों के लिये वरदान साबित हो रही हैं। इन योजनाओं में मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना, विशेष अनुग्रह योजना, अनुकम्पा नियुक्ति योजना, कोरोना योद्धा कल्याण योजना और मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना शामिल हैं।

## भोपाल में चलाया गया कोरोना जागरूकता अभियान

**भोपाल,** चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास सारंग ने शक्तिशाली संदेशों के बीच न्यू-मार्केट स्थित खेड़ापति हनुमान मंदिर के सामने से एक अनूठे अभियान का शुभारम्भ किया। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए इस अभियान में बच्चों के बीच लोकप्रिय चरित्र 'मोटू और पतलू' के माध्यम से आमजन को जागरूक करते हुए वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया गया। श्री सारंग की पहल पर स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से कोरोना जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान को एनएसएस, आवाज, यूनिसेफ और जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है।

श्री सारंग ने कहा कि मध्यप्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए बच्चों के विशेष संदर्भ में यह अभियान शुरू किया गया है। अभियान में बच्चों को लेकर बरती जाने वाली सावधानियां और बच्चों द्वारा अपने माता-पिता से की गई मार्मिक अपील शामिल है। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रयास बहुत आवश्यक हैं और आशा है कि यह पहल कारगर होगी। उन्होंने इस मौके पर 'मोटू और पतलू' के चरित्रों को मास्क भी पहनाया और अभियान वाहन का फीता काटकर शुभारम्भ भी किया। साथ ही, संदेश दिये गये कि 'जो अपने बच्चों से करे प्यार, वो कोरोना वैक्सीन से कैसे करे इंकार' और 'पापा-मम्मी, पहले मास्क, उसके बाद ही दूसरा टॉस्क'।

कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया ने कहा कि कोरोना को हराने के लिए जिला प्रशासन हर समय सक्रिय है और यह कोशिश की जा रही है कि तीसरी लहर से बच्चों को किसी भी तरह का नुकसान न हो, इसलिये यह एक केंद्रित प्रयास किया जा रहा है।

आवाज की ओर से सुश्री रोली शिवहरे ने कहा कि आवाज समूह कुछ यूनिक चरित्रों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने जा रहा है। इस बार बच्चों के बीच लोकप्रिय चरित्रों के साथ सामने आये हैं। विश्वास है कि यह पहल कारगर होगी और हम सभी कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे। अनलॉक हुआ है तो हमें संभलकर चलने की ज्यादा जरूरत है।

एनएसएस के कार्यक्रम समन्वयक डॉ. अनन्त सक्सेना ने कहा कि एनएसएस का स्वयंसेवक हर समय कंधे से कंधा मिलाकर अपनी सेवाएं देता है। इसके पहले भी हम मोर्चे पर डटे रहे हैं और आगे भी डटे रहेंगे। इसी बीच 'मोटू-पतलू' की जोड़ी ने न्यू-मार्केट में बिना मास्क घूम रहे लोगों को मास्क वितरित किये। जो माता-पिता मास्क लगाये थे और वैक्सीन भी लगवा चुके थे, उन्हें मोटू-पतलू ने फूल देकर सम्मानित किया।


ADMISSION ANNOUNCEMENT 2021-22

विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) 456010
VIKRAM UNIVERSITY,UJJAIN (M.P.) 456010

CBCS in PG & UG Courses at the University Teaching Departments

*Admission Through DTE, Bhopal*
MBA
MCA
BE Civil, Electrical, Electronics, Mechanical, Electronics & Communication
M Tech Structural Engineering, Thermal Engineering, Power System Automation, Digital Communication

U.G.COURSES

ARTS
Bachelor of Library & Information Science
Bachelor of Journalism & Mass Communication
SOCIAL SCIENCES
BA Honours-Political Sceince
BA Honours- Economics
BA Honours-Sociology
BA Honours-History
BA Honours Police Science
COMMERCE
B Com Honours
B B A Honours
SCIENCE
B. Pharma
ENGINEERING SCIENCES
BCA
B.Sc. Honours - Computer Science
BCA Honours
LIFE SCIENCES
B.Sc. Honours Biotechnology
B.Sc. Honours Microbiology
B.Sc. Honours - Food Technology
B.Sc. Honours - Botany
B.Sc. Honours - Forensic Science
PHYSICAL EDUCATION
Bachelor of Physical Education & Sports

OTHER COURSES : Diploma, Certificate etc.
PG Diploma in Yoga Education & Philosophy
Diploma in Airfare & Travel Management
PG Diploma in Heritage Management
PG Diploma in Tourism and Hotel Management
PG Diploma in Musiology
PG Diploma in Remote Sensing & GIS
PG Diploma Ground Water Management
Diploma in Karmakanda
Senior Diploma in Russian
Diploma in Russian
Certificate Courses in Russian, French
Certificate in Ramcharitmanas main Vigyan aur Sanskriti
PG Diploma in Guidance & Counselling (PGDGC)
PG Diploma in Translation Studies
PG Diploma in Astrophysics
Certificate Course in Optoelectronic Devices & Applications
PGDCSA
PGDCSA (Data Science)
PGDCSA (Web Development & Software Testing)
PGDCSA (AI and Machine Learning)
Diploma in Aquaculture Technology
Diploma in Fish Culture Technology
Certificate Course in Aquaculture Technology
Certificate Course in Industrial Pollution and Wastewater Treatment Technology
Certificate Course in Vermiculture Technology
Certificate Course in Instrumentation Laboratory Technology
PG Diploma in Vedic Mathematics (PGDVM)
PG Diploma in Biomathematics (PGDBM)
PG Diploma in Environment Management
PG Diploma in Rural Development
Diploma in Income Tax and GST Practice
Diploma in Banking and Finance
Diploma in Front Office Operation
PG Diploma in Food Safety and Quality Control
PG Diploma in Applied Mycology
Certificate in Mushroom Technology
Certificate in Gardener Training
Certificate in Vermicompost Technology
Certificate in Food Preservation and Processing
Certificate in Food Adulteration
Certificate in Milk Adulteration
PG Diploma in Library Automation and Networking (PGDLAN)
PG Diploma in Local Governance & Political Leadership

ADMISSION THROUGH MERIT BASIS
LAST DATE FOR SUBMISSION OF ONLINE ADMISSION FORMS
AUGUST 31, 2021 FOR UG, PG AND DIPLOMA COURSES

P.G. COURSES
ARTS
MA Hindi
MA English
MA Sanskrit
MA Philosophy
MA Jyotirvigyan
MA Vedic Studies
MA Mass Communication
M Lib & I Sc.
MA Yoga
SOCIAL SCIENCE
MA Economics
MA Political Science
MA Public Administration
MA Human Rights
MA Ancient Indian History Culture & Archaeology (AIHC)
M S W
MA Sociology
NON - FORMAL EDUCATION
MA Population Education
COMMERCE
M Com

SCIENCE
M Sc Physics
M Sc Electronics
M Sc Chemistry
M Sc Mathematics
M Sc Statistics
M Sc Geology
M Sc Bio Chemistry
LIFE SCIENCE
M Sc Zoology
M Sc Botany
M Sc Biotechnology
M Sc Microbiology
M Sc Environment Mangement
M Sc Forensic Science
M Sc Food Technology
ENGINEERING SCIENCES
M Sc Computer Science
M.Sc. Data Science
M.Sc. AI & Machine Learning
M.Sc. Information Security
M.Sc. Information Technology
LAW
LLM

Proposed Courses
M Pharma Pharmaceutis
Diploma in Pharmacy
Diploma in Community Organization & Development
Diploma in Clinical Social Work
Diploma in Child Welfare
BA LLB ( 5 Years Integrated Course)
B Sc Honours Agriculture
B Sc Agriculture in Different Fields
M Sc Agriculture in Different Fields
M Sc Horticulture
M Sc Forestry
PG Diploma in Agriculture

विशिष्टताएँ
• लगभग 1.00 लाख विद्यार्थियों का अध्ययन
• परीक्षा आयोजन और परिणाम की समयबद्धता में प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय
• प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था
• राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी/कार्यशालाओं का नियमित आयोजन
• रोजगारोन्मुखी एवं व्यवसाय पाठ्यक्रमों का संचालन
• सांस्कृतिक/खेल/एनसीसी/एनएसएस/ व्यक्तित्व विकास गतिविधियों में पुरस्कृत
• विश्वविद्यालय ई-गवर्नेंस के माध्यम से विद्यार्थियों को sms एवं e-mail से सूचना (विद्यार्थी अपना e-mail एवं मोबाइल नंबर अवश्य दें)
• CBCS : चयनित अनुभव पाठ्यक्रम के अध्ययन का अवसर अन्यानुशासनिक विषय, भाषा, व्यक्ति सुधारकम, ईकॉमर्स विषय
• सत्र 2021-22 से अध्ययनशालाओं में संचालित सभी स्नातक (ऑनर्स/पास) पाठ्यक्रमों का संचालन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार होगा।

ADMISSION BROCHURE CAN BE DOWNLOADED FROM
www.vikramuniv.ac.in
Email: dswvvujjain@gmail.com

Admission and weightage as per the Guidelines of the Department of Higher Education, Govt. of M.P.
*UG & PG Admission forms should be submitted online on or before the specified last date at www.vikramuniv.ac.in along with fee of Rs.750/- only.
*Hard copy of complete application form along with all necessary documents should be submitted to the concerned department.
MPM/100914/21

खेल चर्चा

## सर्जियो पेरेज ने जीती अजरबेजान ग्रांप्री

**बाकू,** मोटर रेसिंग कंपनी रेडबुल के मैक्सिकन कार रेसर सर्जियो पेरेज ने अजरबेजान ग्रांप्री फॉर्मूला-वन रेस में जीत दर्ज की है। पेरेज ने 44 लैप की इस रेस को 2 घंटा 13 मिनट और 36.41 सेकेंड में पूरा किया। रेस में सबेस्टियन वेटल दूसरे, पियरे गास्ली तीसरे, चार्ल्स लेकलर्स चौथे तथा लैंडो नॉरिस पांचवें स्थान पर रहे। रेस में एक समय रेडबुल के ही मैक्स वर्स्टापेन शीर्ष पर चल रहे थे, लेकिन 40वीं लैप के दौरान उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया और गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, हालांकि वर्स्टापेन को चोट नहीं लगी। इस रेस के दौरान लुईस हैमिल्टन की गाड़ी भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी।

## नोवाक जोकोविच ने जीता बेलग्रेड ओपन

**बेलग्रेड,** विश्व के नंबर वन पुरुष टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने बेलग्रेड ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। टूर्नामेंट के फाइनल में जोकोविच ने स्लोवाकिया के युवा खिलाड़ी एलेक्स मोलकान को सीधे सेटों में 6-4, 6-3 से हराया। यह जोकोविच के टेनिस कॅरियर का 83वां एटीपी खिताब है। इसके अलावा घरेलू सरजमीं पर यह उनका तीसरा खिताब है। इससे पहले जोकोविच वर्ष 2009 और 2011 में सर्विया ओपन जीत चुके हैं।

## ईगन बर्नेल बने गिरो डी इटैलिया चैंपियन

**तूरिन,** कोलंबिया के युवा साइक्लिस्ट ईगन बर्नेल 104वीं गिरो डी इटैलिया साइकिल रेस के ओवरऑल विजेता बन गये हैं। बर्नेल ने 21 स्टेज की इस रेस को पूरा करने में 86 घंटे, 17 मिनट और 28 सेकेंड का समय लिया। यह रेस 3410.9 किलोमीटर की थी। रेस के 9वें और 16वें स्टेज में बर्नेल ने पहला स्थान हासिल किया है। इटली के डेमियानो कारूसो रेस में दूसरे स्थान पर रहे, जबकि तीसरे स्थान पर ब्रिटेन के साइमन येट्स रहे। रेस जीतने पर बर्नेल को 1 करोड़ 3 लाख रुपये बतौर इनामी राशि प्राप्त हुई है।

## यूका सासो ने जीता महिला यूएस ओपन गोल्फ खिताब

**सैन फ्रांसिस्को,** फिलिपींस की युवा महिला गोल्फर यूका सासो ने महिला यूएस ओपन गोल्फ टूर्नामेंट अपने नाम किया है। इस जीत के साथ सासो यह टूर्नामेंट जीतने वाली दूसरी सबसे युवा महिला गोल्फर बन गई हैं। 19 वर्षीय सासो ने सडन डैथ प्ले ऑफ में जापानी गोल्फर नासा हाताओका को हराया। सासो से पहले अमेरिका की लेक्सी थॉमसन ने वर्ष 2008 में सबसे कम उम्र में महिला यूएस ओपन टूर्नामेंट जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। थॉमसन इस बार टूर्नामेंट में तीसरे स्थान पर रहीं। सासो यह मेजर खिताब जीतने वाली फिलिपींस की पहली खिलाड़ी बन गई हैं।

## गिडे ने 10 हजार मीटर दौड़ में बनाया विश्व रिकॉर्ड

**हेंगेलो,** इथोपिया की महिला एथलीट लेटिजनबेड गिडे ने महिलाओं की 10 हजार मीटर दौड़ में नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। गिडे ने यह कारनामा इथोपियाई ओलिंपिक ट्रायल्स के दौरान किया। गिडे ने 10 हजार मीटर की दौड़ 29 मिनट 1.03 सेकेंड में पूरी की। गिडे से पहले यह रिकॉर्ड नीदरलैंड्स की एथलीट सिफान हसन के नाम था।

फुटबॉल क्वालिफायर

# भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से हराया

**दोहा,** भारत ने फीफा विश्वकप 2022 और एशिया कप 2023 के संयुक्त क्वालिफायर मुकाबले में बांग्लादेश को 2-0 से हराकर टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज की है। इस जीत से भारतीय फुटबॉल टीम के एशियाई क्वालिफायर के तीसरे दौर के लिये सीधे क्वालिफाई करने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। कुछ दिन पहले कतर के खिलाफ क्वालिफायर मुकाबले में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद भारतीय टीम को बांग्लादेश के खिलाफ जीत की सख्त दरकार थी। भारतीय टीम ने अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार प्रदर्शन किया।

भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच में शुरुआत से ही दबदबा बनाने की कोशिश की। टीम को पहले हाफ में गोल करने के कुछ अवसर मिले, लेकिन टीम इन मौकों को भुनाने में सफल नहीं हो पायी। मैच के दूसरे हाफ में भी दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर नजर आई। एक समय ऐसा लगने लगा था कि मैच गोलरहित ड्रॉ हो जायेगा, लेकिन मैच के 79वें मिनट में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने शानदार गोल कर टीम इंडिया को बढ़त दिलाई। छेत्री यहीं नहीं रुके उन्होंने मैच के अतिरिक्त समय (90+2 मिनट) में एक और गोल कर टीम की बढ़त दोगुनी कर दी। इसी स्कोर लाइन पर मैच समाप्त हो गया।

- **अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड ईरान के अली देई के नाम है।**
- **अली देई ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 109 गोल किये हैं।**
- **सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ियों की ओवरऑल सूची में सुनील छेत्री दसवें स्थान पर हैं।**
- **भारत फीफा विश्वकप 2022 से पहले ही बाहर हो चुका है। भारत अब चीन में आयोजित होने वाले एशिया कप-2023 में क्वालिफाई करने की दौड़ में है।**

### मेसी से आगे निकले छेत्री

भारतीय कप्तान सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने के मामले में अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया है। छेत्री सर्वाधिक गोल करने वाले सक्रिय खिलाड़ियों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गये हैं। छेत्री के अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 74 गोल हो गये हैं, जबकि मेसी के नाम 72 अंतर्राष्ट्रीय गोल दर्ज हैं। मौजूदा सक्रिय खिलाड़ियों की सूची में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम दर्ज है। रोनाल्डो ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 103 गोल किये हैं। इस सूची में छेत्री दूसरे तथा यूएई के अली मबखौत (73) तीसरे स्थान पर काबिज हैं।

## यूएई में 19 सितम्बर से शुरू होगा आईपीएल का शेष सत्र

**मुंबई,** बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2021 के शेष सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया है। आईपीएल के शेष सत्र के मुकाबले संयुक्त अरब अमीरात में खेले जायेंगे। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि आईपीएल के शेष मुकाबले 19 सितम्बर से 15 अक्टूबर के बीच आयोजित किये जायेंगे। सत्र का पहला मुकाबला 19 सितम्बर को खेला जायेगा। इस सत्र के दौरान कुल 31 मैच खेले जायेंगे।

## ईसीबी ने ओली रॉबिनसन को किया सस्पेंड

**लंदन,** इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने तेज गेंदबाज ओली रॉबिनसन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सस्पेंड कर दिया है। रॉबिनसन ने कुछ दिन पहले ही न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। रॉबिनसन ने इस मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुये कुल सात विकेट लिये थे। ईसीबी ने नस्लभेद से जुड़े प्रकरण के बाद रॉबिनसन को सस्पेंड करने का फैसला लिया है। रॉबिनसन ने वर्ष 2012 से 2014 के बीच लिंगभेद और नस्लभेद से जुड़े कई सोशल मीडिया पोस्ट किये थे, जो उनके पदार्पण टेस्ट मैच के बाद वायरल होने लगे थे। ईसीबी ने कहा कि रॉबिनसन द्वारा किये गये सोशल मीडिया पोस्ट की जांच की जायेगी। ईसीबी के इस फैसले के बाद रॉबिनसन ने क्रिकेट से ब्रेक लेने की घोषणा की है।

# पहलवान सुमित मलिक डोप टेस्ट में हुए फेल

**नई दिल्ली,** टोक्यो ओलिंपिक से पहले भारत के अभियान को बड़ा झटका लगा है। ओलिंपिक के लिये क्वालिफाई कर चुके पहलवान सुमित मलिक डोप टेस्ट में फेल हो गये हैं। डोप टेस्ट में विफल रहने के बाद सुमित को अस्थाई रूप से निलंबित कर दिया गया है।

इस निलंबन के साथ सुमित का टोक्यो ओलिंपिक में भाग लेना मुश्किल हो गया है। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीत चुके सुमित का हाल ही में बुल्गारिया में आयोजित ओलिंपिक क्वालिफायर के दौरान डोप टेस्ट किया गया था। सुमित ने इसी टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाकर टोक्यो ओलिंपिक में पुरुषों के 125 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा के लिये क्वालिफाई किया था।

भारतीय कुश्ती संघ ने कहा कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने सूचित किया है कि सुमित डोप टेस्ट में विफल हो गये हैं। अब सुमित को जल्द ही अपना 'बी' सैंपल डोप टेस्ट के लिये देना होगा। सुमित का 'बी' सैंपल भी अगर पॉजीटिव आया तो

उन्हें खेल से प्रतिबंधित कर दिया जायेगा। संघ ने कहा कि राष्ट्रीय शिविर के दौरान सुमित का घुटना चोटिल हो गया था। वे अपने इलाज के लिये कुछ दवाएं ले रहे थे। हो सकता है कि दवाओं में कुछ प्रतिबंधित पदार्थ हो।

यह लगातार दूसरा ओलिंपिक है, जब टूर्नामेंट शुरू होने से पहले भारतीय एथलीट डोपिंग का शिकार हुआ है। इससे पहले वर्ष 2016 के रियो ओलिंपिक से ठीक पहले पहलवान नरसिंह पंचम यादव डोप टेस्ट में विफल हुये थे। इसके बाद नरसिंह पर चार साल का प्रतिबंध लगा दिया गया था।

# टीम इंडिया को मिलेगा तीन सप्ताह का ब्रेक

**मुंबई,** भारतीय टीम प्रबंधन ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों को तीन सप्ताह का ब्रेक देने का फैसला किया है। टीम प्रबंधन ने यह फैसला जैविक रूप से सुरक्षित वातावरण (बायो बबल) में लंबे समय तक रहने के कारण खिलाड़ियों को मानसिक थकान की आशंका को देखते हुये लिया है।

भारतीय क्रिकेट टीम अपने इंग्लैंड दौरे की शुरुआत 18 जून से करेगी। 18 से 22 जून तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जायेगा। इसके बाद 4 अगस्त से भारत और इंग्लैंड के बीच पांच टेस्ट मैचों की सीरीज होगी। टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल और इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से पहले भारतीय टीम के पास 42 दिन का समय है। इसी अवधि में खिलाड़ियों को लगभग तीन सप्ताह (20 दिन) का ब्रेक दिया गया है। ब्रेक के बाद सभी खिलाड़ी 14 जुलाई को एकत्र होंगे और टेस्ट सीरीज की तैयारियों में जुट जायेंगे।

बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया कि टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और मुख्य कोच रवि शास्त्री ने इंग्लैंड रवाना होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि खिलाड़ियों को ब्रेक दिया जायेगा।

माना जा रहा है कि बीसीसीआई ने टीम इंडिया के आगामी व्यस्त कार्यक्रमों को देखते हुये यह निर्णय लिया है। टीम इंडिया को इंग्लैंड दौरे के तुरंत बाद यूएई में आईपीएल खेलना है। आईपीएल के बाद आईसीसी ट्वेंटी-20 विश्वकप आयोजित होना, ऐसे में लगातार बायो बबल में रहने से खिलाड़ी मानसिक और शारीरिक रूप से थक सकते हैं। इस ब्रेक से खिलाड़ियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।

श्रीलंका दौरे के लिये

# धवन बने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान

**मुंबई,** बीसीसीआई ने जुलाई माह में श्रीलंका दौरे के लिये वन-डे और ट्वेंटी-20 टीमों की घोषणा कर दी है। टीम इंडिया के अनुभवी बल्लेबाज शिखर धवन को दोनों टीमों की कप्तानी सौंपी गई है, वहीं भुवनेश्वर कुमार को उपकप्तान बनाया गया है।

युवाओं से सजी 20 सदस्यीय भारतीय टीम में देवदत्त पडिक्कल, नीतिश राणा, ऋतुराज गायकवाड़ और चेतन सकारिया के रूप में नये चेहरे शामिल किये गये हैं। वहीं सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ और संजू सैमसन की भी भारतीय टीम में वापसी हुई है। श्रेयस अय्यर को चोटिल होने के कारण टीम में जगह नहीं मिली है, वहीं इंग्लैंड के खिलाफ ट्वेंटी-20 सीरीज में जगह बनाने वाले राहुल तेवतिया और जयदेव उनादकट को भी टीम में शामिल नहीं किया गया है।

भारत को श्रीलंका दौरे पर 3-3 मैचों की वन-डे और ट्वेंटी-20 सीरीज खेलना

है। दौरे की शुरुआत 13 जुलाई को वन-डे मैच से होगी। 16 जुलाई को दूसरा तथा 18 जुलाई को तीसरा वन-डे मैच खेला जायेगा। इसके बाद 21, 23 और 25 जुलाई को ट्वेंटी-20 सीरीज के मैच खेले जायेंगे। ये सभी मैच कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले जायेंगे।

श्रीलंका दौरे के लिये पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ भारतीय टीम के कोच हो सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि बीसीसीआई जल्द ही द्रविड़ को लेकर आधिकारिक घोषणा कर सकती है। द्रविड़ अभी राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के डायरेक्टर (क्रिकेट ऑपरेशंस) हैं। इसके अलावा वे भारत की अंडर-19 और जूनियर टीम के कोच भी रह चुके हैं। बीसीसीआई द्रविड़ के अलावा नये सपोर्ट स्टाफ को भी टीम के साथ श्रीलंका भेज सकती है।

### भारतीय टीम

शिखर धवन, भुवनेश्वर कुमार, पृथ्वी शॉ, देवदत्त पडिकल, ऋतुराज गायकवाड़, सूर्यकुमार यादव, मनीष पांडे, हार्दिक पंड्या, नीतिश राणा, ईशान किशन, संजू सैमसन, युजवेंद्र चहल, राहुल चाहर, दीपक चहार, कृष्णाप्पा गौतम, क्रुणाल पंड्या, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, नवदीप सैनी और चेतन सकारिया।

**नेट बॉलर** - ईशान पोरेल, संदीप वॉरियर, अर्शदीप सिंह, साई किशोर और सिमरजीत सिंह।

## जर्मनी ने जीता अंडर-21 यूरो कप का खिताब

**जुब्लजाना,** जर्मनी की युवा फुटबॉल टीम ने अंडर-21 यूरो कप का खिताब अपने नाम किया है। टूर्नामेंट के फाइनल में जर्मनी ने पुर्तगाल को बेहद रोमांचक मुकाबले में 1-0 से हराया। जर्मनी की जीत के हीरो लुकास नमेचा रहे। नमेचा के गोल की बदौलत जर्मनी खिताब पर कब्जा करने में सफल रहा। नमेचा ने मैच के 49वें मिनट में टीम के लिये निर्णायक गोल किया। नमेचा वर्ष 2019 में जर्मन टीम से जुड़े हैं। इससे पहले वे इंग्लैंड की यूथ टीम का हिस्सा थे। नमेचा ने वर्ष 2017 में अंडर-19 यूरो कप के फाइनल में इंग्लैंड की तरफ से खेलते हुये पुर्तगाल के खिलाफ गोल किया था। जर्मनी ने तीसरी बार अंडर-21 यूरो कप जीता है। इससे पहले जर्मन टीम वर्ष 2009 और 2017 में भी यह खिताब जीत चुकी है।

*(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गुगल से साभार)*

## सामयिकी

### डिजिटल मीडिया कंटेंट नियामक परिषद का गठन

इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (आईबीएफ) ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन को नवगठित स्व-नियामक संस्था डिजिटल मीडिया कंटेंट नियामक परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया। आईबीएफ ने एक बयान में कहा कि इस नियामक संस्था में डिजिटल उद्योग से जुड़े प्रतिष्ठित छह अन्य लोग भी बतौर सदस्य शामिल होंगे। इसके अन्य सदस्य हैं फिल्म निर्माता-निर्देशक निखिल आडवाणी, लेखक और निर्देशक तिग्मांशु धूलिया, फिल्म निर्माता और लेखक अश्विनी अय्यर तिवारी, कंटेंट प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर वानीजय ग्रुप के सीईओ और संस्थापक दीपक धर है।

प्रधानमंत्री का राष्ट्र को संबोधन

# प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दीपावली तक बढ़ाया गया

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने महामारी में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया। इस महामारी को पिछले सौ वर्षों में सबसे बड़ी आपदा बताते हुए, उन्होंने इसे एक ऐसी महामारी के रूप में चिन्हित किया, जिसे आधुनिक दुनिया में न तो देखा गया और न ही अनुभव किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने इस महामारी से कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ी।

टीकाकरण की रणनीति पर पुनर्विचार करने और 1 मई से पहले की व्यवस्था को वापस लाने की कई राज्यों की मांग को देखते हुए, प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि राज्यों के जिम्मे जो 25 प्रतिशत टीकाकरण था, उसे अब भारत सरकार द्वारा करने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय को दो सप्ताह में अमल में लाया जाएगा। दो सप्ताह में केन्द्र और

राज्य नए दिशानिर्देशों के मुताबिक जरूरी तैयारियां करेंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की कि आगामी 21 जून से, भारत सरकार 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी भारतीय नागरिकों को मुफ्त टीका प्रदान करेगी। भारत सरकार टीके के उत्पादकों के कुल उत्पादन का 75 प्रतिशत खरीदेगी और राज्यों को मुफ्त मुहैया कराएगी। किसी भी राज्य सरकार को टीकों के लिए कुछ भी खर्च नहीं करना होगा।

इसके साथ ही प्रधानमंत्री श्री मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दीपावली तक बढ़ाने के निर्णय से अवगत कराया। यानी नवंबर तक, 80 करोड़ लोगों को हर महीने निर्धारित मात्रा में मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महामारी के दौरान सरकार गरीबों के साथ उनकी सभी जरूरतों के लिए उनके दोस्त के रूप में खड़ी है।

प्रधानमंत्री ने याद किया कि वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन उस समय किया गया था जब कोविड -19 के केवल कुछ हजार मामले ही थे और टीका बनाने वाली कंपनियों को सरकार द्वारा परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्त पोषण में हर संभव तरीके से सहयोग दिया गया। प्रधानमंत्री ने बताया कि अथक प्रयास और कड़ी मेहनत के कारण आने वाले दिनों में टीकों की आपूर्ति बढ़ने वाली है। उन्होंने बताया कि सात कंपनियां अलग-अलग तरह के टीके तैयार कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि तीन और टीकों का परीक्षण अग्रिम चरण में है। प्रधानमंत्री ने बच्चों के लिए दो टीकों और एक 'नाक के जरिए दिए जाने वाले टीके' के परीक्षण के बारे में भी बताया।

प्रधानमंत्री ने टीकाकरण के खिलाफ अफवाह फैलाने वालों के बारे में आगाह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे तत्व लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं और इनके खिलाफ सतर्क रहने की जरूरत है।

आईएनएस चक्र

## भारतीय नौसेना की परमाणु क्षमता से लैस एकमात्र पनडुब्बी वापस लौटी रूस

भारतीय नौसेना की परमाणु हमला करने में सक्षम एकमात्र पनडुब्बी 'आईएनएस चक्र' रूस लौट गई है। इस

- **भारत ने 2019 में 10 साल के लिए भारतीय नौसेना को परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी के लिए रूस के साथ तीन अरब डॉलर का समझौता किया था। इस समझौते के तहत रूस 2025 तक भारतीय नौसेना को अकुला श्रेणी की पनडुब्बी चक्र-तीन सौंपेगा।**

पनडुब्बी को रूस से पट्टे पर लिया गया था। जानकारी के अनुसार अकुला श्रेणी के पोत आईएनएस चक्र को 2012 में पट्टे पर रूस से लिया गया था।

परमाणु क्षमता से लैस यह दूसरी पनडुब्बी थी, जिसे भारत ने रूस से पट्टे पर लिया था। जानकार सूत्रों ने यह भी बताया कि पट्टे की अवधि खत्म होने का

समय आ जाने के कारण यह पनडुब्बी रूस वापस जा रही है। परमाणु क्षमता से संपन्न पहली पनडुब्बी का नाम भी चक्र था।

पहली पनडुब्बी तत्कालीन सोवियत संघ से 1988 में तीन साल के पट्टे पर लाई गई थी। 'आईएनएस चक्र' के रूस जाने की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर आयी हैं। कई लोगों ने पनडुब्बी की तस्वीरें शेयर की है। हालांकि इस मामले पर कुछ नहीं बताया गया है।

अमेरिका

## ग्रीन कार्ड कोटा खत्म होगा, भारतीयों को हो सकता है फायदा

अमेरिका में हर देश के लिए ग्रीन कार्ड की 7 प्रतिशत की सीमा जल्द खत्म हो सकती है। इसका सबसे ज्यादा फायदा

- **परिवार प्रायोजित वीजा पर प्रति देश सीमा भी बढ़ेगी।**
- **पक्ष-विपक्ष ने मिलकर पेश किया 7 प्रतिशत की सीमा खत्म करने का विधेयक।**

भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को मिल सकता है। दरअसल, अमेरिका में पक्ष और विपक्ष ने मिलकर हर देश को दिए जाने वाले रोज़गार आधारित ग्रीन कार्ड की सीमा हटाने के लिए संयुक्त रूप से एक विधेयक पेश किया है। 1990 के बाद पहली बार इसमें बदलाव की उम्मीद है।

इससे भारतीय आईटी पेशेवरों को फायदा होने की संभावना है जो लंबे वक्त से ग्रीन कार्ड मिलने का इंतजार कर रहे हैं। 'इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड्स फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट' कानून 2021 को पहले सीनेट में पारित करने की जरूरत है। उसके बाद

वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए व्हाइट हाउस भेजा जाएगा विधेयक में परिवार प्रायोजित वीसा पर प्रति देश 7 प्रतिशत की सीमा को भी बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया है। आव्रजन और नागरिकता पर सदन की उप समिति की अध्यक्ष लोफग्रेन ने कहा, 'हम सभी जानते हैं कि हमारी आव्रजन प्रणाली में खामी है और इसमें दशकों से त्रुटि है।' दरअसल, इसमें विसंगति यह है कि कम आबादी वाले देशों को भी उतने ही वीसा आवंटित किए गए, जितने ज्यादा आबादी वाले देशों को ऐसे में 1990 में बदलाव और सीमा तय होने के बाद से ग्रीन कार्ड पाने का इंतजार कर रहे लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है।

**प्रवासियों को स्थायी निवास का अधिकार देता है ग्रीन कार्ड**

ग्रीन कार्ड मिलने पर प्रवासियों को स्थायी रूप से अमेरिका में रहने का विशेषाधिकार मिल जाता है। नए कानून के बाद इसका सबसे ज्यादा फायदा उन भारतीय पेशेवरों को मिलने की उम्मीद है, जो एच-1बी वर्किंग वीसा पर अमेरिका पहुंचते हैं। इससे पहले कुशल कर्मियों से जुड़ा फेयरनेस फॉर हाई स्किल्ड इमिग्रेंट्स एक्ट संसद में 365 के मुकाबले 65 मतों से पारित हो चुका है। ऐसे में ग्रीन कार्ड का कोटा बढ़ाने से जुड़े बिल के पास होने को लेकर भी उम्मीद बढ़ गई है।

## प्रौद्योगिकी कंपनियों से कर की वसूली के लिए करार

ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि दुनिया के अमीर देशों ने कर अपवंचना से बचाव के लिए एक ऐतिहासिक वैश्विक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियां उचित जगह, उचित तरीके से अपने हिस्से के कर का भुगतान करें।

सुनक ने बताया कि जी-7 देशों के वित्त मंत्रियों ने लंदन में बैठकों के दूसरे और अंतिम दिन करार पर हस्ताक्षर किए। जी-7 के मंत्रियों के बीच प्रत्येक देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के परिचालन के लिए वैश्विक न्यूनतम कर की दर को 15 प्रतिशत पर रखने की सहमति बनी

है। अमेरिका की वित्त मंत्री जैनेट येलेन ने कहा कि यह करार 15 प्रतिशत की वैश्विक दर तक पहुंचने की प्रक्रिया को गति देगा। इससे कर घटाने की उल्टी स्पर्धा रुकेगी तथा अमेरिका और दुनिया के अन्य देशों में मध्यम वर्ग और कामकाजी लोगों के साथ न्याय सुनिश्चित हो सकेगा।

बुर्किना फासो

## हमलावरों ने 100 लोगों को मार डाला

बुर्किना फासो के उत्तरी हिस्से के एक गांव में सशस्त्र हमलावरों ने 100 लोगों की हत्या कर दी। यह पिछले कई सालों में हुआ सबसे हिंसक हमला है। सरकार के प्रवक्ता ओसेनी तंबोरा ने जिहादियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह हमला साहेल याघा प्रांत के सोल्हान गांव में हुआ। नाइजर की सीमा के पास वाले इलाके के कई घरों और स्थानीय बाजार में आगजनी भी की गई। राष्ट्रपति रोच मार्क क्रिश्चियन कबोर ने इस घटना को असंभव बताया है। सरकार ने देश में 72 घंटे के शोक की घोषणा की है।

न्यूजीलैंड

## आर्टेमिस मिशन से जुड़ा

न्यूजीलैंड ने घोषणा की कि वह अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 11वां देश बन गया है। यह समझौता अंतरिक्ष में सहयोग संबंधी एक खाका है और 2024 तक मनुष्यों को चंद्रमा पर भेजने की नासा की योजना और मंगल में मनुष्य को भेजने के ऐतिहासिक मिशन को शुरू करने का समर्थन करता है।

न्यूजीलैंड की विदेश मंत्री नानाइया महुता ने कहा कि न्यूजीलैंड अंतरिक्ष में रॉकेट प्रक्षेपित करने वाले कुछ देशों में शामिल है। नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने कहा कि न्यूजीलैंड उन सात

देशों में शामिल था, जिन्होंने समझौते के सिद्धांत बनाने में मदद की। न्यूजीलैंड के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, इटली, जापान, लक्जमबर्ग, दक्षिण कोरिया, यूएई और यूक्रेन इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं।

तैरता हुआ लक्जरी आईलैंड रिजॉर्ट

# समुद्री कचरे से बनेगा 'प्लास्टिक का द्वीप' जिस पर तैयार होगा आलीशान होटल

महासागरों में फैला हुआ समुद्री प्लास्टिक कचरा वर्तमान समय में एक बड़ी मुसीबत बनकर उभरा है। ऐसे में इससे निपटने के लिए तरह-तरह के उपाय किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एक ब्रिटिश आर्किटेक्चर ने हिंद महासागर में समुद्री प्लास्टिक से एक तैरता हुआ 'लक्जरी आइलैंड रिजॉर्ट बनाने का प्लान दुनिया के सामने रखा है। अगर ऐसा होता है तो समुद्र में फैले कई टन प्लास्टिक का बेहतर प्रयोग

- **मार्गोड क्रॉसोजेविक ने बताया कि 75 कमरों वाले होटल को बनाने के लिए फंडिंग मिल गई।**
- **होटल ऑस्ट्रेलिया के कोकोस द्वीपसमूह में स्थित एक फ्लोटिंग आइलैंड' के ऊपर बनाया जाएगा।**
- **कोकोस द्वीपसमूह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से 2750 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित द्वीपों की एक श्रृंखला है।**

किया जा सकेगा। मार्गोट क्रॉसोजेविक आर्किटेक्चर की संस्थापक मार्गोट क्रॉसोजेविक ने बताया कि 75 कमरों वाले होटल को बनाने के लिए फंडिंग मिल गई है। हालांकि, इस फंडिंग को किसने किया है, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। क्रोसोजेविक ने एक बयान में कहा, 'कचरे वाले द्वीप' को ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच से प्रेरणा मिली है। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित एक ऐसी जगह है, जहां प्लास्टिक कचरा फैला हुआ है। बयान में कहा गया कि 'कचरे वाले द्वीप' को प्लास्टिक से तैयार किया जाएगा। प्लास्टिक के भरे बैग को एक साथ बुना जाएगा और उन्हें समुद्र की तली में बैठाया जाएगा। वजन की वजह से ये बैग तली में बैठ जाएंगे और फिर इन्हें स्थिर रखने के लिए इनके ऊपर रेत बिछाई जाएगी। इसके अलावा, मैंग्रोव की जह आर्टिफिशियल रूट्स को आइलैंड के चारों ओर लगाया जाएगा ताकि इसका प्रयोग बाढ़ से बचाव के रूप में कार्य किया जा सके।

*(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)*

**अपने आपको ऐसा कोई काम न करने दें, जो प्रकृति के विरुद्ध हो – एडवर्ड गिबन**

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

मध्यप्रदेश शासन

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

# मलेरिया निरोधक माह
# जून 2021

**हम सबके प्रयास एवं सहयोग से मलेरिया उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।**

## मलेरिया बुखार की लक्षणों के आधार पर पहचान कैसे करें ?

- ठंड लगकर तेज़ बुखार आना।
- पसीना आकर बुखार उतर जाना।
- रुक-रुक कर बुखार आना।
- सिरदर्द, उल्टी होना।
- बेचैनी, कमजोरी, सुस्ती महसूस होना।

## मलेरिया से बचाव के लिए क्या करें ?

मच्छरदानी लगाकर सोयें।
खिड़कियों एवं दरवाज़ों पर मच्छरों को रोकने हेतु जाली लगायें।
पूरी बांह के कपड़े पहने।

मलेरिया परजीवी का संक्रमण संक्रमित मादा एनाफिलीज़ मच्छर के काटने से फैलता है।
अतः मच्छरों से स्वयं को काटने से बचावें।

जांच में मलेरिया की पुष्टि होने पर पूर्ण उपचार लेवें

हर सप्ताह कूलर, पानी की टंकी को खाली कर सफाई करें।
ऐसे स्थान जहां पानी की निकासी संभव ना हो एवं अनावश्यक जलभराव हो उनमें केरोसिन या जला हुआ आइल डालें।

मादा एनाफिलीज़ मच्छर रुके हुए साफ पानी में पैदा होता है।
अतः घर के आस–पास कहीं भी खुले स्थान पर पानी एकत्रित ना होने दें।

मलेरिया के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल शासकीय स्वास्थ्य संस्था अथवा आशा कार्यकर्ता से संपर्क कर रक्त की जांच अवश्य करायें

M.P. Madhyam/100950/R-45571/2021

**लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग मध्यप्रदेश**

राज्य कार्यक्रम अधिकारी (व्ही.बी.डी.सी.पी.), द्वारा जनहित में जारी

स्वामी "मध्यप्रदेश माध्यम" की ओर से प्रकाशक, मुद्रक डॉ. सुदाम खाड़े, मध्यप्रदेश माध्यम 40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल, भोपाल-462011 (म.प्र.) से प्रकाशित एवं डी.बी. कार्प द्वारा दैनिक भास्कर, प्लाट नंबर-10, सेक्टर-बी, गोविंदपुरा, भोपाल से मुद्रित। सम्पादक - पुष्पेन्द्र पाल सिंह।